Par. S. 17. II. 15. 53
285

अंक २
संख्या १५

सत्यमेव जयते

मंगलवार
२१ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३३०३—३३४२]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३३४२—३३६२]

(मूल्य ४ आने)

227 P.S.D.

लोक सभा

मंगलवार, २१ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भाग 'ग' राज्यों में सुधार

* १४८३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित भाग 'ग' राज्यों में भाग 'ग' राज्य अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत सरकार ने किन सुधारों को करने का निश्चय किया है :—

(१) मनीपुर

(२) त्रिपुरा ; तथा

(३) कच्छ।

(ख) इन सुधारों के कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम, १९५१ में कच्छ, मनीपुर तथा त्रिपुरा इन प्रत्येक राज्यों में मुख्य आयुक्त को कार्य करने में सलाह देने के लिये एक परामर्शदाता परिषद् स्थापित करने का उपबन्ध है। कच्छ में एक परामर्शदाता परिषद् २७ जुलाई, १९५२ को बनाई

गई थी। त्रिपुरा में भी उसी प्रकार की एक परामर्शदाता परिषद् १४ अप्रैल, १९५३ को बनाई गई थी। मनीपुर में एक परामर्शदाता परिषद् बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और यह जल्दी तय कर दिया जायगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न भाग 'ग' राज्यों में मंत्रि मण्डलों के कार्य करने के परिणामस्वरूप किन्हीं कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा है और क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

डा० काटजू : क्या इस प्रश्न का सम्बन्ध त्रिपुरा, मनीपुर तथा कच्छ राज्यों के अतिरिक्त अन्य भाग 'ग' राज्यों से है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : तो यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन विशेष तीन रियासतों में जहां कि सुधार दिये जा रहे हैं या दिये गये हैं उन में इन सुधारों के कारण सरकार का सालाना कितना खर्च बढ़ जायेगा ?

डा० काटजू : एडवाइज़र्स की तनख्वाह और उनके जो असिस्टेंट वग़ैरह होंगे उनकी तनख्वाह बढ़ जायगी।

योल कैम्प के विस्थापित व्यक्तियों के लिये दान

*१४८४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) योल कैम्प में ३१ दिसम्बर, १९५२ को दान स्वरूप सहायता प्राप्त करने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) उनमें से कितने (१) अस्थायी दायित्व, (२) स्थायी दायित्व, (३) अर्द्ध-स्थायी दायित्व हैं, तथा (४) अन्य कितने हैं; तथा

(ग) प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन तना दान धन दिया जाता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जन) : (क) ६,१०० ।

(ख) (१) ४,२८७ ।

(२) तथा (३) . १,८१३ ।

(४) कोई नहीं ।

(ग) दान स्वरूप नक़द धन ६ महीने से अधिक आयु वाले प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को ८ रुपये प्रति मास, तथा

६ महीने से कम आयु वाले प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को ४ रुपये प्रति मास ।

राशन: १२ वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को प्रति दिन ६ छटांक अनाज का मूल राशन (गेहूं का आटा या चावल) और २ वर्ष से अधिक तथा १२ वर्ष से कम आयु वाले प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को प्रति दिन ३ छटांक अनाज का मूल राशन मिलता है ।

इसके अतिरिक्त सरकार के अर्द्ध-स्थायी दायित्वों तथा स्थायी दायित्वों को निर्धारित प्रमाप के अनुसार जलाने की लकड़ी तथा कपड़े मिलते हैं ।

श्री सए० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या जम्मू कैम्प समाप्त कर दिये जाने के कारण योल कैम्प में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं पाया, क्योंकि जम्मू कैम्प का योल कैम्प से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि जम्मू कैम्प समाप्त कर दिये जाने के बाद वहां जो असम्बद्ध व्यक्ति रह गये थे क्या वे योल कैम्प में भेज दिये गये थे या नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ समय पूर्व स्थायी दायित्व वर्ग के कुछ व्यक्ति योल कैम्प में लाये गये थे । किन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि योल कैम्प प्रायः खत्म कर दिया गया है । १०३ परिवारों का अन्तिम समूह शीघ्र ही उस कैम्प से चला जायगा और तब वह कैम्प पूर्णरूप से खत्म कर दिया जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि अर्द्ध स्थायी दायित्व तथा असम्बद्ध व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण व्यवस्था कैसे की जायगी—क्या योल कैम्प में या कहीं और केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्री ए० पी० जैन: जैसा कि मैं ने बताया योल कैम्प बन्द किया जा रहा है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि ये विभाजन किन सिद्धान्तों पर किये जा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : आयु के सिद्धान्त के आधार पर ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मेरा अभिप्राय स्थायी दायित्व तथा अस्थायी दायित्व से है ।

श्री ए० पी० जैन : दायित्व तीन वर्गों में विभक्त हैं :

(१) **पूर्ण स्थायी दायित्व** : वे विस्थापित व्यक्ति जो कि आयु अथवा शारीरिक दौर्बल्य के कारण कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकते और जिनका कोई ऐसा सम्बन्धी नहीं है जो कि इस समय या भविष्य में उनकी सहायता कर सके ;

(२) **आंशिक स्थायी दायित्व** : गृहों अपांग गृहों में रहने वाले वे व्यक्ति जो कि कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात् कुछ काम कर सकते हैं अथवा जिनके बच्चे, जो कि अपने आप काम कर सकते हैं, अपने माता पिता का कुछ अंश तक भरण पोषण कर सकते हैं ; तथा

(३) **पूर्ण किन्तु बाद में खत्म किये जा सकने वाले दायित्व** : गृहों तथा अपांग गृहों में रहने वाले आश्रित तथा अनाथ बच्चे सरकार के पूर्ण किन्तु बाद में खत्म किये जा सकने वाले दायित्व होंगे । ऐसे प्रौढ़ व्यक्ति भी जो कि प्रशिक्षण की आरम्भिक अवधि के बाद अपना भरण पोषण स्वयं कर सकते हैं अथवा उनके बच्चे । अन्य सम्बन्धी उनका भरण पोषण कर सकते हैं, सरकार के पूर्ण किन्तु बाद में खत्म किये जा सकने वाले दायित्व होंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को अपर्याप्त कपड़े दिये जाने तथा अपर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा देने के सम्बन्ध म कोई शिक़ायत मिली है ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसी कोई शिक़ायत नहीं मिली । किन्तु जैसा कि मैं ने कहा कैम्प बन्द कर दिया गया है : वहां केवल ११३ परिवार हैं जिन्हें कि योल कैम्प से अन्य स्थानों को भेजा जा रहा है ।

संस्कृत अध्ययन

*१४८५. **डा० राम सुभग सिंह** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संस्कृत अध्ययन के विकास के लिये किन्हीं भारतीय विश्वविद्यालयों को कोई आर्थिक सहायता दी है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो किन विश्वविद्यालयों को ; तथा

(ग) उनमें से प्रत्येक को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) . सरकार ने आन्ध्र विश्वविद्यालय को संस्कृत विभाग की स्थापना के लिये ३ लाख रुपये का रजत जयन्ती अनुदान दिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी अन्य विश्वविद्यालय ने भी सरकार से ऐसी शिक्षा के लिय अनुदान देने के लिये कहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ; बहुत से विश्वविद्यालयों ने सरकार से पंच वर्षीय योजना के आधार पर सहायता देने के लिये कहा है और उन सब योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत के पाठन के सम्बन्ध में जो ग्रांट मांगी गई है वह किसी खास पाठ्यक्रम के लिये मांगी गई है या अलग अलग मांगी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, संस्कृत पाठन के लिये यूनीवर्सिटियों में विशेष तौर से क्रम बनाये गये हैं। और यह तमाम योजनायें विचारार्थ यहां भेज दी गई हैं, वह लम्बी योजनायें हैं। उनके लिये जिन यूनिवर्सिटियों ने रक़म मांगी हैं वे ये हैं :

बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली, इलाहाबाद, अन्नामलाये, बरोदा, मद्रास, मध्य भारत, त्रावनकोर-कोचीन।

इन सब जगहों से संस्कृत पाठन के लिये योजनायें आई हैं। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने ३ लाख ७५ हज़ार रुपये मांगे हैं ....

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं।

श्री घुलेकर : क्या सरकार ने कोई ऐसे स्कालरशिप क़ायम किये हैं जिन से जो संस्कृत के स्कालर यूनिवर्सिटियों में हैं वे विदेशों में जाकर, जैसे जरमनी में और अन्य स्थानों में जहां पर कि संस्कृत की विद्या अधिक है, पढ़ सकें ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसी किसी योजना के बारे में तो मुझे सूचना नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह जो सबसिडी दी गयी है वह केवल सस्कृत के लिये दी गयी है या और विषयों के लिये भी दी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय तो मैं ने संस्कृत के लिये ही उत्तर दिया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि किसी भाषा के विकास के लिये अन्य संस्थाओं को भी कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : एक बात मैं साफ़ कर दूं, चूंकि यह सवाल यूनिवर्सिटियों के लिये किया गया था इस लिये जवाब में सिर्फ़ यूनिवर्सिटी का ज़िक्र किया गया। कई इन्स्टीट्यूशन्स जो वैदिक लिटरेचर का रिसर्च कर रहे हैं या आम संस्कृत लिटरेचर का गवर्नमेंट इन्हें भी मदद दे रही है। इनका ज़िक्र नहीं किया गया है जैसे होशियारपुर का इन्स्टीट्यूट और भंडारकर इन्स्टीट्यूट, पूना।

अखिल भारतीय सेवाओं में महिलायें

*२४८६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **गृह कार्य** मंत्री उन महिलाओं की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो कि इस समय (१) भारतीय प्रशासन सेवा (२) भारतीय पुलिस सेवा तथा (३) भारतीय विदेश सेवा में हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (१) भारतीय प्रशासन सेवा : ६।

(२) भारतीय पुलिस सेवा : कोई नहीं।

(३) भारतीय विदेश सेवा : ४।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं के नियुक्त कि जाने में कोई प्रतिबन्ध है?

श्री दातार : कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारतीय पुलिस सेवा के लिये किसी महिला ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है ?

श्री दातार : जहां तक मुझे मालूम है अभी तक कोई भी महिला भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा में नहीं बैठी।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या न्यायिक पदों पर कोई महिलायें नियुक्त की गई हैं ?

श्री दातार : केवल भाग 'ग' राज्यों को छोड़ कर हमारा न्यायिक पदों से कोई सम्बन्ध नहीं।

दिल्ली में अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले विस्थापित व्यक्ति

*१४८७. **श्री बहादुर सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५३ को दिल्ली में अनधिकृत रूप से क़ब्ज़ा करने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; तथा

(ख) क्या अनधिकृत रूप से क़ब्ज़ा करने वाले इन व्यक्तियों को मकान देने की सरकार की कोई योजना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) लगभग १६,००० परिवार। यह संख्या ३१-१-५३ को इतनी थी। बाद में मैं ने जांच की और १-३-५३ को १३,५०० परिवार शेष थे।

(ख) जी हां। मकान बनाये जा रहे हैं तथा और अधिक मकान बनाये जायेंगे। कुछ मामलों में मकान बनाने के लिये खाली प्लाट तथा धन दिया जा रहा है।

श्री बहादुर सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात को देखने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि इनमें से प्रत्येक परिवार को मकान मिल सके ?

श्री ए० पी० जैन : इस समय ६,५०० मकान बन रहे हैं और ऐसी आशा की जाती है कि वे ३० जून, १९५३ तक बन जायेंगे। इनके बनने के बाद लगभग ७,००० परिवार रह जायेंगे। ऐसी आशा है कि इस पत्री वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इन ७,००० परिवारों के लिये भी मकान बन जायेंगे।

श्री बहादुर सिंह : क्या ये परिवार एक ही स्थान में बसाये जायेंगे अथवा उन्हें बहुत सी बस्तियों में मकान दिये जायेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : स्पष्टतः १३,५०० परिवारों को एक ही स्थान में नहीं बसाया जा सकता। उन्हें बहुत सी बस्तियों में मकान दिये जायेंगे

श्री बहादुर सिंह : अनधिकृत रूप से क़ब्ज़ा करने वाले इन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में गणना कब की गई थी ?

श्री ए० पी० जैन : यह १९५२ के मध्य के लगभग की गई थी।

श्री बहादुर सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात का कोई ख्याल रखा जायगा कि उनके निवास स्थान उनके काम धन्धों के स्थानों से दूर न हों ?

श्री ए० पी० जैन : इस बात का पूरा ध्यान रखा जायगा।

मुसलमानों के वे मकान जो अभी तक दिये नहीं गये

*१४८८. **श्री बहादुर सिंह :** (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में ऐसे कोई ज़ोन हैं जहां पर मुसलमानों के छोड़े हुए मकान हैं किन्तु वे अभी तक किन्हीं विस्थापित व्यक्तियों को दिये नहीं गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो ३१ जनवरी, १९५३ को उनकी संख्या कितनी थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मकान देने के मामले में पूरा दिल्ली अब एक ज़ोन है।

(ख) यह संख्या घटती बढ़ती रहती है और ३१ जनवरी, १९५३ को जो मकान नहीं दिये गये थे उनकी संख्या २८५ थी।

श्री बहादुर सिंह : मैं जान सकता हूं कि ये मुसलमान मालिक अपने जो मकान छोड़ गये थे क्या उन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया था या नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : निस्सन्देह, मुसलमान जिन मकानों को छोड़ गये हैं वे निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वास्तव में वे मकान निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किये गये थे ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, श्रीमान्। यह तो सर्वविदित बात है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : जब दिल्ली में मकानों की इतनी कमी है तो मैं जान सकता हूं कि उनमें बहुत से मकान अभी तक दिये क्यों नहीं गये ?

श्री ए० पी० जैन : दिल्ली की नगर-पालिका क्षेत्र में वे मकान जो निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किये गये हैं उनकी संख्या लगभग ३३,००० है। इनमें से कुछ खाली होते हैं और वे दूसरों को दे दिये जाते हैं। यदि ३३,००० मकानों में से किसी खास तारीख को ३०० मकान खाली हों तो यह कोई बड़ी संख्या नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि अब एक ही ज़ोन है। एक ज़ोन बनाये जाने की घोषणा कब की गई थी ? वह आखिरी तारीख कौन सी थी जब तक कुछ ज़ोन मुस्लिम ज़ोन के रूप में रखे गये थे ?

श्री ए० पी० जैन : दिल्ली को एक ज़ोन माना जायगा, यह निर्णय २० दिसम्बर १९५२ को किया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : उस तारीख को मुस्लिम ज़ोनों में मकानों की संख्या की थी ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

निकोटीन का उत्पादन

*१४८९. **डा० अमीन :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय रसायन शाला, पूना ने निकोटीन को तैयार करने के तरीक़े पर होने वाले नफ़ा नुक़सान आदि के आंकड़े तय्यार कर लिये हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार इस तरीक़े पर होने वाले नफ़ा नुक़सान आदि के विस्तृत आंकड़ों के विवरण को सदन पटल पर रखने का है, और यदि ऐसा है तो, कब ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य निकोटीन सल्फेट को तय्यार करने के तरीक़े के सम्बन्ध में सूचना मांग रहे हैं। एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १**]

डा० अमीन : क्या यह सत्य है कि यह तरीक़ा बारह वर्ष से मालूम है ?

श्री के० डी० मालवीय जी : हां। निकोटीन सल्फेट को तय्यार करने का तरीक़ा हमारे ही देश में नहीं अपितु अन्य देशों में भी मालूम है। इसमें कठिनाई यह थी कि निकोटीन सल्फ़ेट उस रद्दी तम्बाकू में से तय्यार किया जा सकता था जिसमें १.५ प्रतिशत निकोटीन हो, किन्तु अब राष्ट्रीय रसायन शाला, पूना ने एक नया तरीक़ा निकाला है जिसमें ऐसा रद्दी तम्बाकू भी प्रयोग किया जा सकता है जिसमें इससे कम निकोटीन हो।

डा० अमीन : निकोटीन सल्फ़ेट की तुलना में आयात किये गये निकोटीन के दाम कितने हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस नये तरीक़े के आंकड़ों से पता लगता है कि इस तरीक़े

से जो निकोटीन तय्यार की जायेगी वह विदेशों से आयात किये गये निकोटीन से बहुत सस्ती होगी ।

प्राचीन स्मारक

*१४९१. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पहाड़ी ज़िलों में जिन प्राचीन स्मारकों की रक्षा की जाती है उनकी संख्या कितनी है; तथा

(ख) क्या पुरातत्व विभाग का इन् स्थानों के और अधिक स्मारकों को अपने अधीन लेने का विचार है और यदि ऐसा है, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तेरह ।

(ख) जी नहीं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या नूरपुर के क़िले को, जिसका ऐतिहासिक सम्बन्ध न केवल वैदिक काल से है अपितु मुग़ल तथा अंग्रेज़ी काल से भी है, यह विभाग रक्षित स्मारक के रूप में अपने अधीन ले रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो पहिले ही ले लिया गया है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह विभाग कांगड़ा के किले को भी, जिसका नाम ऐतिहासिक पुस्तकों में नागरकोट है, रक्षित स्मारक के रूप में अपने अधिकार में ले रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : नागरकोट को भी पहिले ही ले लिया गया है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि पुरातत्व विभाग की कौन सी शाखा पंजाब की देखभाल करती है और इसका प्रधान कार्यालय कहां है ?

श्री के० डी० मालवीय : केन्द्रीय विभाग में राज्यवार विभाजन नहीं है । इन स्मारकों को उनकी महत्ता के अनुसार बांटा गया है और उन पर या तो केन्द्र का नियंत्रण होता है अथवा राज्य का नियंत्रण होता है । जितने स्मारकों का मैं ने वर्णन किया है इन सब पर केन्द्र का नियन्त्रण है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या इस विभाग की एक शाखा को पंजाब में रखने का विचार है जहां धार्मिक महत्व के बहुत से स्मारक हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : वह पंजाब गवर्नमेंट का काम है और वह ज़रूर उसकी निगरानी करेगी । सेंटर के लिये यह ज़रूरी नहीं है कि वह उसके लिये एक अलग ब्रांच खोले । स्टेट गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है ।

नूरी शुगर वर्क्स द्वारा दिया जाने वाला उत्पाद शुल्क

* १४९४. **श्री बी० एन० राय :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवरिया ज़िले (उत्तर प्रदेश) में भटनी स्थित नूरी शुगर वर्क्स द्वारा सरकार को कितना उत्पाद-शुल्क दिया जाना है ;

(ख) उत्पादन मौसम के किस वर्ष के लिये इस राशि का भुगतान किया जाना है ; तथा

(ग) क्या इसको वसूल करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) भटनी की नूरी शुगर वर्क्स द्वारा केन्द्रीय सरकार को उत्पाद शल्क के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाना है ।

(ख) तथा (ग). उपरोक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुये ये उत्पन्न नहीं होते ।

श्री बी० एन० राय : क्या इस फ़ैक्टरी को सरकार के नियंत्रण में चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ए० सी० गुहा : कम से कम मुझे तो उसकी सूचना नहीं है । फ़ैक्टरी इस समय चल नहीं रही है ।

मंत्रालयों के विरुद्ध शिकायतें

*१४९७. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतों को उचित प्रकार से दर्ज किया जाता है ?

(ख) इन शिक़ायतों को निपटाने की क्या व्यवस्था है ?

(ग) क्या इन शिक़ायतों की रसीद ठीक प्रकार से भेजी जाती है ?

(घ) वर्ष १९५२-५३ में गृह-कार्य मंत्रालय को प्राप्त शिक़ायतों की संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) प्रत्येक मंत्रालय स्वतन्त्र एकक होने से अपने प्रशासन के विरुद्ध प्राप्त शिक़ायतों को निपटाने के लिये अपनी व्यवस्था स्थापित कर सकता है । गृह-कार्य मंत्रालय में अन्य मंत्रालयों के विरुद्ध प्राप्त शिक़ायतों को आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बद्ध मंत्रालयों में भेज दिया जाता है ।

सामान्य रूप से सभी शिक़ायतें मिलने की सूचना दे दी जाती है ।

(घ) शिकायतों के पृथक् अभिलेख नहीं रखे जाते हैं क्यों कि मंत्रालय में उनके विषय में भी सामान्य कार्य के रूप में ही कार्यवाही की जाती है ।

श्री के० सी० सोधिया : सरकार इस बात का पता कैसे लगाती है कि विभिन्न मंत्रालयों के कार्य के सम्बन्ध में जनता की राय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति यह प्रश्न तो बहुत अनिश्चित सा है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : राज्य मंत्रालय के विरुद्ध प्राप्त शिक़ायतों की संख्या कितनी है और वे शिक़ायतें किस प्रकार की हैं ?

श्री दातार : जैसा कि मैं ने कहा, हम शिक़ायतों का पृथक् पृथक् कोई अभिलेख नहीं रखते ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री को सरकारी मंत्रालयों के विरुद्ध कोई शिक़ायतें प्राप्त हुई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह तो बहुत सामान्य प्रश्न है ; किस प्रकार की शिक़ायतें ; वे किसकी शिक़ायतें हैं ; और किस अवधि में ये शिक़ायतें की गईं—ये सब बातें इस प्रश्न में नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि जब मंत्रालयों के विरुद्ध शिक़ायतें की जाती हैं तो क्या साधारण तौर पर गृह-कार्य मंत्रालय अपनी स्पेशल पुलिस के द्वारा कार्यवाही करता है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह बात तो स्थिति पर निर्भर करती है । यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विशेष शिक़ायत होती है तो इसकी जांच पड़ताल के लिये यह स्पेशल पुलिस को भेज दी जाती है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि शिक़ायतें गृह-कार्य मंत्रालय के पास भेजी जाती हैं और वह उन्हें सम्बद्ध मंत्रालयों के पास भेज देता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बात यह है कि जो शिकायतें मिलती हैं वे होती हैं। यह शिक़ायत नगरपालिका के विरुद्ध हो सकती है जिसमें यह कहा गया हो कि यह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही। क्या ऐसी शिकायत मै यह स्पेशल पुलिस को भेजने का मामला है? अतः माननीय सदस्य अपने प्रश्न पर विचार करें। मैं समझता हूं कि वह ऐसी शिकायतों का निर्देश कर रहे हैं जो अपराध सम्बन्धी हों या जिनमें कोई और आरोप लगाया गया हो।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं अपना प्रश्न दूसरी प्रकार से पूछ सकता हूं। क्या प्रथा यह है कि सब शिकायतें गृह-मंत्रालय को भेजी जाती हैं और उन्हें वह जांच पड़ताल के लिये सम्बद्ध मंत्रालयों को भेज देता है अथवा गृह-मंत्रालय अपनी व्यवस्था द्वारा ही स्वयं जांच पड़ताल करता है ?

डा० काटजू : जांच पड़ताल करने के लिये गृह मंत्रालयों की अपनी एक स्पेशल पुलिस है, किन्तु यदि शिक़ायत किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में है जो कि किसी अन्य मंत्रालय में काम करता हो तो उस शिक़ायत की विशेष जांच के प्रश्न पर सम्बद्ध मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाता है।

श्री पुन्नूस : क्या कोई ऐसा भी मामला था जिसमें किसी राज्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध शिकायत आई हो और क्या केन्द्रीय सरकार ने उसकी कोई जांच की थी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ये सब प्रश्न बहुत सामान्य प्रकार के हैं। मुझ इनमें कोई विशेष बात नहीं मालूम पड़ती।

अगला प्रश्न।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

*१४९८. **श्री एन० पी० दामोदरन :** (क) **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में विभाजन से पूर्व कितने विद्यार्थी थे और अब कितने ?

(ख) यदि संख्या में कमी हुई है, तो इसके कारण क्या हैं ?

(ग) विश्वविद्यालय को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने अब तक क्या क़दम उठाये हैं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इस विश्वविद्यालय में बी० ए० की भाग १ परीक्षा में उर्दू तथा इस्लामी संस्कृति अनिवार्य विषय हैं ?

(ङ) यदि हां तो क्यों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) विभाजन से पूर्व (१९४६-४७) विद्यार्थियों की संख्या ४,०४४ थी और १९५२-५३ में ४,५५१ थी।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या यह सत्य है कि उर्दू और इस्लामी संस्कृति के अनिवार्य विषय बनाने के कारण ही संख्या में कमी हुई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): जी नहीं

श्री नामधारी : लौकिक भारत में क्या प्रत्येक जाति को अपनी संस्कृति का प्रचार करने का मूलभूत अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मत का प्रश्न पूछ रहे हैं। आप संविधान को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

राज्याभिषेक में भाग लेने के लिये भारतीय नौसेना

*१५००. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिये भारतीय नौसेना के कोई जहाज़ भेजे जा रहे हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : भारतीय नौसेना के जहाज़ों को हर वर्ष ग्रीष्म में समुद्री यात्रा के लिये भेजा जाता है, जिसमें वे विशेष अभ्यास करते हैं। इस से बड़ा अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रस्ताव है, कि इस ग्रीष्म में यह अभ्यास भूमध्य सागर में किया जाये।

इंग्लैंड की सरकार के निमंत्रण पर, जो राष्ट्रमंडल को तथा अन्य देशों को दिया गया है यह निश्चय किया गया है कि स्पिटहैड में होने वाले "नौसेना-प्रदर्शन" (नैवल रिव्यू) में इस अभ्यास में भाग लेने वाले तीन जहाज़ों को भेजा जाये। यह सोचा गया है कि सारे राष्ट्रों के कई जहाजों के साथ इस 'नौसेना प्रदर्शन' में भाग लेने से भी काफ़ी अनुभव प्राप्त होगा।

प्रो० डी० सी० शर्मा : इस समारोह में अन्य कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

श्री त्यागी : जिन देशों ने स्वीकृति दी है वह यह हैं: अमरीका, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नार्वे, पुर्तगाल, थाईलैंड, डेनमार्क, इटली, ग्रीस, ब्राज़ील, बेल्जियम, टर्की और रूस।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या १९३७ के समारोह में भी रूस ने इसी तरह भाग लिया था ?

श्री त्यागी : जी हां, उस राज्याभिषेक में भी रूस ने भाग लिया था।

श्री नानादास : क्या यह सत्य है कि लन्दन में राज्याभिषक के समय प्रधान मंत्री के साथ कोई सैनिक अधिकारी न होगा ?

श्री त्यागी : प्रश्न राजनीतिज्ञों के बारे में नहीं, नौसेना के बारे में है।

श्री नानादास : क्या राज्याभिषेक के समय लन्दन में कोई सैनिक अधिकारी उपस्थित होंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मेरे साथ लन्दन कोई सैनिक या रक्षा सम्बन्धी परामर्शदाता नहीं जा रहा। वास्तव में, लन्दन में इस विषय पर हमारे बहुत से परामर्शदाता हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि वहां उनके परामर्श देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

अफ़ीम का निर्यात

*१५०१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री भारत से सन् १९५२ में निर्यात की गई अफ़ीम के निर्यात शुल्क से प्राप्त हुई आय को बतलाने की कृपा करेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : अफ़ीम पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है। इस लिये इस से प्राप्त होने वाली आय का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथ सिंह : गत वर्ष अफ़ीम का उत्पादन कितना था ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे लिये वास्तविक उत्पादन बतलाना तो सम्भव नहीं। प्रश्न निर्यात के बारे में है, मैं निर्यात की मात्रा बतला सकता हूं। १९५०-५१ में निर्यात १६७ टन था और १९५१-५२ में १६६½ टन।

श्री जी० पी० सिन्हा : हम ने अफ़ीम का निर्यात कब से बन्द कर दिया है ?

श्री ए० सी० गुहा : अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार दवा बनाने को छोड़ कर अन्य कार्यों के लिये हम अफ़ीम का निर्यात तथा आन्तरिक खपत प्रति वर्ष १० प्रतिशत कम करते जा रहे हैं । इस तरह दस वर्ष बाद यह बन्द हो जायेगा ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो अफ़ीम का निर्यात होता है वह किन किन देशों को होता है ?

श्री ए० सी० गुहा : अधिकतर अपने पड़ौसी देशों को यानी अदन, पाकिस्तान, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली भारत को । इन देशों को अफ़ीम दवा बनाने के अलावा अन्य कार्यों के लिये निर्यात की जाती है । दवा बनाने के लिये अमरीका तथा इंगलैंड को निर्यात की जाती है ।

श्री नानादास : हमें इसमें नुक़सान क्यों हो रहा है—क्या निर्यात में कमी होने के कारण या राजस्व को अकार्यकुशल रूप से इकट्ठा करने के कारण ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ग़ाज़ीपुर की फ़ैक्टरी से कितनी अफ़ीम बाहर भेजी गई ?

श्री ए० सी० गुहा : ग़ाज़ीपुर की फ़ैक्टरी है भारत में अफ़ीम तय्यार करने की एक फ़ैक्टरी है । मैं ठीक तरह से नहीं समझा कि आप क्या जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मात्रा कितनी है ?

श्री ए० सी० गुहा : सारा स्टाक वहां तैयार किया जाता है ।

डा० राम सुभगसिंह : ग़ाज़ीपुर से निर्यात की गई मात्रा कितनी है ?

श्री ए० सी० गुहा : वह वहां तैयार की जाती है । ग़ाज़ीपुर से निर्यात नहीं की जाती ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सत्य है कि हमने निर्यात केवल चीन से अच्छे सम्बन्ध रखने के लिये बन्द की है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

रक्षा सेवाओं के लिये रिवाल्वर

***१५०२. सरदार ए० एस० सहगल :** (क) रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रक्षा सेवाओं के लिये पहली अप्रैल, १९४८ से ३१ मार्च, १९५३ के बीच कितने रिवाल्वर किन किन फ़र्मों से ख़रीदे गये ?

(ख) क्या भारतीय आर्डनेन्स फ़ैक्टरियों में रिवाल्वर बनाने की कोई व्यवस्था है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) इंगलैंड से १९४८ में कुछ रिवाल्वर ख़रीदे गये थे । १९४९ से कोई ख़रीद नहीं की गई ।

(ख) हमारी सशस्त्र सेनाओं को रिवाल्वरों की जितनी ज़रूरत होगी उसके लिये आर्डिनेन्स फ़ैक्टरियों में ही व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि जब से रिवाल्वर्स का एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है तब से हिन्दुस्तान की आर्डनेन्स फ़ैक्टरीज़ में कितने रिवाल्वर्स बनाये गये ?

श्री सतीश चन्द्र : शायद माननीय सदस्य का मतलब इम्पोर्ट से है ?

सरदार ए० एस० सहगल : जी हां ।

श्री सतीश चन्द्र : अभी तक कोई रिवाल्वर्स ही नहीं बने हैं क्यों कि उनकी ज़रूरत नहीं थी ।

अनुसूचित क्षेत्रों का नियन्त्रण

***१५०३. श्री भीखाभाई :** (क) गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को

संविधान की अनुसूची ६ के पैरा ३ के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिये कोई निदेश दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निदेश की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य पांचवीं अनुसूची के पैरा ३ को निर्दिष्ट कर रहे हैं; छठी अनुसूची के पैरा ३ को नहीं, जिसका सम्बन्ध आसाम की ज़िला परिषदों तथा प्रादेशिक परिषदों के क़ानून बनाने के अधिकार से है । यदि ऐसा है, तो उत्तर 'न' में है ।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भीखाभाई : मैं जान सकता हूं कि क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई अनियमितता है, और यदि ऐसा है तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को क्या निदेश दिये हैं ?

श्री दातार : हमें किसी अनियमितता का पता नहीं ।

श्री भीखाभाई : क्या यह सत्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण की बात को अनुसूचित आदिम जातियों के निर्धारण के विषय से मिला दिया गया है ?

श्री दातार : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका ।

श्री भीखाभाई : मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों में बनाई गई आदिम जाति परामर्शदात्री परिषदों के ठीक प्रकार से कार्य संचालन के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : आशा है कि पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग इन सब प्रश्नों पर विचार करेगा । यह ठीक है कि राजस्थान में बहुत से आदिवासी हैं जो कि किसी आदिम जाति वाले अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किये गये हैं ।

पंच वर्षीय योजना की क्रियान्विति में सेना से काम लेना

*२५०४. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार पंच वर्षीय योजना के किसी कार्य को करने के सम्बन्ध में सेना की स्थायी यूनिटों से काम लेने का है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) (क) जी नहीं ।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार यह समझती है कि इस प्रकार की प्रथा से सेना की कार्य कुशलता पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

श्री त्यागी : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उत्तर में दिया गया कारण इस बात को देखते हुये दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि यदि सेना से यह काम लिया गया तो इससे उसकी कार्यकुशलता पर कुप्रभाव पड़ेगा ? मैं समझता हूं कि वह यही जानना चाहते हैं ?

श्री त्यागी : इस में कार्यकुशलता का तो प्रश्न ही नहीं है । रक्षा सेनाओं की केवल इंजीनियरिंग यूनिटों से ही काम लिया जा सकता है और ये सब इन्जीनियरिंग यनिटें हमारी अपनी संस्थापनाओं में पहिले ही से काम कर रही हैं और रक्षा सेनाओं के आवश्यकताओं सम्बन्धी कार्यों में संलग्न

हैं। इस प्रयोजन के लिये सेना से काम नहीं लिया जा सकता क्यों कि केवल मज़दूरी के लिये सेना से काम लेना बहुत खर्चीला होगा।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : रक्षा सेनाओं से सम्बन्धित औद्योगिक विकास का भाग स्वयं पंचवर्षीय योजना का भाग है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार को मालूम है कि इस मामले में जनता के क्या विचार हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि चीन में कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वहां की जो फौजें हैं उन से भी काम लिया जाता है और वह फ़ौजें उस काम को तनदही से करती हैं और बड़े उत्साह से करती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं समझता हूं कि आप तर्क कर रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि गत कुछ वर्षों में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में सैनिकों से काम लिया गया था ?

श्री त्यागी : छावनियों के नज़दीक जहां भी ज़मीन मिल सकती है वहां सैनिक पहिले से ही अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन में काम कर रहे हैं। सैनिकों के पास जहां कहीं भी ज़मीन है वे वहां अपनी सब्ज़ियां भी अपने आप उगाते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या उनसे कृषि के विकास के लिये काम लिया जा रहा है, जैसा कि पंचवर्षीय योजना में दिया हुआ है ?

श्री त्यागी : यदि इसकी कोई सम्भावना हो तो मैं इसकी जांच करने के लिये तैयार हूं। यदि कोई राज्य सरकार सेनाओं से काम लेना चाहती है तो वह उनसे काम ले सकती है, मैं सदा ही ऐसा किसी भी योजना पर विचार करने के लिये तय्यार हूं।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के समक्ष कोई योजना है ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैं ने कहा हमारी सेना सीमित सेना है, जो कि स्थायी सेना है। यह चीन की जन सेना के समान नहीं है जो कि बड़े पैमाने पर काम कर सके। जो कार्य सैनिक कर रहे हैं उसी के लिये वे भरती किये गये हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण जांच समिति

*१५०५. **श्री गिडवानी** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई व्यवसायिक प्रशिक्षण जांच समिति ने, जो कि मेहरचन्द खन्ना समिति कहलाती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो वह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ?

(ग) उस समिति की क्या सिपारिशें थीं और क्या सरकार ने उन सिपारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

(घ) क्या सरकार सदन पटल पर उस रिपोर्ट की एक प्रति रखेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) १९ फरवरी, १९५३ को।

(ग) नीति विषयक मामलों पर निर्णय कर लिये गये हैं, जिन पर कि क्रियान्वित करने के अभिप्राय से राज्य सरकारें और पुनर्संस्थापन तथा सेवानियोजन महानिदेशक विस्तृत रूप से जांच कर रहे ह। सिपारिशों का एक संक्षिप्त विवरण सदन

पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ठ १०, अनुबन्ध संख्या २]

(घ) जी हां ।

श्री गिडवानी : जिन को प्रशिक्षणार्थियों के रूप में लिया जायगा उनकी योग्यताएं क्या होंगी ?

श्री ए० पी० जैन : व्यवसाय और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सरल से हैं, प्रशिक्षणार्थी शिक्षित होने चाहियें और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने चाहियें ।

श्री गिडवानी : जो प्रशिक्षणार्थी लिये जायेंगे क्या उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता होना आवश्यक है ?

श्री ए० पी० जैन : हम कुछ स्थानों को नियत कर देंगे और उम्मीदवारों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं, उनकी शारीरिक रचना, उनके प्रशिक्षण तथा अन्य बातों का ध्यान रखते हुए सर्वोत्तम उम्मीदवारों को उन स्थानों के लिये ले लेंगे ।

श्री गिडवानी : यह बताया जाता है कि स्थानीय, राज्य तथा केन्द्रीय परामर्श-दात्री समितियां केन्द्रों का अधीक्षण करने, उम्मीदवारों को छांटने, तथा आदेश प्राप्त करने में सहायता करने के लिये स्थापित की जायेंगी । स्थानीय समितियों के कौन कौन सदस्य होंगे ? मैं जान सकता हूं क्या विस्थापित व्यक्ति नामनिर्देशित किये जायेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ समितियों ने ये सिपारिशें की हैं । राज्य सरकारों के परामर्श से इन सिपारिशों की जांच की जा रही है और परामर्शकार्य पूर्ण हो जाने के बाद ही यह निर्णय किया जायगा कि परामर्शदात्री समितियों में किस प्रकार के और कितने व्यक्ति रखे जायेंगे ।

श्री गिडवानी : इस समिति की यह सिपारिश है कि स्त्रियों के आश्रम तथा अपांग-गृहों के अतिरिक्त महिला केन्द्र राज्य सरकारों को सौंप दिये जायें । सरकार को यह मालूम है कि ऐसी सार्वजनिक संस्थायें हैं जो कि इन संस्थाओं को बहुत कम खर्च से चला रही है । क्या इन केन्द्रों में से कुछ केन्द्रों को इन संस्थाओं को दे देना उपयुक्त नहीं समझा जाता ?

श्री ए० पी० जैन : मैं माननीय सदस्य के इस वक्तव्य को नहीं मानता कि गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले सभी केन्द्र बहुत कम खर्चे पर चलते हैं । वास्तव में, हाल ही में मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि पश्चिमी बंगाल में अनाथालयों में प्रत्येक छात्र पर २७ रुपये खर्च होते हैं जब कि सरकारी केन्द्र में २४ रुपये खर्च होते हैं । किन्तु सरकार की इन संस्थाओं को सुसंगठित तथा अच्छी प्रकार से स्थापित गैर-सरकारी संस्थाओं को अधिकाधिक सौंप देने की नीति रही है ।

कार्डाइट फ़ैक्टरी

*१५०६. **श्री ऐन० एम० लिंगम् :** (क) रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अरावंकाडू की कार्डाइट फैक्टरी में सल्फ्यूरिक एसिड तय्यार करने के लिये एक प्लांट लगाया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो प्लांट का खर्च कितना है ?

(ग) प्लांट की अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन कितना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) ८,१८,००० रुपये ।

(ग) प्लांट की अधिष्ठापित क्षमता ९८ प्रतिशत सल्फ्यरिक एसिड के १० टन

प्रति दिन हैं। प्लांट के कुछ फालतू पुर्जे आ जाने पर सल्फ्यूरिक एसिड तय्यार किया जायगा और ऐसी आशा की जाती है कि उत्पादन कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

श्री एन० एम० लिंगम् : मैं जान सकता हूं कि जब यह प्लांट पूर्ण उत्पादन कार्य करने लगेगा तो क्या सरकार का किरकी की हाई एक्सप्लोसिव्स फैक्टरी जैसी अन्य ऑर्डनेंस फैक्टरियों को सल्फ्यूरिक एसिड देने का विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : सल्फ्यूरिक एसिड हमारी एक्सप्लोसिव फैक्टरियों की आवश्यकता के लिये तय्यार किया जाता है।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या यह सत्य है कि रेलों में सल्फ्यूरिक एसिड ले जाने की व्यवस्था न होने के कारण अन्य फैक्टरियों ने बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड मंगाने के लिये अपने प्रबन्ध किये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : असैनिक आवश्यकता के विषय में तो मुझे पता नहीं। जहां तक मुझे पता है, देश में बहुत से सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के संयंत्र लगे हुए हैं जो फैक्टरियों की अधिकांश आवश्यकताएं और अन्य असैनिक आवश्यकताएं भी पूरी कर रहे हैं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है और क्या यह असैनिक उपयोग के लिये प्राप्य हो सकेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने वाले संयंत्रों की क्षमता इतनी है कि वे इतना एसिड तैयार कर सकते हैं जो आवश्यकताएं पूरी करने के बाद भी फालतू बच सके। परन्तु, जैसा कि एक अन्य माननीय सदस्य ने बतलाया, कठिनाई यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड को दूर दूर के स्थानों पर भेजने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी कारण संयंत्रों की पूरी उत्पादन क्षमता का भी लाभ नहीं उठाया जा सकता। हां, यह उत्पादन क्षमता कायम रखी जा रही है ताकि संकट काल में हम उसका लाभ उठा सकें।

नाइट्रोसैल्यूलोज

*१५०७. **श्री एन० एम० लिंगम्** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अरवंकाडु की कार्डाइट फैक्टरी में नाइट्रोसैल्यूलोज उत्पादित किया जा रहा है ?

(ख) भारत में कितनी मात्रा में नाइट्रोसैल्यूलोज का आयात किया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां।

(ख) जानकारी प्राप्य नहीं है।

ऋण सहायता के अन्तर्गत परियोजनाएं

*१५०८. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण सहायता के लिये कौन कौनसी परियोजनाएं छांटी गई हैं ;

(ख) कौन कौन सी परियोजनाओं को उक्त सहायता मिल गई है तथा कितनी कितनी ; तथा

(ग) उक्त सहायता के लिये परियोजनाओं का चुनाव करते समय किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). चुनी,

गई परियोजनाएं तथा प्राप्त हुई ऋण सहायता की राशि इस भांति है :—

परियोजना	ऋण सहायता की राशि
(१) रेलवे परियोजना	३२८ लाख डालर
(२) कृषि-यंत्र परियोजना	७५ लाख डालर
(३) दामोदर घाटी परियोजनाएं (१ तथा २ ऋण):	३८० लाख डालर
(४) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (विकास कार्यक्रम)	३१५ लाख डालर
पूर्ण योग .	१०९८ लाख डालर

टाटा कम्पनी की ट्रामवे विद्युत परियोजना के लिये १४७ लाख डालर का ऋण दिये जाने के लिये हाल में बातचीत प्रारम्भ हुई है ।

८० लाख डालर का एक ऋण आई० एफ० सी० को दिये जाने के लिये भी बात चीत पूर्ण होने वाली है ताकि वह विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों को अपने विदेशी विनिमय सम्बन्धी आभारों को पूरा करने के लिये अग्रिम धन दे सके ।

(ग) ऋण सहायता के लिये परियोजनाओं का चुनाव तब किया जाता है जब कि योजना आयोग, भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय और समुचित राज्य सरकारें उन परियोजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकता, कुल उद्व्यय और विदेशी विनिमय के व्यय का अध्ययन कर चुकी होती हैं ।

बैंक को ऋण के लिये औपचारिक प्रार्थनापत्र भेजे जाने के पूर्व, उसके साथ अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है । सामान्यतया वह परियोजनाओं का मौके पर अध्ययन करने के लिये कुछ लोगों को यहां भेजता है जो कि यह देखने के लिये सरकार के प्राधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिये अमुक परियोजना का कितना महत्व है । इस प्रकार के विचार विमर्श से बैंक द्वारा ऋण सहायतार्थ स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के चुनाव में मदद मिलती है ।

श्री नानादास : कितनी ऋण राशि अब तक व्यय हुई है और यह किस देश में व्यय हुई है ?

श्री बी० आर० भगत : आप यह जानना चाहते हैं कि कितना ऋण लिया जा चुका है ? कोई ५०७ लाख डालर लिये जा चुके हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह राशि अमरीका के बाहर किस प्रकार व्यय हुई है ?

श्री बी० आर० भगत : अधिकांश व्यय डालर देशों—अमरीका तथा कनाडा में हुआ है ।

श्री नानादास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई मशीनें आदि भी मंगाई गई हैं और यदि मंगाई गई हैं, तो किन देशों से ।

श्री बी० आर० भगत : मैं समझता हूं कि सारा आयात अमरीका तथा कनाडा से किया गया है ; डालर क्षेत्र के बाहर से कुछ भी आयात नहीं किया गया है ।

श्री के० के० बसु : क्या भारत सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका से आयात की जाने वाली मूल मशीनों आदि का मल्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है या हमारी सरकार इन चीजों को खुले बाजार में खरीदती है ?

श्री बी० आर० भगत : मेरा ख्याल है कि यह खरीद हमारे "सप्लाई मिशन"

द्वारा स्पर्धी मूल्य पर खुले बाजार में ही की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं । हमारे उपर कोई ऐसा आभार नहीं है कि हम यह सामान किसी विशेष स्रोत से ही खरीदें । इस मामले में अमरीका की सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अमरीकी सरकार के अधीन नहीं है ।

श्री के० के० बसु: यदि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जैसी कोई असरकारी फर्म अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेती है, तो क्या एक शर्त यह भी लगाई जाती है कि ऐसे सब मामलों में सरकार को "गारन्टर" होना पड़ेगा ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार के पास इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जैसी अलग अलग फर्मों पर नियन्त्रण रखने का विशेष अधिकार है ?

श्री बी० आर० भगत: जी हां, सरकार असरकारी फर्मों को दिये गये ऋणों की "गारन्टी" करती है और उस सीमा तक सरकार का उन फर्मों पर नियन्त्रण भी रहता है ।

सेठ गोविन्द दास: माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि लोहे और इस्पात के कारखाने के सम्बन्ध में भी क़र्ज़ का इन्तज़ाम हो गया है । तो क्या अभी तक सरकार ने इस बात का भी निर्णय किया या नहीं कि यह लोहे और इस्पात के कारखाने किधर बनाये जायेंगे ?

श्री बी० आर० भगत: माननीय सदस्य ग़लतफ़हमी में हैं । यह जो लोहे का क़र्ज़ मिला है, वह आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के ऐक्सपैंशन प्रोग्राम में है ।

श्री पुन्नूस: माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि हमारे ऊपर यह आभार नहीं है कि हम यह सामान अमरीका से ही खरीदें । उस दशा में, क्या मैं इस बात के कारण ज्ञात कर सकता हूं कि हम ने सारी खरीद अमरीका से ही क्यों की है, अन्य कहों से क्यों नहीं ?

श्री बी० आर० भगत: क्योंकि हम अधिकांश ऋण परियोजनाओं सम्बन्धी विदेशी विनिमय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये लेते हैं और इनमें से अधिकांश डालरों में होते हैं, अतः खरीद डालर क्षेत्रों में की जाती है । स्टर्लिंग तथा अन्य मुद्राओं के सम्बन्ध में तो कोई कठिनाई ही नहीं है, अतः ये ऋण विशिष्ट रूप से डालर क्षेत्रों के लिये ही लिये जाते हैं ।

श्री दामोदर मेनन: क्या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने मांगे गये सब ऋणों पर मंजूरी दे दी है या कुछ अस्वीकृत भी कर दिये हैं ?

श्री बी० आर० भगत: सब पर नहीं ।

श्री जोशिम अलवा: भारत को जितने ऋण दिये गये उनमें से अन्तिम ऋण का पुनर्भुगतान किस वर्ष तक किया जाना होगा ?

श्री बी० आर० भगत: प्रत्येक के पुनर्भुगतान का वर्ष अलग अलग है । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं एक विवरण दे सकता हूं ।

नागाओं द्वारा मुंड-वेधन

*१५०९. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में भारतीय राज्य-क्षेत्र में नागाओं द्वारा मुंड-वेधन की कितनी घटनायें हुईं ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह: "मुंड-वेधन" का क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय: आप किसी अन्य व्यक्ति से पूछ सकते हैं । अगला प्रश्न ।

श्री नाना दास: एक प्रश्न, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय: कोई जानकारी नहीं दी जा रही है ।

श्री नानादास: मैं तो उनकी संख्या के अतिरिक्त कुछ और पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: चाहे कुछ भी हो ।

श्री नानादास: मैं यह जानना चाहता हूं कि नागाओं द्वारा मुंड-वेधन किये जाने के पृष्ठ में क्या उद्देश्य निहित हैं ?

अध्यक्ष महोदय: मेरा ख्याल है कि यह जानकारी तो आप उन लोगों से ही प्राप्त करें तो अच्छा हो, जो इस काम को करते हैं । अगला प्रश्न ।

पुस्तकालय आन्दोलन

*१५१०. **श्री झूलन सिन्हा**: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में शैक्षिक विकास की योजना के एक भाग के रूप में, राज्यों को पुस्तकालय आन्दोलन के विकास तथा एक पुस्तकालय सेवा की स्थापना के सम्बन्ध में कितना अनुदान मंजूर किया गया है या मंजूर किये जाने की प्रस्थापना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उप मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई शिक्षा विकास की पंच वर्षीय योजना के भाग के रूप में राज्यों में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिये १९५२-५३ में केन्द्रीय राजस्व में से राज्य सरकारों को ९,५९,४१३ रुपये दिये गये थे । १९५३-५४ में इस प्रयोजन के लिये जो धन दिया जायगा वह, राज्य सरकारों से जो योजनायें प्राप्त होंगी उनके आधार पर निश्चित किया जायगा । फिर भी, अत्यधिक शिक्षा सम्बन्धी विकास वाले क्षेत्रों की योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों को दिये जाने वाले धन के अतिरिक्त, १९५२-५३ में देश में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिये १० लाख रुपये की राशि अस्थायी रूप से अलग रख दी गई है ।

श्री झलन सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि इसमें से कितना धन बिहार राज्य को १९५२-५३ में दिया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय: लगभग ९ लाख रुपयों में से दोनों योजनाओं के अन्तर्गत बिहार को कुल ६,६०० रुपये दिये गये थे ।

सेठ गोविन्द दास: क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि भारतवर्ष में सब से अच्छे पुस्तकालयों की पद्धति बड़ौदा राज्य में थी और क्या आगे के काम के लिये उस पद्धति की भी मद्देनज़र रखा जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, यह तो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है कि वह अपने यहां से योजना बना कर यहां भेजे और जब वहां से योजना आयेगी तो सहायता के लिये उन सब योजनाओं पर विचार किया जायेगा ।

श्री पी० एन० राजभोज: क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गवर्नमेंट सहायता मंजूर करते वक्त सूबों को इस प्रकार की कोई हिदायत देती है कि इस रक़म में से ज्यादा हिस्सा शेड्यूल्ड कास्ट वाली आबादियों में लाइब्रेरियां खोलने के लिये खर्च किया जाये ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): नहीं ।

श्री झूलन सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि यह धन राज्यों को किस आधार पर नियत किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य सभी राज्यों के नियत किये जाने वाले धन के विषय में सूचना चाहते हैं ?

श्री झूलन सिन्हा: विशेषकर बिहार के बारे में ।

श्री के० डी० मालवीय: इसका आधार यह है कि राज्य सरकारें विशेष प्रयोजन के लिये योजनायें प्रस्तुत करती हैं, तब सभी योजनाओं पर विचार किया जाता है और धन नियत किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य: श्रीमान् जी, सूचनार्थ केवल एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय: अतः हम अगले प्रश्न को लें ।

श्री गणपति राम अनुपस्थित । अब प्रश्न सूची समाप्त हो गई ।

श्री पी० एन० राजभोज: मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रश्न नम्बर १४९० का, जो श्री जांगड़े के नाम में है, उसका उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री प्रश्न संख्या १४९० का उत्तर देने के लिये तय्यार हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जी हां, श्रीमान् जी ।

आदिवासियों का ईसाई बनाया जाना

*१४९०. { **श्री पी० एन० राजभोज** : **श्री जांगड़े** ।

(क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार से अथवा स्थानीय जनता से अथवा समाचार पत्रों द्वारा ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर ज़िलों में आदिवासियों को धन का लोभ दे कर और कभी कभी उनको डरा धमका कर ईसाई बनाया गया है । और आदिवासियों के मन्दिरों को गिरजाघरों में बदला जा रहा है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : कुछ ऐसे समाचार मिले हैं जिन में यें आरोप लगाये गये हैं कि मध्य प्रदेश के सरगुजा और रायगढ़ ज़िलों में काम करने वाले पादरी धर्म परिवर्तन में लगे हुये हैं और इससे वहां के ग़ैर-ईसाई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है । परन्तु इन समाचारों में ऐसे उदाहरण नहीं दिये गये जहां कि मन्दिरों को गिरजाघरों में परिवर्तित किया गया हो ।

(ख) जहां भी इन धर्म प्रचारकों की कार्यवाहियां आपत्तिजनक हैं, सरकार उन्हें रोकने के लिये कार्यवाही कर रही है । परन्तु इन का व्यौरा बताना जनहित में नहीं है ।

श्री पी० एन० राजभोज: क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की कृपा करेगी कि ईसाई मिशनरीज़ ने कितने आदिवासियों को ईसाई बना लिया ?

श्री दातार : हमारे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज: यह मिशनरीज़ किस स्कूल के हैं और क्या गवर्नमेंट उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देती है ?

श्री दातार: सरकार उन्हें केवल शिक्षा तथा डाक्टरी सहायता के सम्बन्ध में सहायता दे रही है ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच हैं कि रायगढ़ ज़िले के जशपुरनगर के इलाक़े में इन ईसाई पादरियों का बहुत ज़ोर है और वहां के आदिवासियों को वह ज्यादा अपने मत में लाने की कोशिश कर रहे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इस सम्बन्ध में समाचार मिले हैं और राज्य सरकार इन पर मुस्तैदी से विचार कर रही है ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस अवस्था की ओर सरकार का ध्यान कब दिलाया गया ?

डा० काटजू: मेरा विचार है कि लगभग ६ मास पहले ।

श्री रघुनाथ सिंह: इस में अमेरिका के कितने लोग हैं, अमेरिकन मिशनरीज़ कितने हैं ?

डा० काटजू : अमरीका के मिशनरीज़ हैं, मगर कितने लोग हैं यह नहीं कहा जा सकता, वैसे आम तौर पर एक मिशनरी सेंटर पर दो, चार या छै तक आदमी रहते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि लगाये गये आरोपों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की है और उन लोगों को अपने कार्य पर प्रकाश डालने का अवसर दिया है, जिन पर ये आरोप लगाये गये हैं ?

डा० काटजू : मिशनरी संस्थाओं को यह बात स्पष्ट बता दी गई थी कि यदि वे डाक्टरी या शिक्षा की सुविधायें देने जैसे सामाजिक भलाई के काम करना चाहें तो बड़ी खुशी से कर सकती हैं परन्तु यदि वे धर्म परिवर्तन करने लगें तो यह बुरी बात होगी, मूल नियम यही है ।

श्री ए० एम० टामस: मेरा प्रश्न यह था कि कोई निष्पक्ष जांच की गई है ।

डा० काटजू: जांच की जा रही है । जैसा कि मैं ने कहा इन सब मामलों पर मुस्तैदी से विचार किया जा रहा है । सदन इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझ पर अधिक ज़ोर न डाले तो अच्छा है ।

श्री नानादास: श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ये मिशनरी किस देश के हैं ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में हम और बारीकियों में जा रहे हैं । अब हम अगले कार्यक्रम को प्रारम्भ करते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ऊपरी आसाम में पेट्रोलियम की खानें

*१४९२. { **श्री अमजद अली**: **श्री रिशांग किशिंग**:

क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १५ मार्च, १९५३ के "हिन्दुस्तान टाइम्ज़ ईवनिंग न्यूज़" में "ऊपरी आसाम में पेट्रोलियम की खानें"—इस शीर्षक के अधीन प्रकाशित हुये समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है या ऊपरी आसाम के सिबसागर ज़िले में नाहर कटिया नामक स्थान पर पेट्रोलियम की बड़ी अच्छी खानें होने की पड़ताल की गई है और साथ ही इस बात की कि वहां खोदे गये तेल के एक कुएं से इतना तेल निकल सकेगा जो कि डिगबोई में तेल के उत्पादन का आठ गुना होगा ;

(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में तेल की खोज कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ) . आसाम आयल कम्पनी लि० नाहर कटिया क्षेत्र में तेल खोजने का काम कर रही है । उसे आसाम सरकार ने पेट्रोलियम रियायत नियम, १९४९ के अनुसार फ़रवरी, १९५१ में तेल की खोज लगाने का लाइसेंस दिया था । आसाम आयल कम्पनी लि० तथा आसाम सरकार द्वारा नाहर कटिया क्षेत्र में तेल पाये जाने के सम्बन्ध में जो प्रेस घोषणा निकाली थी, उस की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट १० अनुबन्ध संख्या ३]**

मनीपुर के बाढ़ पीड़ित लोग

*१४९५. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **राज्य** मंत्री २ मार्च, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०८ पर पूछे गये पहले अनुपूरक प्रश्न की ओर निर्देश कर के, जो कि मनीपुर के बाढ़ पीड़ित लोगों के सम्बन्ध में था, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की नदियों के किनारों पर बाढ़ वाले क्षेत्रों में मुरम्मत का सारा काम पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक इस काम में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

रिटायर हुए जे० सी० ओ० आदि को पेन्शन

*१४९६. **बाबू राम नारायण सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद और मैसूर में रिटायर ये जे० सी० ओ० और अन्य रैन्क्स को मासिक पेन्शन दी जाती है और पंजाब तक बंगाल में उन्हें तीन महीने की इकट्ठी पेन्शन दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ;

(ग) क्या आनरेरी भारतीय कमिशन प्राप्त जे० सी० ओ० और आई० सी० ओ० लोगों को मासिक पेन्शन दी जाती है और सेना के अन्य कर्मचारियों को नहीं ;

(घ) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिन में यह भेद भाव मिटाने के लिये कहा गया हो ; और

(च) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय सेना के अधिकतर पेन्शन प्राप्त (जे० सी० ओ० तथा अन्य रैंक्स) व्यक्ति, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां पेन्शन का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाता है । इन लोगों की संख्या अधिक है ; इस बात को देखते हुये अब हर महीने पेन्शन का भुगतान करने का प्रबन्ध करने में प्रशासन की कठिनाइयां पड़ेंगी और खर्च भी अधिक होगा । और फिर उन क्षेत्रों में भी जहां हर महीने पेन्शन का भुगतान किया जाता है, यह देखा गया है कि पेन्शन पाने वाले समय समय पर अपनी पिछली पेन्शन लेने के लिये आते हैं। स्पष्टतया इस का यही कारण है कि उन के लिये हर महीने पेन्शन लेना महंगा पड़ता है क्यों कि उन्हें पेन्शन पाने के केन्द्रों तक जाने के लिये बड़ी दूरी तै करनी पड़ती है । पंजाब तथा यू० पी० में अधिकतर पेन्शन

पाने वाले, पेन्शनों के त्रैमासिक भुगतान के पक्ष में दिखाई देते है ।

(ग) आई० सी० ओ० लोगों को प्रति महीने पेन्शन का भुगतान किया जाता है । आनरेरी कमिशन पा कर आई० सी० ओ० बनने वाले जे० सी० ओ० यदि चाहें तो हर महीने अपनी पेन्शन पा सकते हैं । जहां तक अन्य जे० सी० ओ० तथा अन्य रैन्क्स का सम्बन्ध है, उन की पेन्शनों का भुगतान कुछ राज्यों में हर महीने और कुछ में तीन महीने बाद किया जाता है ।

(घ) आनरेरी भारतीय कमीशन वाले आई० सी० ओ०तथा जे० सी० ओ० पेन्शनरों की संख्या अन्यों की तुलना में कम है । उन की पेन्शन भी अधिक है और इस लिए उन्हें हर महीने पेन्शन लेने में होने वाले खर्च की परवाह नहीं है ।

(ङ) जी, हाँ ।

(च) हाल ही में विभिन्न राज्यों में रहने वाले जे० सी० ओ० तथा दूसरे रैंक्स के पेन्शनरों से पूछताछ की गई । इस पूछताछ के फलस्वरूप, बिहार में रहने वाले पेन्शनरों को, जिन में से अधिकतर चाहते थे, प्रति मास पेन्शन का भुगतान किए जाने की आज्ञा दे दी गई है । अन्य राज्यों में अधिकतर पेन्शनर प्रस्तुत प्रबन्ध के पक्ष में थे ।

मद्रास में विस्थापित परिवार

*१४९९. **श्री सी० आर० चौधरी :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए कितने ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को मद्रास राज्य में बसाया गया है ?

(ख) उनको क्या पुनर्वास सुविधायें दी गई हैं ?

(ग) अन्य राज्यों को चले जाने वाले विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में टकसालें

*१५१२. **श्री गणपति राम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में टकसालों की संख्या और उन में सेवा युक्त कर्मचारियों की संख्या ;

(ख) क्या अलीपुर कलकत्ता में बनाई जाने वाली नई टकसाल बन कर तैयार हो गई है और उस ने सिक्के ढालने का काम शुरु कर दिया है ; तथा

(ग) प्रति दिन ढाले गये सिक्कों की संख्या ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) इस समय भारत में तीन टकसालें काम कर रही हैं । उन में सेवायुक्त कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

(१) बम्बई टकसाल	१,६२२
(२) हैदराबाद टकसाल	१८५
(३) अलीपुर टकसाल	२,०१९
	३,८२६

(ख) जी हां, श्रीमान्, उस ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है परन्तु अपनी पूरी सामर्थ्य क्षमता से नहीं ।

(ग) (१) **बम्बई टकसाल :** प्रति दिन पांच लाख सिक्के ;

(२) **हैदराबाद टकसाल :** प्रति दिन ३१,००० सिक्के ;

(३) **अकीपुर टकसाल** : १४ अप्रैल, १९५३ तक ३.८५ लाख सिक्के प्रतिदिन ; १५ अप्रैल, १९५३ प्रति कार्य दिवस पांच लाख सिक्के ढाले जाते हैं ; अभी टकसाल अपनी पूर्ण सामर्थ्य से काम नहीं कर रही है ।

केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान केन्द्र (मद्रास)

*१५१३. **श्री गणपति राम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान केन्द्र, मदरास में अब तक किया गया अनुसन्धान कार्य ;

(ख) अनुसन्धान कार्य पर लगे विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थी पर सरकार द्वारा किया गया व्यय; तथा

(ग) विदेशी उपाधिपत्र रखने वाले उन विद्यार्थियों की संख्या, यदि कोई हो, जो अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं और उन को दी गई सुविधायें ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४]**

नया सेना वेतन कानून

११५२. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वह तिथि जब से सेना सेवा निकाय के जूनियर कमीशण्ड (कनिष्ठ कमीशन प्राप्त) अफसरों (खाद्य विश्लेषण) को नय सेना वेतन कानून के अन्तर्गत लाया गया ;

(ख) उक्त आदेश के प्रकाशित होने की तारीख ;

(ग) जो व्यक्ति परिवर्त्तित शर्तों के अनुसार अपनी सेवाएं जारी नहीं रखना चाहते हैं क्या उनको सेवामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान किया गया है ; तथा

(घ) क्या यह तथ्य है कि उपरोक्त वर्णित कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफसरों की श्रेणी के बहुत से व्यक्तियों ने सेवा सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप सेवामुक्त किये जाने की प्रार्थना की थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १ जुलाई, १९४७ ।

(ख) २१ जून, १९४७ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) किसी भी कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफसर से ऐसी कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । सेवा की मूल शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण सुविधाओं और लाभों सहित सेवा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिनिधान किये गये थे । इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि जब कि नये वेतन कानून को लागू किया गया था तो सरकार की नीति सेवा शर्तों में कोई विकल्प देने की नहीं थी अपितु यदि कोई नई दरों के अनुसार अधिक वेतन पा रहा हो तो उसे सुविधाजनक किस्तों में समन्वय करने की थी ।

त्रिपुरा में कृषिकों तथा विस्थापित व्यक्तियों के बीच झगड़े

११५३. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा राज्य सरकार की भूमि अवाप्ति नीति के कारण सन् १९५२-५३ में स्थानीय कृषकों तथा विस्थापित व्यक्तियों के मध्य चल रहे झगड़ों की संख्या ; तथा

(ख) सरकार द्वारा अब तक निपटाये गये झगड़ों की संख्या तथा चल रहे मामलों की संख्या ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अफ़ीम की खेती में लगी भूमि

११५४. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में भारत में कितनी एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की गई ?

(ख) यह फ़स्ल सन् १९५१-५२ की फ़स्ल की तुलना में कैसी है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). सन् १९५१-५२ में अफ़ीम की खेती में लगी ५६,१८८ एकड़ भूमि की तुलना में सन् १९५२-५३ में ८१,६०७ एकड़ भूमि पर अफ़ीम की खेती की गई। सन् १९५१-५२ में पैदावार ७,०३५ मन हुई थी परन्तु सन् १९५२-५३ की पैदावार के आंकड़े जून, १९५३ में ही उपलब्ध हो सकेंगे। अफ़ीम के अभेषजिक इस्तेमाल को कम कर देने की भारत की नीति के अनुसार अफ़ीम की अधिक पैदावार को भेषजिक कार्यों के लिये भारतीय अफ़ीम की विदेशी मांग को पूरा करने के लिये अधिकांशतया काम में लाया जायेगा। निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार केवलमात्र आयात करने वाले देशों द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेन्सों के प्राप्त होने पर किये जाते हैं।

शिक्षा प्रसार

११५५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देहाती क्षेत्रों में बुनियादीपूर्व-स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का प्रसार करने के सम्बन्ध में, जिस से कि देहातों से नगरों को होने वाला प्रव्रजन बन्द हो जाये, नागपुर में हुए २७ वें अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की गई सिफारिशें क्या है ;

(ख) सम्मेलन में प्रकट की गई आशा को ध्यान में रखते हुए क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग को माध्यमिक शिक्षा को राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्रजातंत्रीय आधार पर पुनसंगठित करने के सम्बन्ध में कोई अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन योजनायें प्रस्तुत करनी हैं;

(ग) क्या सरकार ने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की प्रस्थापनाओं की जांच कर ली है, और यदि हां, तो उनमें से एक या एक से अधिक या सभी प्रस्थापनाओं को कार्ययोग्य समझा गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो क्या ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ङ) माननीय सदस्य का ध्यान इसी विषय पर ३१ मार्च, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८०७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

खुदाई

११५६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पुरातत्व विभाग सन् १९५२ में देश के किसी भी भाग में कोई भी नई खुदाई कर सका है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या कोई महत्वपू वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

रेजीमेन्ट केन्द्रों में उद्यान

११५७. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री भारतीय सेना के रेजीमेण्ट केन्द्रों में रखे गये रेजीमेण्ट उद्यानों की सम्पूर्ण संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) प्रत्येक का वार्षिक व्यय तथा उन से होने वाली आय क्या है ?

(ग) क्या इन लेखों की स्थानीय लेखा परीक्षा की जाती है, यदि हां तो कितनी बार ?

(घ) क्या उन सैनिकों को, जो श्रान्त श्रम के अनुसार कार्य करते हैं, इन उद्यानों की वार्षिक आय में से कोई लाभांश प्राप्त होता है ?

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो तो उन के क्या कारण हैं ?

(च) क्या कमांड अधिकारी और चमूपति (एडज्यूटेण्ट) को इन उद्यानों से मुफ्त शाक भाजी मिलती है अथवा वह मासिक आधार पर उस का भुगतान करते हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १०८ ।

(ख) प्रत्येक उद्यान के आय तथा व्यय सम्बन्धी आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं । समस्त उद्यानों के आय तथा व्यय सम्बन्धी आंकड़े क्रमशः ५,०७,६०० रुपये तथा रु० २,६८,२३३-११-८ हैं ।

(ग) रेजीमेंट लेखा परीक्षा पर्षद् द्वारा लेखाओं की त्रैमासिक लेखा परीक्षा की जाती है ।

(घ) और (ङ). वार्षिक आय में से सैनिकों को इस कार्य के लिये कुछ नहीं दिया जाता है, एक कारण तो हिसाब रखने में होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयां हैं और दूसरा कारण इन रेजीमेंन्ट उद्यानों के प्रभारी अकमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अर्दलियों को क्रमशः ५ रुपये और ३ रुपये की दर से दिया जाने वाला विशेष कार्य वेतन है । होने वाले लाभ को सैनिकों को अतिरिक्त सुविधायें देने तथा उनके कल्याण कार्यों पर व्यय किया जाता है ।

खाकसार आन्दोलन

११५८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत में खाकसार आन्दोलन को पुनरुज्जीवित किया जा रहा है और हाल ही में कोई २०० खाकसार बेल्चे और साम्यवादी झण्डे अपने हाथ में ले कर कानपुर की सड़कों पर निकले थे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : भारत सरकार को जो सूचना प्राप्त हुई है उस के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राज्यों के अतिरिक्त भारत के किसी भी अन्य राज्य में खाकसार आन्दोलन को पुनरुज्जीवित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । बताया जाता है कि कानपुर में कोई २५० व्यक्ति इस संस्था के सदस्य बनाये गये गये हैं और इन में से कोई २०-२२ व्यक्ति कभी कभी नगर के मुसलमानी मुहल्लों से हो कर निकलते हैं । उन में से कुछ के पास बेलचे और अर्द्धचन्द्र तथा सितारों वाले लाल रंग के झंडे होते हैं । यह झण्डे साम्यवादी दल के नहीं होते हैं ।

मनीपुर में पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

११५९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर में इस समय पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ;

(ख) मनीपुर में पुनर्वासित किये गये विस्थापित कृषक परिवारों की संख्या; उन को आवंटित की गई भूमि का एकड़ों में क्षेत्रफल और उन स्थानों के नाम जहां उन को पुनर्वासित किया गया है ;

(ग) अन्य श्रेणियों, जैसे कारीगरों, व्यापारियों, इत्यादि के विस्थापित व्यक्तियों की संख्या और उन में से सभी को पुनर्वासित नहीं कर दिया गया है ; तथा

(घ) उन को ऋण तथा उपदान के रूप में दी गई सम्पूर्ण धनराशि ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पूर्वी पाकिस्तान के ५१५ परिवार और पश्चिमी पाकिस्तान के ३१ परिवार ।

(ख) ४०६ । सैटों, सिराऊ, कंगला टौंग्बी और झिरीबाम में प्रत्येक परिवार को ५ एकड़ भूमि दी गई है ।

(ग) बढ़ईयों के १२ परिवारों और विभिन्न व्यवसाय जैसे व्यापार, नौकरी इत्यादि करने वाले मध्यम वर्ग के १२८ परिवारों को पुनर्वासित कर दिया गया है ।

		रुपये
(घ)	ऋण	४,१९,७८४
	अनुदान	७१,०००

मनीपुर की बाढ़ग्रस्त जनता

११६०. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **राज्य मंत्री** २ मार्च, १९५३ को मनीपुर की बाढ़ग्रस्त जनता के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस समय से उपयुक्त मामलों में लगान इत्यादि में छूट देने के लिये कोई आंकड़े एकत्रित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त मामलों की संख्या और प्रति व्यक्ति दी जाने वाली न्यूनतम छूट का निर्धारण ;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक आंकड़ों के उपलब्ध होने की प्रत्याशा है ; तथा

(घ) छूट दिये जाने के परिणामस्वरूप लगान में होने वाली अनुमानित हानि की परिमात्रा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में वेतन श्रेणियां

११६१. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **राज्य मंत्री** ५ मार्च, १९५३ को मनीपुर में वेतन श्रेणियों के विषय में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रेणी चार तथा तीन के कर्मचारियों को आसाम के वेतन क्रम लाभों से (जो कि मनीपुर में पुंनरीक्षित वेतन क्रम मान लिये गये हैं) क्यों अपवंचित किया गया है जब कि श्रेणी १ तथा २ के कर्मचारियों को लाभ दिये गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मनीपुर प्रशासन के विभिन्न विभागों के पदों के लिये स्वीकृत की गई पुनरीक्षित वेतन श्रेणियां आसाम सरकार के तत्संवादी स्थिति तथा उत्तरदायित्व वाले पदों की वेतन श्रेणियों के समान ही रखी गई हैं । पुनरीक्षित वेतन श्रेणियां तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को मिला कर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होती हैं । अतः इसमें तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन श्रेणियों के लाभ न देने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

विवरण

संविलयन से पूर्व तथा बाद में मनीपुर में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कुछ पदों की तुलनात्मक वेतन श्रेणियां

पद का नाम	संविलयन से पूर्व की वेतन श्रेणियां	पुनरीक्षित वेतन श्रेणियां	आसाम की वेतन श्रेणियां
सुपरिंटेंडेंट (वरिष्ठ)	१५०-१०-२००	१७५-१०-२२५	३००-२०-४००
सुपरिंटेंडेंट (कनिष्ठ)	१००-५-१५०	१२५-५-१७५	—
अपर डिवीज़न कर्ल्क	७५-५-१००	१००-५-१५०	२००-३००
लोअर डिवीज़न कर्ल्क	४५-३-७५	४०-२-५० कुशलता अवरोध (ऐफि श्येंसीबार, ३-८०-कुशलता अवरोध-४-१००	१००-२००
दफ्तरी	२०-१-३०	२५-१-३०	२५-१/२-३०
चतुर्थ श्रेणी			
चपरासी, चौकीदार आदि	१०-१-२०	२२-१/२-२८	२२-१/२-२८

आयकर कार्यालय, बनारस

११६२. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बनारस के आयकर कार्यालय में मुवक्किलों के बैठने इत्यादि के लिये कोई प्रबन्ध है ;

(ख) मुक़दमों में पैरवी करने वाले वकीलों और क्लर्कों के बैठने अथवा आराम करने के लिये क्या कोई स्थान सुरक्षित कर दिया गया है ;

(ग) बनारस में आयकर विभाग के लिये कोई नियमित भवन बनवा देने की क्या कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ; तथा

(घ) क्या सरकार मुवक्किलों की सुविधा के लिये आयकर कार्यालय को शहर के अन्दर स्थापित किये जाने के सुझाव पर विचार कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां, बनारस में आयकर विभाग में करदाताओं अर्थात् मुवक्किल आदियों के लिये एक सुसज्जित कमरे का अलग प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(ख) जी हां, आय कर अधिकारियों आदि के सम्मुख पैरवी करने वाले वकीलों तथा उनके क्लर्कों के बैठने या विश्राम करने के लिये एक कमरे का अलग प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(ग) जी हां, बनारस में आयकर कार्यालय के लिये एक इमारत बनाने का प्रस्ताव है किन्तु इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(घ) यदि इमारत बनाने का निश्चय किया जायगा तो सरकार इसे शहर के ही अन्दर बनाने की सम्भावना पर विचार करेगी, यदि कोई उपयुक्त स्थान उचित मूल्यों पर मिल जाये ।

फ़ांसीसी यनाम से माल का चोरीछिपे लाना

११६३. **श्री नानादास:** (क) क्या **वित्त** मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फ़ांसीसी यनाम (काकीनाडा के समीप) से भारत संघ में रोज़ के काम में आने वाला कौन कौन सा माल चोरी छिपे लाया जाता है ?

(ख) पहली जनवरी, १९५२ से ३१ माच, १९५३ तक की अवधि में यनाम से चोरी छिपे लाये गये माल का मूल्य कितना है और इसमें कितने शुल्क सन्निहित हैं ?

(ग) इस प्रकार चोरी छिपे माल लाने के काम को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) जिन चीज़ों के बारे में पता लगा कि उन्हें फ़ांसीसी यनाम से चोरी छिपे लाया जाता है वे निम्नलिखित हैं, अर्थात्

फ़ाउन्टेन पन, ताश, हाथ की घड़ियां, सिगरेट जलाने वाले यंत्र, रेशम तथा नक़ली रेशम के टुकड़े तथा धोतियां, पेंसिलें, स्क्रू पेंसिलें तथा मेज़ की घड़ियां ।

(ख) जिन चीज़ों के बारे में यह पता लग जाता है कि ये चोरी छिपे लाई गई हैं केवल उन्हीं का मूल्य बताया जा सकता है । पहिली जनवरी, १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक जिन के बारे में वास्तव में पता लग गया कि उन्हें यनाम के बाहर चोरी छिपे लाया गया है उनका मूल्य १,२५,००० रुपये (लगभग) है और उनका शुल्क ५१,००० रुपये (लगभग) है ।

(ग) इस प्रकार चोरी छिपे माल लाने के काम को रोकने के लिये सीमा पर गश्ती टुकड़ियां भूमि पर और नदियों पर गश्त लगाती हैं; इस काम को रोकने वाली पांच टकड़ियां हैं जो सीमा पर गश्त लगाती हैं तथा एक यनाम के समीप गोदावरी में गश्त लगाती है । इन टुकड़ियों की संख्या बढ़ाने का तथा इन्हें हथियार बन्द करने का विचार है क्योंकि चोरी छिपे माल ले जाने वाले आदमियों ने कभी कभी उनसे माल छीने जाते समय मुक़ाबला किया ।

फ़ौजी जूते (अम्यूनिशन बूट्स)

११६४. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहिली अप्रैल, १९४८ से ३१ मार्च, १९५३ तक रक्षा सेवाओं के लिये खरीदे गये फ़ौजी जूतों का मूल्य कितना था ?

(ख) सेना के वे ठेकेदार और दूसरे माल देने वाले व्यक्ति कौन हैं जिन में इस अवधि में फौजी जूते खरीदे गये थे ?

(ग) १५ अगस्त, १९४७ को चमड़े के जूते बनाने वाली कितनी आर्डिनेंस फ़ैक्टरियां थीं और प्रत्येक फ़ैक्टरी में कितने कर्मचारी थे ?

(घ) इस समय ऐसी कितनी फ़ैक्टरियां चल रही हैं और इन फ़ैक्टरियों में काम करने वाले कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ८५,८५,६५० रुपये ।

(ख) मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी, कानपुर ।

मैसर्स कानपुर टैनरी, लिमिटेड कानपुर ।

मैसर्स रुबी इण्डस्ट्रीज़, कानपुर ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) कोई नहीं ।

राज्य सरकारों से वसूल किये जाने वाले ऋण

११६५. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ मार्च १९५३ को केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से

वसूल किये जाने वाले ऋणों की पूर्ण राशि कितनी थी ;

(ख) उनका पुनर्भुगतान किस किस तारीख को किया जाना है ; तथा

(ग) प्रत्येक ऋण पर ब्याज की दर क्या है और वह किस कार्य के लिये लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) लगभग ३४० करोड़ रुपये ।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकारों से वसूल किये जाने वाले ऋणों के लगभग ६०० मद हैं जो उन्होंने 'अधिक अन्न उपजाओ', बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं, पुनर्वास जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिये लिये थे । वे १९५३ तक अलग अलग तारीखों को चुकाये जाने हैं और ब्याज की दर ऋ। की कालावधि के अनुसार भिन्न भिन्न है । सब से अधिक दर ४$^{१}/_{२}$ प्रतिशत, प्रति वर्ष है ।

वायु सेना प्रधान कार्यालय में केन्टीन

११६६. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि नई दिल्ली स्थित वायुसेना प्रधान कार्यालय में अफ़सरों, क्लर्कों और श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये पृथक् पृथक कैन्टीन हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि श्रेणी ४ के कर्मचारी अफ़सरों तथा क्लर्कों के कैन्टीन में चाय नहीं पी सकते हैं ?

(घ) क्या इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से कोई शिकायतें की गई हैं ?

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) एक कैन्टीन अधिकारियों तथा क्लर्कों के लिये है तथा एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये है ।

(ख) पहिले केवल एक ही कैन्टीन थी किन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अभ्यावेदन करने पर उनके लिये १९४८ के अन्त में एक अलग कैन्टीन खोल दी गई ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह उत्पन्न नहीं होता ।

रोपड़ में खुदाई

११६७. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोपड़ के स्थान पर खुदाई करने के परिणामस्वरूप विशेषरूप से ऐतिहासिक महत्व की किन वस्तुओं की खोज पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है ?

(ख) वहां यह खुदाई कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कितने दिनों यह चलेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान २ मार्च १९५३ को श्री राम सुभग सिंह द्वारा लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३९ के दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) रोपड़ में खुदाई का काम जनवरी १९५३ से आरम्भ हुआ और यह काम तब तक चलेगा जब तक ऐसा करना आवश्यक होगा ।

बृहदेश्वर मन्दिर

११६८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चोल राज्य काल के कुछ चित्र बृहदेश्वर मन्दिर में मिले हैं;

(ख) यदि ऐसा है, तो किस की देख रेख में इन चित्रों का पुनर्नवीकरण किया जा रहा है ;

(ग) इसका अनुमानित व्यय क्या होगा ; तथा

(घ) क्या यह चित्र चित्रकला पर कोई नवीन प्रकाश डालते हैं अथवा वह सा न्य कुतूहल की वस्तुएं हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) इस पर ३३,४२५ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(घ) ये चित्र १०वीं, तथा ११वीं शताब्दी की भारतीय भित्ति चित्रकला पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं ।

कोटला निहंग में खुदाई

११६९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोटला निहंग को खुदाई किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त हुई विशेष महत्व की वस्तुयें ;

(ख) इस कार्य पर अब तक हुआ व्यय ; तथा

(ग) इस कार्य के कब तक जारी रहने की सम्भावना है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) (क) कोटला निहंग में हाल ही में कोई खुदाई कार्य नहीं किया गया ।

(ख) तथा (ग). ये उत्पन्न नहीं होते ।

अंक ३

संख्या १७

मंगलवार

२१ अप्रैल १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:०:——

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

राज्य परिषद से प्राप्त होने वाले संदेश [पृष्ठ भाग ३७४७]

प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा अवशेष (राष्ट्रीय महत्व घोषणा) संशोधन विधेयक—राज्य परिषद द्वारा पारित किये गये रूप में सदन पटल पर रखा गया [पृष्ठ भाग ३७४७—३७४८]

निरसन एवं संशोधन विधेयक—राज्य परिषद द्वारा पारित किये गये रूप में सदन पटल पर रखा गया [पृष्ठ भाग ३७४८]

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

हैदराबाद के राजप्रमुख तथा रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के मध्य होने वाला संविदा [पृष्ठ भाग ३७४८]

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम १९५२ की धारा ११ के अन्तर्गत निर्गम की जाने वाली अधिसूचनायें [पृष्ठ भाग ३७४८—३७४९]

वायुयान निगम विधेयक—प्रार्थनापत्र की प्रस्तुति [पृष्ठ भाग ३७४९]

वायुयान निगम विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया [पृष्ठ भाग ३७४९—३८२०]

लोक सभा

मंगलवार, २१ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-५ म० पू०

राज्य परिषद् से प्राप्त होने वाले संदेश

सचिव : मैं सूचित करता हूं कि राज्य-परिषद् ने निम्नलिखित विधेयक संशोधन करने के पश्चात पारित किये हैं :—

(१) प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा अवशेष (राष्ट्रीय महत्व घोषणा) संशोधन विधेयक १९५३.

(२) निरसन एवं संशोधन विधेयक, १९५३.

प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा अवशेष (राष्ट्रीय महत्व घोषणा) संशोधन विधेयक तथा निरसन एवं संशोधन विधेयक।

सचिव : मैं सदन पटल पर निम्नलिखित विधेयक रखता हूं, जो राज्य परिषद् द्वारा

संशोधन करने के पश्चात पारित किये जा चुके हैं :

(१) प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा अवशेष (राष्ट्रीय महत्व घोषणा) संशोधन विधेयक, १९५३.

(२) निरसन एवं संशोधन विधेयक, १९५३.

सदन पटल पर रखे गये पत्र

हैदराबाद के राजप्रमुख तथा रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के मध्य होने वाला संविदा

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं, रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया अधिनियम १९३४ की धारा २१—(क) की उपधारा (२) के अन्तर्गत, ३१ मार्च, १९५३ को रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया तथा हैदराबाद के राजप्रमुख के मध्य होने वाले मौलिक तथा अनुपूरक संविदाओं में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा है देखिये संख्या ४, ओ० ३ (३९)**]

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ के अन्तर्गत निर्गम किये जाने वाली अधिसूचनायें

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते विधेयक, १९५२

[श्री दातार]

की धारा ११ की उपधारा (२) के अनुसार निम्नलिखित गृह कार्य मंत्रालय की अधि-सूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या १८/३७/५२-पब्लिक---दिनांक २ जनवरी, १९५३. [पुस्तकालय में रखा है देखिये संख्या एस--३५/५३.]

(२) अधिसूचना संख्या १८/३७/५२-पब्लिक दिनांक १४ जनवरी १९५३ [पुस्तकालय में रखा है दखिए संख्या एस-३५/५३]

वायुयान निगम विधेयक
प्रार्थनापत्र की प्रस्तुति

श्री गिडवानी (थाना): वायुयान निगम विधयक के सम्बन्ध में मैं एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता हूं जिस पर २४६ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह इस को तो प्रार्थना पत्र समिति के पास भेजना चाहिए ।

वायुयान निगम विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जग जीवन राम द्वारा २० अप्रेल को रखे गये प्रस्ताव पर अग्रतर विचार करेंगे । श्री बंसल ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : वाद विवाद के समय जो सामान्य सिद्धान्तों के प्रश्न उठाये गये हैं उन के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि विधेयक के प्रवर समिति में जाने के पूर्व, विचार कर लेना आवश्यक है ।

श्री पून्नूस (आल्लप्पी) : एक औचित्य प्रश्न, श्रीमान् । माननीय सदस्य प्रवर समिति के सदस्य हैं, सामान्य वाद विवाद के लिये कुछ ही घन्टों का समय है । ऐसी परिस्थिति में क्या यह उचित है कि वे सदन में भी बोलें तथा उन सदस्यों को बोलने से वंचित रक्खें जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मुझ से भूल हो गई । यह तो बहुत पुरानी प्रथा है कि प्रवर समिति के सदस्य स्वयं बोलने के बजाय अन्य सदस्यों के सुझावों को केवल सुनते हैं ताकि प्रवर समिति में उन पर भली प्रकार विचार किया जा सके । मैं समझा यही था कि चूंकि माननीय सदस्य बोलने को खड़े हुए हैं इसलिए वे प्रवर समिति के सदस्य न होंगे ।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : इस विधयक में दो निगम बनाने का प्रस्ताव रक्खा गया है । यदि प्रवर समिति निर्देश का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो क्या प्रवर समिति दो निगमों के सिद्धान्त से बाध्य हो जायगी ? यदि ऐसा हो तो मैं अभी बोलना पसन्द करूंगा तथा प्रवर समिति की सदस्यता नहीं स्वीकार करूंगा । मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री का मत जानना चाहता हूं ।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं अपने प्रस्ताव को उसी रूप में स्वीकृत कराने का प्रयत्न करूंगा जिस रूप में वह रक्खा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं करना चाहता क्योंकि आगे चल कर हो सकता है कि इस सम्बन्ध में राय बदलनी पड़े । यदि कोई सन्देह हो तो प्रवर समिति को विशेष आदेश दे देना चाहिए । मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर प्रवर समिति ही में विचार किया जाय । यदि प्रवर समिति में इस प्रश्न पर विचार करने में अवरोध उपस्थित किया जाय तो सदन में यह प्रश्न उठाया जा सकता है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : तब क्या आप हमें, इस अवसर पर, संशोधन रखने की आज्ञा देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस अवसर पर मैं ऐसा नहीं कर सकता ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : तब इस प्रश्न पर विचार कैसे किया जाय ?

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम): मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र ने इतना बड़ा विवाद क्यों आरम्भ कर दिया । प्रवर समिति को सम्पूर्ण विधेयक पर विधेयक के एक एक खण्ड पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है वह इस विधेयक के प्रयेत्क खण्ड को संशोधित कर सकती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैधानिक स्थिति यही है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम वाद विवाद आरम्भ करें ? श्री बंसल केवल पांच छै मिनट का समय लेवें ।

श्री बंसल : मैं इस लिये बोलने को खड़ा हुआ था कि कल उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय किया था कि उन सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जायगा जो प्रवर समिति के सदस्य हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने इस ऐतिहासिक विधेयक के प्रवर समिति को निर्देश किये जाने का प्रस्ताव रखते समय अत्यन्त नम्र तथा विनीत दृष्टिकोण बनाये रक्खा । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने इतनी कड़ी आलोचना केवल इस कारण की है कि माननीय मंत्री ने कुछ वायुयान कम्पनियों की प्रशंसा कर दी, जिन्हों ने कि वास्तव में देश में बहुत अद्भुत कार्य किये हैं, क्या हम वे दिन भूल सकते हैं जब काश्मीर पर उस ओर के बर्बरों ने आक्रमण किया था और क्षण भर में देश के वायुयान सहायता के लिये पहुंच गये थे ? क्या हम भूल सकते हैं कि पांच छः वर्ष के इस अल्पकाल में देश के नागरिक उड्डयन का विस्तार क्षेत्र चौगुना हो गया है । इस से सुन्दर सफलता किसी उद्योग की नहीं हो सकती है । वायुयान के अन्दर हम जो सुविधायें देते हैं और हमारे यहां होन वाली दुर्घटनाओं की इतनी कम संख्या यह ऐसी विशषताय हैं जिन के सम्बन्ध में हम किसी देश से अपनी वायुयान कम्पनियों की तुलना कर सकते हैं ।

इस उद्योग के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि इस के अस्तित्व का आधार राज्य से मिलने वाली सहायता है । इस सम्बन्ध में सब से पहली बात तो यह है कि यह उद्योग ही ऐसा है कि जो बिना राज्य की सहायता के नहीं चल सकता है । इसी लिये हर देश में यह उद्योग राज्य की सहायता ही से चल रहा है । वाय परिवहन जांच समिति ने इस प्रश्न की जांच की है और बताया है कि इंग्लैण्ड, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया तथा और अन्य देशों में न केवल राजकीय सहायता ही दी जाती है वरन् विशेष डाक महसूल भी दिया जाता है ।

परन्तु हमारे देश में एक तो इस उद्योग को राज्य की ओर से कोई विशेष सहायता दी नहीं गई है दूसरे जो कुछ सहायता दी भी गई है वह पेट्रोल पर व्यय होने वाले बढ़े हुए खर्च में विलीन हो गई । यही कारण है कि गत दो तीन वर्षों से इस उद्योग की उन्नति में एक प्रकार का गतिरोध आ गया है ।

माननीय महिला सदस्य श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि यह राष्ट्रीयकरण नहीं है क्योंकि सरकार ने इस उद्योग को अपन विभागीय अधिकार में न लेकर केवल निगम बना दिये हैं बहुत से देशों में जहां सार्वजनिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया

[श्री बंसल]

गया है, उन को निगमों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जब मज़दूर दल ने इंग्लैण्ड में शासन का सूत्र अपने हाथों में लिया तो उन्हों ने आठ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया और इन आठों उद्योगों में उन्हों ने किसी न किसी प्रकार के निगम या मण्डल बनाये हैं और उन्हीं के द्वारा इन उद्योगों का संचालन हो रहा है। इसलिये जो कुछ सरकार कर रही है वह कोई नई बात नहीं है।

दूसरी बात जो वादविवाद के समय कही गई है वह यह है कि दो निगमों की क्या आवश्यकता है। दो निगम बनाने के जो कारण माननीय मंत्री ने बताये हैं वे बहुत प्रबल हैं।

एक और प्रश्न संसदीय नियंत्रण का उठाया गया है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध मज़दूर नेता, श्री मारिसन ने कहा है कि जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है उन को चाहिये कि समय समय पर संसद् के सामने वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा प्रस्तुत किया करें तथा इन के आधार पर संसद् द्वारा जो पुनर्विलोकन किया जायगा वह नियंत्रण रखने के लिये पर्याप्त होगा। मेरा विचार है कि इस प्रकार के नियंत्रण का प्रबन्ध इस देश में भी किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेट्टियार।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : प्रबन्ध कौशल तथा सुरक्षा की दृष्टि से संसद के सामने आने वाले विधेयकों में यह सम्भवतः सब से महत्वपूर्ण विधेयकों में से है।

यह एक पुरानी बहस चली आती है कि उद्योगों का प्रबन्ध कौन सा अच्छा होता है वह जो राज्य द्वारा किया जाता है या वह जो वैयक्तिक रूप से किया जाता है। राज्यकीय व्यापार के सम्बन्ध में हमारी अपनी समिति का विचार है कि जहां तक दिन प्रतिदिन के कार्य का सम्बन्ध है हमारे निगमों को मंत्रालयों के या संसद के दोनों ही के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिये। इन निगमों को सरकार द्वारा निर्धारित एक सामान्य नीति के अनुसार कार्य करना चाहिये तथा संसद को निगम के कुछ समय के कार्य के परिणामों पर तथा इस सामान्य नीति पर वाद-विवाद करने का अधिकार होना चाहिये। इस निगम की कार्यकारिणी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस में वही व्यक्ति रक्खे जायं जो इस कार्य से परिचित हैं तथा केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिये जो प्रशासनीय अधिकारी होने के नाते केवल सचिवालय सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुभव रखते हैं।

जो प्रतिवेदन हमें दिया गया है उस में कहा गया है कि हमें नौ करोड़ रुपय की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग चार करोड़ रुपये की आवश्यकता क्षतिपूर्ति के लिये तथा शेष धन की आवश्यकता नवीन तथा अच्छे अच्छे वायुयानों के लिय होगी। परन्तु प्रश्न यह है कि इतना बड़ा विनियोग करने से सरकार को क्या लाभ होगा? इस विधेयक में इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है। रेलों में जो रुपया सरकार का लगा है उस के लिये सरकार को लाभ का एक भाग दिया जाता है और जब किसी वर्ष में रेलों में लाभ नहीं होता है हानि होती है और दूसरे वर्ष में लाभ होता है तो पिछले वर्ष की हानि से उस का समायोजन कर दिया जाता है। यह कहा जा सकता है कि रेलों में लाभ हो रहा है परन्तु वायुसेवाओं में लाभ नहीं हो रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज केवल नौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है कल नागरिक उड्डयन के विस्तार होने पर और

अधिक रुपये की आवश्यकता हो सकती है। इसलिये वायु सेवाओं को भी चाहिये कि लाभ होने पर उस का एक भाग राज्यकोष में देवें क्योंकि राज्य कोष इस उद्योग में इतना धन लगा रहा है। इस विधेयक में यह दृष्टिकोण सर्वथा भुला ही दिया गया है। इस विधेयक में परामर्शदात्री परिषद का उपबन्ध तो किया गया है पर इस विषय का कोई विचार नहीं किया गया है जो भारतीय करदाता के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस विषय पर भी विचार करेगी।

इन वायुसेवाओं के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह था कि ऊपरी व्यय कम हो, कार्यकुशलता में वृद्धि हो, तथा संचालन व्यय घटाया जा सके। आज हम गैर-अनुसूचित कम्पनियों को पेट्रोल के सम्बन्ध में ४६ लाख रुपये की राजकीय सहायता दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इन सारी वायुसेवाओं को एक में मिला देने से, हो सकता है कुछ छटनी हो और हम शीघ्र ही लाभ प्राप्त करने लगें।

इस विधेयक के खण्ड २० में कहा गया है कि तत्काल ही सारे आदमी काम पर लगा लिये जायेंगे। परन्तु मेरा विचार है कि ऐसा करना बहुत कठिन होगा। उदाहरण के लिये दिल्ली में नौ वायुयान कम्पनियों में से प्रत्येक के कार्यालय हैं। मैं समझता हूं कि इस वायुयान-निगम के बन जाने पर इतने कार्यालयों के स्थान पर एक केन्द्रीय कार्यालय होगा। हो सकता है कि आप सारे टैकनिकल कर्मचारियों को काम पर लगा लें पर मेरी यह समझ में नहीं आता कि आप सारे प्रशासकीय कर्मचारियों को कैसे काम दे सकेंगे।

श्री नम्बियार (मयूरम) : उद्योग को बढ़ते रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं समझता हूं कि अच्छा भावना उत्पन्न होगी और देहली में उन स्थानों पर नियुक्ति नहीं की जायगी जो हैं ही नहीं। इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं क्षतिपूर्ति के संबंध में उसकी प्रविधिकता के विषय में अधिक नहीं जानता। अंशों के बाजार मूल्य पर हम अधिक नहीं निर्भर कर सकते। इसके अतिरिक्त हमें कुछ और स्तर लेना चाहिये और यह हो सकता है आस्तियों का मूल्य। आस्तियों का मूल्यांकन करने में निर्यातों को भी दृष्टि में रखना होगा। अवक्षयण को क्रय मूल्य में स्थान देना ही पड़ेगा। यह सभी मामलों की भांति इसमें भी लागू होना चाहिये किन्तु वास्तव में जो चीज़ ध्यान देने की है वह है आपके द्वारा निश्चित किया जाने वाला प्रारम्भिक मूल्य तथा स्वीकार की जाने वाली अवक्षयणता। प्रवर समिति को यह अधिकार मिलना चाहिये कि यदि वह आवश्यक समझे तो अन्य लोगों के विचार भी इस पर लिये जा सकें जो इस संबंध में जानने वाले हों। विधेयक में भी क्षतिपूर्ति जैसी समस्या पर विशेष विचार नहीं किया गया है। मेरे विचार से कम से कम इस मामले के लिये तो प्रवर समिति को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह गवाहों को बुला सके।

इन सब चीज़ों का प्रबन्ध करने के लिये एक ऐसा विधान होना चहिये जिससे कुशलता की गारन्टी की जा सके। मैं समझता हूं कि इस प्रकार एकीकरण से न केवल कार्य कुशलतापूर्वक ही होगा वरन् उसमें बचत भी होगी। अतः मेरे उन मित्र का कल का कथन सही नहीं है।

[श्री टी० एस० ए० चेंट्टियार]

मुझे मद्रास राज्य का पता है कि वहां मुझे बताया गया है कि इन उद्योगों में लोग चाव नहीं लेते और लापरवाही से काम करते हैं। जब से राज्य सरकार ने बस यातायात को अपने हाथ में लिया है, पहले से कम उत्साह से कार्य करते हैं। जिसका कारण है व्यक्तिगत सम्पर्क की कमी।

श्री नम्बियार : यह तथ्य नहीं है, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मत-भेद की बात है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह काम करन वालों की भावना पर निर्भर करता है कि वह कितनी लगन से काम करते हैं। अतः इसी पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये।

श्री के० सी० सोधिया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है। मैं अपने देश के करोड़ों लोगों की माफ़िक पैदल चलने वाला हूं और मैं इस बात को हर्गिज़ नहीं मान सकता कि इस देश की सभ्यता का पैमाना यह उड़न खटोलों की लाइनें हैं। महाशय, मैं तो आप का ध्यान सिर्फ इस बिल के आर्थिक पहलुओं के ऊपर दिलाना चाहता हूं। प्लैनिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के ३१वें अध्याय के ५६वें पैराग्राफ में यह लिखा है कि इन उड़नखटोलों की लाइनों के सम्बन्ध में इस देश के आदमियों का दस करोड़ रुपया सन् १९५०-५१ तक खर्च हो चुका है, सन् १९५१-५२ में पौने दो करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए हैं। इस प्रकार से आज तक हम ने इस अन्धे कुए में लगभग १२ करोड़ रुपये झोंक दिये हैं। आगे चल कर तीन सालों में हम इस पर दस करोड़ रुपये और खर्च करेंगे। मेरी इस सरकार से, जो कि इस हाउस पर और इस देश पर पूरी तरह से कब्जा किये हुए हैं, यह विनती है कि उस को यह ध्यान रखना चाहिये कि इस देश के करोड़ों आदमियों के पैसों की वह मालकिन है और इन पैसों को वह कैसे खर्च करती है और कैसे उसे करना चाहिये।

मान्यवर, यह सरकार इन दो कारपोरेशनों को तैयार करके पांच वर्षों के वास्ते बांड की गारंटी देने को तैयार है। बांड की गारंटी में साढ़े तीन प्रति शत की दर से जो रुपये दिय जायेंगे उन का ब्याज और इस के सिवा चार करोड़ रुपये जो पांच साल के बाद दिये जायेंगे, उन का ब्याज, दोनों को जब मैं ने जोड़ा तो मालूम हुआ कि ४८ लाख रुपये तो ब्याज के ही होते हैं।

अब जरा आप फाइनेन्शल इम्पिलिकेशन्स को देखिये जो कि बिल के साथ दिये हुए हैं। आप को मालूम होगा कि मिनिस्टर साहब ने यह फ़रमाया है कि हर साल इन दोनों कारपोरेशनों को लाखों रुपये एड की तरह से दियें जायेंगे क्योंकि हाल ही में उन को कान शुरू करना है। सरकार, आप यह तो बतावें कि पांच साल के बाद आप यह पैसा जिस की आप गारंटी देते हैं कितना पा सकेंगे। मतलब यह है कि सरकार साढ़े तीन प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दे कर के पांच साल के लिये यह कर्ज़ा ले रही है। इस से तो बेहतर यह होगा कि सरकार के खज़ाने से जो रुपया देना है, अभी दे दिया जाय।

आगे चल कर आप देखिये कि बिल की धाराओं के अन्दर इन कारपोरेशनों को यह अधिकार दिया गया है कि ये १५ लाख रुपये तक का सामान बिना किसी की मंजूरी के बेच सकेंगे और दस लाख रुपये तक का

सामान ख़रीद सकेंगे । सरकार, यह तो बतलाइये कि अगर १५ लाख रुपये का सामान यह बेच सकें और दस लाख का सामान खरीद सकें, और साल में उन्होंने इस तरह के दस पांच सौदे कर लिये, तो कैसे काम चल सकता है ? वह सारी पूंजी को बर्बाद कर देंगे । आप को यह मालूम है कि पिछले सेशन में एक बड़े सुन्दर कारपोरेशन को, जिस का नाम इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन है, उस को कपड़े को धोने में दस-पांच दिन लगे थे, और उस के धोने में हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर दोनों को बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी, और वह धोने का काम आज तक पूरा नहीं हुआ और यह काम हमारी बहन सुचेता कृपलानी जी की अध्यक्षता में बनने वाली एक कमेटी को सुपुर्द किया गया ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस कारपोरेशन को बना करके सरकार एक बिज्जू खड़ा करती है जिसकी आड़ में वह मनमानी किया करती है । मैं आप से कहता हूं कि इस पार्लियामेंट के अधिकार को कम करने के लिए बोर्ड और कारपोरेशन ये दो बहुत अच्छी तरकीबें इस सरकार के हाथ में आयी हुई हैं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह से इस देश के लाखों भूखे मरने वाले आदमियों के मुश्किल से कमाये हुए पैसे को निर्दयता के साथ बर्बाद किया जाता है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि एयर कारपोरेशन को न रखा जाय । आप एयर कारपोरेशन को खूब अच्छी तरह से रखें लेकिन इसके साथ आप उन लोगों के पैसे का ख्याल रखें जिनके पैसे पर आप गुलछर्रे कर रहे हैं और हम गुलछर्रे कर रहे हैं । सभापति महोदय, मुझे और ज्यादा नहीं कहना है । मैं ने आंकड़े इकट्ठे किये हैं और उन आंकड़ों से मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि ये दोनों कारपोरेशन इस देश के आदमियों के लिए एक बड़ी भारी तकलीफ साबित होंगे और उन से कुछ अच्छा काम होने वाला नहीं है ।

नेशनलाइज़ेशन की बात को हम देख रहे हैं । नेशनलाइज़ेशन का मतलब यह है कि हम को उस काम को करने की अक्ल होनी चाहिये लेकिन दरअस्ल अभी हमें बड़े कामों को चलाने की अक्ल नहीं है । हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रान्त में बसों का नेशनलाइज़ेशन हुआ है और उस नेशनलाइज़ेशन के लिए इस सरकार को लाखों गालियां हर स्टैंड के ऊपर रोज़ मिला करती हैं । इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात का ख्याल रखे कि जो भी काम करे उस में पैसे की बरबादी को रोके और उसकी तरफ अच्छी तरह ध्यान रखे । अभी मेरे एक मित्र ने यह सुझाव दिया है कि जो कुछ पूंजी इस काम में लगायी जाय उस पूंजी का कम से कम दो प्रतिशत हमें सरकारी खजाने में इन कम्पनियों से मिलना चाहिए जिसमें कि जो पूंजी लगी हुई है उसका हमें कुछ लाभ मिल सके ।

श्री ए० एम० टामस : सरकार ने इस ओर वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है कि उसने वायु यातायात को देश का एक आवश्यक उद्योग मान लिया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि प्राथमिकताओं के आधार पर, अभी राष्ट्रीयकरण की विशेष आवश्यकता नहीं है । किन्तु ऐसे समय वे रक्षा तथा अन्य कारणों की उपेक्षा कर यह भूल जाते हैं कि यह एक सार्वजनिक उपयोगिता संस्था है, यद्यपि इसे विलासिता की सेवाओं में रखा जा सकता है । वे इस बात को भी ध्यान में नहीं रखते कि सरकार इस उद्योग की उन्नति के लिये अत्यधिक प्रयत्नशील शील है ।

[श्री ए० एम० टामस]

१९४९ में लाइसेंसों का समय दस वर्ष के लिये निश्चित कर दिया गया था। सरकार को फिर वह समय पूरा होने से पहले ही राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके विशेष कारण जनता को नहीं बताए गए थे। यह कमी माननीय मंत्री के भाषण से स्पष्ट हो गई है। वायु यातायात जांच समिति ने यह कह दिया है कि यदि इन आशाओं को कम्पनियों ने उचित न समझा,तो पांच वर्ष बाद मामले पर पुनर्विचार किया जायगा। यह पुनर्विचार प्रस्तावित समय से पहले ही किया गया है, और इस पर सशंकित दृष्टिकोण रखने का कारण भी था, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया था।

प्रत्येक सदस्य ने एक या दो निगमों के निर्माण के सम्बन्ध में कहा था। वायु यातायात एक विशेष प्रकार का उद्योग है जो रेलों तथा अन्य यातायात के साधनों से भिन्न है। एक निगम की स्थापना कर बहुत से राज्य के उद्योगों की सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। वायु यातायात जांच समिति जो एक पक्षपात रहित संस्था है, उस ने इस के लिये सिफारिश की है। आलोचना यह की जाती है कि निगम केवल सरकारी मशीन का विस्तार ही है और निगमों की स्वायत्तता कुछ भी नहीं रह जाती है।

एक नियमबद्ध निगम के निर्माण का समर्थन करने के पश्चात् मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि माननीय मंत्री के इतना पक्ष लेने पर भी दो निगमों का निर्माण करना पूर्णतया अनावश्यक एवं अनुचित है। इस विधेयक का विशद एवं महंगा स्वरूप ही इस की प्रमुख विशेषता है। माननीय मंत्री वे कल सदन में इस को स्वीकृति के लिये रखते समय जो कछ कहा था उसका तात्पर्य कि जै ा कि वायु यातायात जांच समिति का अनुमान है कि आठ या नौ इकाइयों के बदले यदि केवल एक इकाई सारे कामों के लिये हो तो वर्तमान व्यय में लगभग ८० प्रतिशत बचत हो सकती है।

मैं पूछता हूं कि क्या वायु परिषद के अतिरिक्त दो और वायु निगमों के निर्माण से माननीय मंत्री का उद्देश्य पूरा हो जायगा ? ये कारण मानने योग्य नहीं जान पड़ते।

माननीय मंत्री ने एक और आवश्यक बात कही थी कि नाम में परिवर्तन हो जाने से उन अनेक संविदाओं पर तत्काल पुनर्विचार की आवश्यकता होगी, जो एअर इंडिया इंटरनेशनल ने व्यक्तिगत कम्पनियों से किये हैं। एक वकील के नाते मैं इसका कारण समझने में अपने को असमर्थ पाता हूं क्योंकि खण्ड १७ इनके विरुद्ध काफी सुरक्षायें देता है। अतः ये सभी उन के ले लेने के पश्चात् निगम के हाथ में रहेंगी।

माननीय मंत्री का कथन है कि एअर इंडिया इंटरनेशनल की अपनी ख्याति है। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार रेलवे में विभिन्न क्षेत्र हैं ठीक उसी प्रकार एक ही निगम का क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र नहीं हो सकता ? इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और यदि बचत का विशेष ध्यान रखना हो तो केवल एक ही निगम से कार्य पूरा हो सकता है।

इसके अतिरिक्त हमारे पास इतने योग्य व्यक्ति भी तो नहीं हैं और यदि दो निगमों का निर्माण किया गया तो मंत्रालय के लिये एक यह समस्या बन जायगी। कुशल व्यक्तियों को रखने आदि से तमाम व्यर्थ का व्यय होगा अतः केवल एक निगम ही काफी होगा।

सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का ध्येय उन को अच्छा

सस्ता तथा अधिकाधिक लोगों के लिये उपलब्ध कराना होना चाहिये । यह सब तभी हो सकेगा जब इस की रूप रेखा साधारण हो । मेरा प्रस्ताव यह है कि यह वायु यातायात परिषद् इस अवस्था के लिये सर्वथा बेकार है ।

मैं यह नहीं समझता कि क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त किसी दल के लिये अनुचित है । यह उचित तथा सब के लिये समान हल है जो माननीय मंत्री ने रखा है, यद्यपि यह तरीका कुछ भद्दा अवश्य है । कम्पनियों की सभी आस्तियों का मूल्यांकन, उन को लेते समय, प्रत्येक कम्पनी के मूल्य के हिसाब से किया जाना चाहिये । हमें जैसा कि एक माननीय महिला सदस्य ने बताया कि खातों में अत्यधिक दिखाई जाने वाली राशि से होशियार रहना पड़ेगा जैसा कि यह है कि क्षतिपूर्ति का प्रश्न बाजार मूल्य को ध्यान में रखे बिना ही तय किया जायगा । इससे केवल जनता का लाभ होगा । हमारे अन्दर १०,००० रु० दे कर बदले में प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्तियों तथा अब तक की उन्नति को पा कर किसी प्रकार की बुराई नहीं रहनी चाहिये । अभी तो क्षतिपूर्ति का केवल दस प्रतिशत ही देना होगा और अवशेष राशि पर साढ़े तीन प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा, यह दर अधिक नहीं है ।

वित्तीय नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम बनना आवश्यक है जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री कास्लीवाल ने निर्देश किया है । दोनों निगमों के लिये आयव्ययक का स्वरूप बनाना तथा हिसाब रखने का तरीका तथा आंकड़े आदि भेजने के नियम बनाने का भार सरकार के ऊपर ही नहीं छोड़ देना चाहिये । सरकार अथवा यह सदन कहां तक वित्तीय नियंत्रण लगा सकता है, यह इस संसद द्वारा निश्चित किया जाना चाहिये जब विधयक पर विचार किया जाये ।

१० म० प०

श्री तुलसी दास : सर्वप्रथम म इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । भारत म इस सेवा का प्रारम्भ युद्ध के प्रारम्भ में या युद्ध काल में हुआ था । युद्ध के पश्चात् इस उद्योग ने भारत में तथा अन्य देशों में भी काफी प्रगति की । तत्पश्चात् अक्तूबर १९४६ में लाइसेंस जारी करने के लिये एअर ट्रान्सपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी । उस बोर्ड ने बिना किसी बैर-भाव के केवल आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखकर धड़ाधड़ लाइसेंस जारी किये जिस का परिणाम आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ।

१९५० में वायु यातायात जांच समिति की स्थापना की गई । इस की सिफारिश यह थीं कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय अभिनवीकरण किया जाय । खेद है कि विभिन्न कम्पनियों का विलीनीकरण न हो सका । समिति ने सहायता के लिय कुछ राशि निश्चित की किन्तु सरकार ने उतनी सहायता न दी । इस सहायता के विषय में लोग समझते हैं कि यह बड़ी राशि थी और कम्पनियां केवल इसी कारण कार्य कर रही थीं कि उन्हें सहायता मिल रही थी । इस उद्योग को रक्षण उतना न मिल सका जितना मिलना चाहिये था । कुछ थोड़ी सी सहायता मिली वह भी राजस्व में से ही ।

इस के पश्चात् राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उत्पन्न होता गया क्योंकि इन कम्पनियों की दशा बड़ी खराब थी । अनुभव न होने कारण काफी संख्या में व्यक्ति रखे गए जिन की बाद को छंटनी करनी पड़ी । अन्य यातायातों की अपेक्षा महंगा होन के कारण इस उद्योग को और भी घाटा सहना पड़ा । अब नवीन ढंग के वायुयानों की आवश्यकता पड़ी जो वित्त की कमी के कारण असम्भव

[श्री तुलसी दास]

जान पड़ा । अतः कम्पनियों को सरकार के पास सहायता के लिये जाना पड़ा और सरकार ने इन का राष्ट्रीयकरण करना ही उचित समझा ।

मैं सरकार के निर्णय से पूर्णतया सहमत हूं कि एक के बजाय दो निगम होने चाहियें । कुछ लोगों को यह शंका है कि दो निगमों के होने से व्यय अधिक होगा, दोहरा नियंत्रण रहेगा तथा एक निगम के लोग दूसरे में न जा सकेंगे । ये सब चीजें तो आपस में तय की जा सकती हैं । इन को दूर करने के लिये एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई है । देश की महानता को दृष्टि में रखते हुए दो निगमों का होना आवश्यक है ।

कम्पनियों के लिये छंटनी करना बहुत आवश्यक हो गया था क्योंकि उन के पास कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो गए थे अतः उन को चलाते रहने के लिये ऐसा करना अनिवार्य था ।

मैं समझता हूं कि एकाध कम्पनी को छोड़ कर शेष सभी कम्पनियों में काफी अंशभागी हैं । सामान्यतः इन कम्पनियों के अधिकतर अंश जनता के हैं किसी एक व्यक्ति के नहीं । उन लोगों ने सहयोग से तथा स्वतंत्रतापूर्वक इन निगमों के लिये चन्दा दिया है । अतः इन उद्योगों को जो भी लाभ होगा उसका अधिकतर अंश जनता को मिलेगा जिस ने प्रारम्भिक दशा में इस उद्योग की सहायता की है ।

मेरे विचार से इस विधेयक में "क्षति-पूर्ति" शब्द का गलत प्रयोग किया गया है । यह तो कम्पनी की वस्तुओं का एक प्रकार का मूल्य है । अतः इसे क्षतिपूर्ति कहना उचित नहीं । संविधान के अनुसार भी इन की क्षतिपूर्ति नहीं की जानी चाहिये । हम इन कम्पनियों के विमान विदेश में बेच नहीं सकते नहीं तो इन विमानों तथा अन्य फालतू पुर्जों का मूल्य इन कम्पनियों को यहां की सरकार के मूल्य से कहीं अधिक मिलता ।

अवक्षयण के लिये इन कम्पनियों को काफी राशि स्वीकृत की गई है । अधिकतर कम्पनियों ने अपने हिसाब में काफी हानि दिखाई है, जिस में से अधिकतर अवक्षयण की राशि में ही है । माननीय मंत्री ने स्वयं भी कहा है कि इस कमी को कम्पनियों को स्वयं ही पूरा करना होगा अतः मुझे कुछ नहीं कहना है ।

कहा यह जाता है कि कम्पनियों को काफी धन मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अवक्षयण में काफी राशि दिखाई है। उन को लाभ हो रहा है और अधिक मूल्य दिये जा रहे हैं । किन्तु वास्तव में विधेयक के अनुसार इन कम्पनियों को जो क्षतिपूर्ति दी जायगी वह अवक्षयण निकाल कर बचा हुआ पुस्त-मूल्य होगा, बाजार-मूल्य नहीं । अतः इन कम्पनियों का अधिग्रहण करते यदि हमें इन कम्पनियों के साथ न्याय करना है तो इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें उचित क्षति-पूर्ति दी जाय ।

मैं आप को विश्वास दिला सकता हूं कि एक भी कम्पनी ऐसी नहीं है जिस की परि-सम्पत् स्फीत हो । अतः मेरा निवेदन यह है कि जब भी कभी किसी कम्पनी की परि-सम्पत् को लिया जाये तो उसे चालू व्यवसाय की भांति लिया जाये । सरकार की अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को सहन करना होगा ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : क्या उन में से कुछ की अवस्था बुरी नहीं है ?

श्री तुलसीदास : एक दो को छोड़ कर सभी की हालत नाजुक है । जहां तक प्रविधिक कर्मचारियों का प्रश्न है मुझे यह विश्वास है कि दोनों निगमों के बन जाने पर कुछ छंटनी अवश्य होगी । सभी को दोनों निगमों में स्थान नहीं मिल सकेगा । और यदि सभी को ले लिया जाय तो फिर एक निगम बनाने से लाभ ही क्या होगा । अतः एक निगम बनाते समय हमें छंटनी का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा । परन्तु आवश्यक यह है कि कोई छंटनी न हो । विधेयक में तो यह उल्लिखित है कि सारे कर्मचारियों को इन दो निगमों में ले लिया जायेगा । अब नहीं तो बाद को छंटनी करनी होगी क्योंकि ऐसी अवस्था में दो निगमों को रखने से कोई लाभ नहीं हो सकता है ।

यह प्रश्न उठाया गया था कि इन निगमों की आवश्यकता ही क्या है । इस कार्य को तो सरकार का एक विभाग ही चला सकता है । परन्तु इस तर्क में कोई सार नहीं है क्योंकि एक पृथक् निगम बनने से ही स्थिति को पूर्णरूप से समझा जा सकेगा । यह निगम भी सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, अतः मुझे इस तर्क में कोई सार नहीं मालूम होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या रेलवे पर्षद् की तरह हम कोई पर्षद् नहीं बना सकते हैं ?

श्री तुलसी दास : परामर्श के लिये बुलाये गये व्यक्ति सरकार के मनोनीत व्यक्ति ही होते हैं । अतः इस निगम के अन्तर्गत जो पर्षद् बनाये जायेंगे वह सरकार के मनोनीत व्यक्ति होंगे अतः किसी सरकारी विभाग की अपेक्षा निगम स्थापित करना अधिक उत्तम है । एक बात यह भी कही गई थी कि बाहरी व्यक्तियों को इस पर्षद् के लिये क्यों नियंत्रित किया जाये । सारा काम सरकारी कर्मचारी ही करें । मेरा निवेदन यह है कि सरकारी अफ़सरों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कि वायु निगमों अथवा अन्य निगमों के सम्बन्ध में अनुभव रखते हों बहुत कम होगी । जहां तक व्यावसायिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध है ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति लाभदायक नहीं होगी । पर्षद् बनाये जाने की दशा में उसे स्वतन्त्र रूप से काम करने देना चाहिये, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । नहीं तो यह निगम जितनी कुशलता से कार्य करना चाहता है उतनी कुशलता से कार्य नहीं कर सकेगा । कार्य कुशलता प्राप्त करने के लिये सर्वोत्तम साधन यही होगा । इसके लिये हमें सन्तुलित दृष्टिकोण रखना होगा । हम लेखा परीक्षा करा सकते हैं, यदि पर्षद् के किसी सदस्य के कार्य से सरकार सन्तुष्ट न हो तो उसे हम पृथक् कर सकते हैं । परन्तु इस विधेयक में अनेकों ऐसी बातें हैं जिन से पर्षद् के कार्यकरण में रोड़ा अटक सकता है । एक तो वायु यातायात परिषद् है, खंड ३३ में केन्द्रीय सरकार को निर्देश देने का अधिकार है, खंड ३९ में परामर्शदात्री तथा श्रम सम्बन्धी समितियों का उपबन्ध है, इत्यादि और लेखा परीक्षा तो है ही । इन सभी को कुछ न कुछ कहना या सुझाव देना है और पर्षद् को अपने विचारों के अनपेक्ष, इन विभिन्न प्राधिकारों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा । मेरा निवेदन यही है कि इन निगमों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने दिया जाये और अधिक हस्तक्षेप न किया जाये, अन्यथा इन निगमों को अपना कार्य करना कठिन हो जायेगा ।

श्री के० के० देसाई (हालर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इस से भावी नीति के सिद्धान्त निश्चित होंगे ।

विधेयक में क्षतिपूर्ति का जो उपबन्ध वह बहुत उदार हैं और उसे स्वीकार करने से पूर्व बहुत सोचने समझने की आवश्यकता

[श्री के० के० देसाई]

है । कोई दस वर्ष से वायु यातायात सेवायें निजी कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही हैं । सरकार ने भी भी वायुयातायात तथा असैनिक नभश्चरण को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें कार्य करने दिया । यह तो सभी जानते हैं कि सरकार ने इस निजी व्यवसाय को बहुत सहायता दी । राजकीय सहायता दी गई, पैट्रोल पर अवहार दिया गया, और यह सभी कुछ संचित निधि से ही दिया गया । इसे सफल बनाने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये गये हैं । परन्तु अन्त में सरकार इस परिणाम पर पहुंची कि यह सब रेत में तेल डालने के समान था । और अधिक सुरक्षण, और अधिक आर्थिक सहायता, और अधिक धन तथा सुविधायों की मांग निरन्तर की जाती रही, अतः सरकार का यह निर्णय, कि निजी व्यवसायों को धन देने की अपेक्षा उस पर पूर्णरूपेण नियंत्रण रखना अधिक उत्तम होगा, बहुत ही समुपयुक्त है । पहले धन के व्यय पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था, इसलिये मेरे विचार से सरकार का यह निर्णय बहुत ही सामयिक तथा उचित है ।प्र त्यक्ष आर्थिक सहायता जो दी जाती थी वह तो मालूम होती थी परन्तु अप्रत्यक्ष सहायता इस से भी अधिक हो ी थी । यात्रा करने वालों में से पचास प्रतिशत सरकारी काम से यात्रा करते थे । इस प्रकार वायु यातायात कम्पनियों को अप्रत्यक्षत आर्थिक सहायता मिलती थी । दो या तीन वर्ष से डाक भी वायुयानों से जाने लगी है, यह भी एक प्रकार की आर्थिक सहायता ही है और यदि इतने पर भी वह वायु सेवायें सन्तोषजनक रीति से कार्य नहीं कर पाती हैं तो उनका राष्ट्रीयकृत किया जाना ही श्रेष्ठ है ।

अब आता है क्षतिपूर्ति का प्रश्न । यदि सरकार आज आर्थिक सहायता देनी बन्द कर दे तो कल ही यह सभी कम्पनियां परिसमापित हो जायेंगी । अंशधारियों को भी कुछ नहीं मिल सकेगा । माननीय मंत्री ने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विधेयक में निर्धारित प्रणाली का समर्थन किया है । उन के अनुसार शेयरों के बाज़ार मूल्य के आधार पर गणना करना ग़लत होगा क्यों कि शेयरों की क़ीमत गिर गई है और अंश धारियों को कुछ भी क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकेगी । हम उनको पूर्ण क्षतिपूर्ति दे रहे हैं और दस वर्षों में उन्होंने जो जोख़िम उठाया है उस की सरकारी ख़ज़ाने से भरपाई करना चाहते हैं । इस के स्थान पर यह किया जाना चाहिये था । अब परिसम्पत् का केवल नक़द मूल्य ही दिया जायेगा अपितु सरकार से उस लाभ की, जो वह अर्जित कर रहे थे, धन के रूप में क्षतिपूर्ति करने को कहा जायेगा । इस मामले में अंशधारियों को कोई हानि नहीं होगी, परन्तु यह भविष्य के लिये एक दृष्टांत बन जायेगा । अतः सब से उत्तम रीति यह है कि इन वायु कम्पनियों के शेयरों को चालू बाज़ार भाव पर ख़रीद लिया जाये और वह मूल्य न दिया जाये जो कि विधेयक में निश्चित किया गया है । दूसरी छूट, जिसका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया, यह है कि शेयरों के पुस्तमूल्य में से आयकर की दरों के अनुसार अवक्षयण मूल्य कम कर दिया जाय । यदि यही होता तो भी ठीक था, परन्तु आयकर अधिकारियों ने अवक्षयण रक़म का कुछ प्रतिशत भाग आय कर से मुक्त किया हुआ है । इस का अर्थ यह है कि यदि उन को लाभ हुआ तो अवक्षयण की रक़म कर मुक्त रह जायेगी । क्या ऐसा करना देश हित में होगा ? मेरा विचार तो यह है कि यह राष्ट्रीयकरण इन वायु कम्पनियों को संकट से बचाने के लिये किया जा रहा है । ऐसी दशा में सौदा कैसा ? जो कुछ मिल जाये वही भला है ।

अतः मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति इस क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर बहुत सावधानी से विचार करे क्यों कि राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो कुछ इस विधेयक के विषय में किया जायेगा वह भविष्य के लिये एक दृष्टान्त बन जायेगा ।

मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि खंड २० में कर्मचारियों को प्रत्याभूति दी गई है । इस राष्ट्रीयकरण का जो औचित्य बताया गया है वह यह है कि इन निगमों के अधीन वायु यातायात का प्रसार होगा और असैनिक नभश्चरण को प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिये छंटनी की कोई अधिक सम्भावना नहीं है ।

इस विधेयक के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली औद्योगिक सम्बन्ध समिति न केवल औद्योगिक सम्बन्धों पर ही विचार करेगी अपितु वह मितव्ययता के साधनों, कार्यकुशलता तथा प्रशासन के सम्बन्ध में सुझाव देगी । मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति इस पर विशेषरूप से ध्यान दे ।

यातायात परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध म आपत्ति उठाई गई है । दोनों निगम सेवा के कार्यसंचालन का ध्यान रखेंगी, परन्तु यातायात परिषद् विधान सभा की ओर से या सरकार की ओर से नीति निर्धारित करेगी । ऐसी नीति निर्मात्री संस्थाओं का होना आवश्यक है ।

निगमों की संख्या व्यवसायिक दृष्टिकोण से निश्चित की जानी चाहिये । यदि दो से कम में काम न चले तो दो रखी जायें, परन्तु यदि एक ही निगम रहे तो कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा मितव्ययता होगी ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : दो निगमों को स्थापित करने से पूर्व हमें यह विचार करना चाहिये कि क्या दो निगमों की स्थापना विशेष रूप से आवश्यक है अथवा एक से ही काम चल जायेगा । इस प्रश्न पर प्रवर समिति को विचार करना होगा । जहां तक मेरी सम्मति का सम्बन्ध है मैं दो निगमों की स्थापना से कुछ सन्तुष्ट नहीं हूं । मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो निगम अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात का संचालन कर सकता है वह देश के भीतर होने वाले वायु यातायात को संभालने में कैसे असमर्थ रहेगा । समस्त संसार के वायु यातायात का अध्ययन करने के पश्चात् इस प्रस्तावित निगम को देश में इस सेवा के चलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी । विधेयक का आशय दोनों निगमों में उन्हीं संचालकों तथा उसी समापित को रखने का है । अतः मुझे तो दो निगमों की स्थापना की बात कुछ जंचती नहीं है । सरकार पर वैसे ही अतिव्ययी प्रशासन रखने का आरोप लगाया जाता है, अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि कोई अपव्यय न हो । बाद को यदि अनुभव से यह ज्ञात हो कि दो निगमों का बनाना अत्यावश्यक है तो दो बनाये जा सकते हैं ।

दूसरा प्रश्न जिससे मुझे आश्चर्य हुआ है वह है क्षतिपूर्ति का । क्षतिपूर्ति की जो दर निर्धारित की गई है वह बहुत अधिक है । कहा गया है कि कम्पनियां घाटे पर चल रही हैं और इसीलिये सरकार उन को अर्थ साहाय्य दे रही है । अतः प्रत्येक वायुयान के लिये १५,००० रुपये से २०,००० रुपये तक का अनुतोषण देने का औचित्य क्या है ? उन में बहुत अधिक अवक्षयण हुआ है और उन का पुस्त-मूल्य बहुत कम है । जब वह कम्पनियां आयकर से बचने के लिये अवक्षयण दिखाती थीं तो उनको उसका लाभ प्राप्त हो जाता था । अब सरकार यह क्यों स्वीकार करती है आयकर के सम्बन्ध में दिखाया गया अवक्षयण ग़लत है ।

[श्री रघुरामय्या]

घाटे पर चलने के कारण इन कम्पनियों के शेयरों के मूल्य भी गिर गये हैं । यदि स्थिति ऐसी है तो उनको अपना व्यवसाय तथा वायुयान हमें सौंप देने में कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः उनको तो हमारा कृतज्ञ होना चाहिये कि हम उनको उन की चिन्ता से मुक्त कर रहे हैं ।

इस सेवा के राष्ट्रीयकरण से हम सार्वजनिक उपयोगिता के एक उद्योग को चालू कर रहे हैं, अतः हमें बहुत ही सावधानी से कार्य करना चाहिये । इस महान् कार्य के प्रारम्भ किये जाने का समय आ गया है और हमें निस्संकोच भाव से इसे प्रारम्भ करना चाहिये ।

श्री तुलसीदास ने क्षतिपूर्ति दिये जाने का समर्थन किया है परन्तु मेरा विचार है कि जहां निहित स्वार्थ होते ह तो हमें उस प्रश्न की अधिकाधिक जांच करके यह देखना चाहिये कि क्षतिपूर्ति वास्तव में न्याययुक्त है अथवा नहीं ।

मेरा प्रवर समिति से निवेदन है कि वह इस विधेयक के प्रत्येक खंड की भली प्रकार जांच करे जिसमें कि राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें और हम कोई ऐसी वाक्बद्धता न कर बैठें जिस से कि बाद को हमें पछताना पड़े ।

श्री हेंडा (निज़ामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण के जहां तक सैद्धान्तिक पहलू का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो कि उस को मानता न हो । हम सब लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण हो, पर यह राष्ट्रीयकरण जिस प्रकार से हो रहा है, जिन कारणों के तहत हो रहा है और उस के पीछे जो भावना काम कर रही है उन को अगर हम देखते हैं तो कुछ शंकायें दिल में पैदा होती हैं और शंकाओं की कुछ ध्वनि यहां सुनाई भी दी है । मुझे सब से बड़ी शिकायत यह है कि जौ के साथ घुन भी पीसा जा रहा है । मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह बताया कि कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, और बहुत ज्यादा कम्पनियां ऐसी हैं जिन्हों ने ठीक तौर पर काम नहीं किया । एक कम्पनी की तो उन्होंने इतनी प्रशंसा की कि उस के नाम पर एक कार्पोरेशन का नाम रखा जा रहा है और वह यह समझते हैं कि उस की साख को बनाये रखने के लिये कार्पोरेशन का नाम उस कम्पनी के नाम पर रखना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई कम्पनी इतने अच्छे तरीक़े से काम करती हो तो उस का राष्ट्रीयकरण उन दूसरी कम्पनियों के साथ करना, जिन्होंने अच्छी तरह से काम नहीं किया है, उचित नहीं है । मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा काम करता है, और जो अच्छा काम नहीं करता है, बुरा काम करता है, दोनों को साथ साथ देखा जाता है और साथ साथ पीसा जाता है, इसीलिये मैं ने कहा कि आज जौ के साथ घुन भी पीसा जा रहा है । अब समय आ गया है कि जब हम एक अच्छे उद्योगपति और एक ऐसे उद्योगपति में जो अच्छा नहीं होता है, अन्तर करना शुरू कर दें । यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद ऐसे उद्योगपतियों की है जो कि उद्योग के ज़रिये से व्यापार को अपने क़ब्ज़े में रख कर बहुत ज्यादा धन कमाना चाहते हैं । उन की भावना यह नहीं है कि कम्पनी, उद्योग कर के और इस तरह देश की समृद्धि कर के कुछ कमायें । यह राष्ट्रीय भावना उन उद्योगपतियों के दिल में नहीं रहती । कई कम्पनियां ऐसी हैं जिन के मैनेजिंग डाइरेक्टर्स एक नई कम्पनी का

निर्माण करने की बात सोचते हैं, बाजार में एक अफ़वाह फैल जाती है और जिस के फलस्वरूप शेयर्स के भाव बढ़ने लगते हैं, तब वे लोग अपने कोटा से ज्यादा शेयर्स अपने लिए रिज़र्व कर लेते हैं और मार्केट में बढ़े हुए भावों पर बेच देते हैं, और फिर कम्पनी का कोई कारोबार नहीं करते । मार्केट में शेयर का भाव गिर जाता है तब खुद शेयर्स खरीद लेते हैं और इस तरह लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं । ऐसे उद्योगपतियों को मैं उद्योगपति नहीं कहता, वे तो व्यापारी और स्पेकुलेटर्स (सट्टेबाज़) हैं, टंडन जी तो यहां तक फ़रमाते हैं कि ऐसे उद्योगपतियों को बेईमान कहना चाहिये, और वास्तव में बात भी ऐसी ही है । ईमानदार उद्योगपति वह होता है जो कि न तो ज्यादा शेयर्स खरीदता है और न अपना शेयर कभी बेचता है । ईमानदार उद्योगपति तो अगर उस के शेयर्स का भाव मार्केट में फ़ेस वैल्यू से कम हो जाय, तो उस को रात भर नींद नहीं आनी चाहिये और अपना शेयर उसे कभी बेचना नहीं चाहिये । इसलिये मेरा कहना है हमें बुरे और अच्छे उद्योगपति के बीच में फ़र्क़ करना चाहिये, और इस में जो दोनों तरह के उद्योगपतियों को लिया जा रहा है और पीसा जा रहा है, यही मेरी इस सम्बन्ध में सब से बड़ी शिकायत है ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज़ करूंगा कि जो कुछ दिया जा रहा है वह कम्पेनसेशन है, मुआविज़ा है, प्रतिफल है या नहीं है, इस झगड़े में नहीं जाना चाहिये । मुझे तो दिखाई देता है कि वास्तव में यह कम्पेनसेशन नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम ले रहे हैं, उस की हम क़ीमत दे रहे हैं, हां यह बात अवश्य है कि चूंकि राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, इस लिहाज़ से उस की पूरी पूरी चीज़ खरीद रहे हैं । बहरहाल जो भी हो, मैं एक बात का यहां खतरा महसूस कर रहा हूं कि जो भी प्रतिफल या मुआविज़ा इन कम्पनियों को दिया जायगा वह इन कम्पनियों के पास बांड्स की तौर पर पड़ा रहेगा । मैनेजिंग डाइरेक्टर्स तो इन कम्पनियों के द्वारा कोई काम शुरू करें या न करें उस में अपना काम कर लेंगे, लेकिन बेचारे शेयर होल्डर्स की तो दुर्गति ज़रूर होगी, उन को तो अपने शेयर्स का कुछ मुआविज़ा या उस का वाजिब पैसा उन को अभी तो वापिस नहीं मिलेगा, इस लिहाज़ से शेयर होल्डर्स की हालत बहुत खराब होगी । अगर समझाने बुझाने से काम नहीं चलता और हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, और जैसा कि उन्होंने बतलाया भी कि नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट की सेवा में मेरा सुझाव है कि क्यों न वह इस बात पर सोचे कि कम्पलसरी तौर पर यानी इनऐक्टमेंट (अधिनियम) के ज़रिए से क़ानून के ज़रिए से, लिक्वीडेशन कम्पलसरी कर दिया जाय, और सारी कम्पनियों को लिक्वीडेशन में डाल कर एसेसर मुक़र्रर कर दिया जाय और शेयर होल्डर्स को मुआविज़े का जो भी परिमाण आवे, वह गवर्नमेंट उन को फ़ौरन दे देवे । पांच साल तक मैनेजिंग डाइरेक्टर्स अपने पास से चलाते रहेंगे और अपने आप को जो कुछ भी मासिक लेना है, वह लेते रहेंगे या और शायद कोई दूसरा काम शुरू करेंगे । मैं चाहता हूं कि यह सारी चीज़ें इस प्रकार की जायें, जिस में गड़बड़ी न हो, जिन लोगों ने इन कम्पनियों में पैसा लगाया है वह इस भावना से कि सिविल एवियेशन डिफ़ेन्स के वास्ते काम आ सकता है, और यह देश के लिए भी लाभदायक होगा और खुद के लिये भी लाभदायक होगा, इन भावनाओं के तहत उन्होंने यह काम हाथ में लिया ।

कम्पन्सेशन के सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा

[श्री हेडा]

मैं ने पहले अर्ज़ किया वह सब के साथ यानी जो अच्छे तरीक़े से अपनी मशीनरी आदि को रखते हैं और जो अच्छी तरह नहीं रखते हैं, उन दोनों के साथ एक तरीक़े से बर्ताव किया जा रहा है । मान लीजिये कि दो अलग अलग कम्पनियां हैं, पहली कम्पनी वाला एक ऐयरोप्लेन पांच लाख में ख़रीदता है, दूसरा आदमी दूसरी कम्पनी के लिये, जिस की नीयत उल्टी सुल्टी होती है, वही ऐयरोप्लेन सात, आठ लाख में ख़रीदता है । पहला आदमी अपने प्लेन को अच्छी तरह से मेनटेन करता है और उस की मार्केट वैल्यू आज तीन, चार लाख के लगभग रहती है, लेकिन जो आदमी सात, आठ लाख का प्लेन ख़रीदता है, लेकिन वह उस को ठीक ढंग से नहीं रखता है, और नतीजा यह होता है कि उस की मार्केट वैल्यू दो लाख भी नहीं रहती है, हालांकि इनकम टैक्स के लिहाज़ से जो भी डिप्रीसियेशन होगा, उस को निकाल कर एक ही हिसाब से दोनों को दिया जायगा, और अच्छे और मेहनती उद्योगपति और वह उद्योगपति जो मेहनती नहीं हैं, उन दोनों के साथ एक सा बर्ताव किया जायगा, नतीजा यह होगा जो उद्योगपति मेहनती नहीं है वही नफ़े में होगा और जो उद्योगपति मेहनती है और अच्छी तरह दक्षता से काम चलाता है, वह नुक़सान में रहेगा । मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिये और इस के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना आवश्यक है ।

एक कार्पोरेशन हो या दो कार्पोरेशन हों, इसके बारे में काफ़ी कहा गया है, मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी चौड़ी बहस इस मामले पर नहीं होनी चाहिये । मंत्री महोदय ने इस बिल में एक बहुत बड़ी होशियारी और दक्षता की बात बतलाई है कि नाम के लिए दो कार्पोशन रह सकते हैं, पर वास्तव में एक भी बनाया जा सकता है, दोनों का एक ही चेयरमैन रह सकता है, एक ही सदस्य दोनों के रह सकते हैं, हां नाम के लिए अगर मंत्री महोदय चाहें तो दो कार्पोरेशन कह सकते हैं, पर वास्तव में वह एक बनाये जा सकते हैं और इस तरह कोई ज्यादा ख़र्चा भी न होगा ।

लेकिन अगर ज़रूरत पड़े काम बढ़ जाय और यह महसूस हो कि एक के बजाय दो कार्पोरेशन रहें तो इस से ज्यादा ही लाभ होगा और दो कार्पोरेशन पूर्ण स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं । लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हुए भी वह आपस में कोआर्डिनेशन (सहयोजन) रख सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत सिर्फ मौजूदा कम्पनियों को लेने की नहीं है बल्कि इस व्यापार को, सिविल एविएशन को और अधिक तरक्की देने की है और यह काम दो कार्पोरेशनों के ज़रिये ज्यादा अच्छे तरीक़े से हो सकता है । हमारा देश दूसरे देशों के समान छोटा नहीं है, वास्तव में हमारे देश में कई स्थान ऐसे हैं जहां जाने के लिये हज़ार और पन्द्रह सौ मील का सफ़र करना पड़ता है । तो हमारा देश भारतवर्ष इतना लम्बा चौड़ा है कि उस के लिये अनेक स्वतंत्र कार्पोरेशनों की ज़रूरत है । साथ ही हमें इन्टर्नेशनल फ़ील्ड में भी बढ़ने की आवश्यकता है । अगर हो सके तो हमें जितना पैसा भी हो बचाना चाहिये, लेकिन अगर पैसा लगाने की ज़रूरत हो और उस के लिए एक एअर सर्विस कार्पोरेशन बनाने की आवश्यकता हो तो उसे भी करना चाहिये । मैं समझता हूं कि जो प्राविज़न इस बिल में रखे गये और मैं आशा करता हूं कि प्रारम्भ में भले ही दो कार्पोरेशन हों लेकिन वह एक कार्पोरेशन के तौर पर काम करेंगे

और जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे यह दोनों कार्पोरेशन अलग अलग काम करने लगेंगे ।

मैं यहां एक और आशंका का इज़हार करना चाहता हूं जो कि मेरे दिल में उठ रही है । वह आशंका यह है, और माननीय मंत्री जी की स्पीच पढ़ने के बाद वह आशंका और भी बढ़ती ह कि जगह जगह यह कहा गया है कि जो मौजूदा एयरोप्लेन्स हैं वह ठीक तरह के नहीं हैं । नये प्लेन्स खरीदने की आवश्यकता है । और इस का नतीजा यह होगा कि जैसे ही दोनों कार्पोरेशनों के ज़रिये से सारा मामला गवर्नमेंट के हाथ में आ जायेगा वैसे ही बहुत सी खरीददारी होगी । बहुत सा रुपया लगाया जायगा और बहुत सा रुपया उस के अन्दर फंस जायेगा तथा रेट्स ऐंड फ़ेअर्स भी बढ़ जायेंगे । मेरे नुक्ते निगाह से वास्तव में हुकूमत एक इम्तहान देने जा रही है और वह इम्तहान यह है कि आज जितनी दक्षता और योग्यता के साथ हमारा काम हो रहा है उस से ज्यादा योग्यता के साथ और इस से कम खर्च में वह हो सके । और हमारे एअर फ़ेअर्स रेलवे के फ़र्स्ट क्लास फ़ेअर्स से ज्यादा नहीं होने चाहियें । अगर हम इस दष्टिकोण को सामने रखते हुए काम करें तो मैं समझता हूं कि यह हुकूमत इस इम्तहान में कामयाब होगी, वरना इस बात का खतरा है, जैसे कि हम ने कई जगह जो प्राइवेट मोटर ट्रान्सपोर्ट का बिज़िनेस था, उस को नेशनलाइज़ करने के बाद देखा कि उस के भाव बढ़ते चले गये हैं, कहीं यहां भी वैसे ही भाव न बढ़ जायें । यह ठीक नहीं होगा । मैं आशा करता हूं कि हमारी हुकूमत इस पर भी ध्यान देगी । अगर वह इस चीज़ को सामने रखेगी कि भाव न बढ़ने पावें, तो मुझे आशा है वह अवश्य सफल होगी । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस संबंध में जवाब देने के समय कुछ कहेंगे ।

एक और सवाल भी है जो थोड़ा नाजुक है और पेचीदा भी है । यह सवाल स्टाफ़ के रिट्रेन्चमेंट के बारे में है । आप उन्हें मज़दूर कहें या न कहें यह सवाल अलग है, क्योंकि वह बड़े बड़े इन्जीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी तन्ख्वाह पाने वाले लोग इस समय इन कम्पनियों में मौजूद हैं । बहरहाल जो भी कर्मचारी हैं उन के रिट्रेन्चमेंट का जो सवाल है उस का हल यही हो सकता है कि यह कार्पोरेशन अपने काम को बहुत ज्यादा विस्तार दें । अगर वह काम को विस्तार नहीं देते हैं और पूरा स्टाफ़ रख लिया जाता है तब तो यह कार्पोरेशन ठीक तरह पर काम नहीं चला पायगे वैसे तो जैसे पहले काम होता रहा ह अब उस से ऊंचे उठ कर काम किया जायगा लेकिन अगर हम ने अपने काम को विस्तार नहीं दिया और उस के अनुसार आदमी नहीं रखे गये, सारे आदमियों को योंही रख कर काम चलाने की सोची, तो उस से हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता है । हमें आशा है कि बहुत जल्द, अगले बजट अधिवेशन तक हुकूमत इस के लिये एक अच्छी योजना बनायेगी । अगर आवश्यकता पड़े तो पांच या दस करोड़ रुपये और लगा कर इस को बहुत बड़ पमान पर इंटर्नेशनल स्फ़िअर म दूसरों के साथ प्रतियोगिता कर के, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर के योजना को आगे रखेंगे और जैसे आप ने एक कम्पनी की तारीफ़ की है वैसे ही खुद भी अपने उद्योग को सारी दुनिया की सराहना के योग्य बनाने की दृष्टि से अगर उस को चलायेंगे तो आप को अवश्य सफलता मिलेगी ।

इन आशाओं के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी (वान्दिवाश) : एक निगम रखा जाय अथवा दो इस के सम्बन्ध में बहुत तर्क वितक हुआ है, मेरी धारणा यह है कि इस विधयक म

[श्री एन० आर० एम० स्वामी]

जिन दो निगमों की प्रस्तावना की गई है वह एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं ।

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन अध्यक्ष-पद पर आसीन थीं]

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि लाभदायक आधार पर वायु यातायात उद्योग को चलाने के लिये समस्त वायु यातायात एक ही अभिकरण के अधीन होनी चाहिये । केवल एक ही अभिकरण के द्वारा वायु सेवाओं का विस्तार तथा विकास हो सकता है । मेरी समझ में यह नहीं आता है कि फिर दो निगमों की स्थापना की किस लिये प्रस्थापना की जा रही है ।

जहां तक इन निगमों के संगठन का सम्बन्ध है हमें ज्ञात होता है कि दोनों का सभापति एक ही व्यक्ति हो सकता है और यहां तक कि एक का जनरल मैनेजर दूसरे का सदस्य तक हो सकता है । तब फिर दो निगमों की क्या आवश्यकता है ।

इन निगमों में पांच से कम और नौ से अधिक सदस्य नहीं होने चाहियें । यदि कर्मचारियों को इन निगमों के संचालन में उचित प्रतिनिधित्व न दिया गया तो मेरे विचार से वह उत्तम रीति से कार्य नहीं कर सकेंगे ।

पूर्व वक्ताओं ने अन्य देशों में भी दो निगमों के होने की बात कही है । परन्तु वहां एक ही निगम में २० या ३० हज़ार व्यक्ति काम करते हैं परन्तु यहां तो सब मिलाकर केवल नौ हज़ार ही कर्मचारी है । इसलिये एक ही निगम से काम चल जायेगा ।

जहां तक तेल (ईंधन) का प्रश्न है अमरीका हम से बहुत अधिक मूल्य लेता है । अतः हमें उसे इस बात पर सहमत करना चाहिये कि वह हम से भी वही मूल्य ले जो वह अन्य देशों से ले रहा है । इस सम्बन्ध में कोई क़रार किया जाना चाहिये ।

जहां तक अतिरिक्त मांगों का संबंध है, उन के लिए भी हम को बहुत मूल्य देना पड़ता है । हमें उन अतिरिक्त मांगों को यहीं बनाना चाहिये जिस से कि हम अपनी वायु सेवाओं का अधिकाधिक विस्तार कर सकें । यदि दो निगमों के स्थान पर एक ही निगम कर दिया जाता है तो वायु यातायात परिषद् के बनाने की आवश्यकता ही न रहेगी । क्योंकि इस परिषद् का काम दोनों निगमों से सम्बन्ध रखने वाली एक सी समस्याओं पर विचार करना है । जब निगम ही न होंगे तो इस की भी आवश्यकता न होगी । श्रम सम्पर्क कमेटी तो होगी ही क्योंकि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना होगा । कर्मचारियों का भी उस में प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

खण्ड १८ में प्रावधान किया गया है कि दोनों निगमों के अतिरिक्त और कोई हवाई जहाज़ नहीं चला सकेगा । मेरा निवेदन है कि आपात के समय ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को भी हवाईजहाज़ चलाने का अधिकार दिया जाये । यदि डाक्टर या वकील के पास अपना स्वयं का हवाई जहाज़ हो तो उन्हें उसे उड़ाने की छूट होनी चाहिये ।

निगमों द्वारा किसी वस्तु के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि निगम जो भी वस्तु खरीदें उस के लिये उन्हें सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़े । १५ लाख रुपये या ५ लाख रुपये के मूल्य का कोई प्रश्न न हो ।

वायु कम्पनियों को हर्जाना देने के सम्बन्ध में जो योजना इस विधेयक में रखी

गई है उस से मैं असहमत नहीं हूं, फिर भी, मेरे विचार में एक टैकनिकल कमेटी होनी चाहिये जो प्रत्येक सम्पत्ति या हवाईजहाज़ का मूल्यन करे तथा उस के अनुसार हर्जाना दिया जाये। यदि हर्जाने के सम्बन्ध में मत-भेद हो तो उसे किसी अधिकरण को निर्णय के लिये सौंपा जा सकता है। अनुसूची के आधार पर हर्जाना देने से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

जहां तक ३० जून, १९५३ से पहले कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को निगमों द्वारा सेवा में लिये जाने का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि एक कमेटी नियुक्त की जाये, जो इस बात का पता लगाये कि किसी प्रकार का पक्षपात तो नहीं हुआ है। मुझे मालूम हुआ है कि विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बहुत से व्यक्तियों को भर्ती कर लिया गया था। जिन व्यक्तियों को कम्पनियों ने बिना किसी आवश्यकता के रख लिया था उन को निकाल दिया जाना चाहिये।

जहां तक निगम बनाने के लिये व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रश्न है मेरे विचार में केवल उच्च कोटि के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिये। राजनीति का इसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिये।

माननीय मंत्री ने बतलाया है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल' ने बहुत ही अच्छी ख्याति पैदा कर ली है इसलिए वह उस के नाम को हटाना नहीं चाहते हैं यदि वह भावुकता में आ कर नाम नहीं बदलना चाहते तो वही नाम रखिये। लेकिन दो निगम बनाने से क्या लाभ। एक ही निगम बनाकर उसे दो महाखण्डों में विभाजित कर दीजिये जैसा कि आप ने रेलों को छः महाखण्डों में विभाजित किया है। हम चाहते हैं कि एक ही निगम रहे। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को देखने से पता लगता है कि एक ही एजेन्सी द्वारा काम करने का विचार था किन्तु उपबन्धों में कुछ और ही बात कर दी गई है जो कि विवरण के विरुद्ध है। मेरा निवेदन है कि सदन की इस मांग को स्वीकार कर लिया जाये कि केवल एक ही निगम बने।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : सब से पहले मेरा यह निवेदन है कि जब हम यह देखते हैं कि वर्तमान वायु कम्पनियां लाभ उठाने की बजाय घाटे में चल रही हैं तो हमें यह सोचना चाहिये कि क्या हम उन का राष्ट्रीयकरण कर के लाभ उठा सकेंगे ? आप को लाभ उठाने के साथ साथ इस बात पर भी विचार करना है कि क्या आप वर्तमान कर्मचारियों को नौकरी में बनाये रख सकते हैं ? आप को यह भी देखना है कि इस राष्ट्रीय-करण का करदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार वायु कम्पनियों को कुशलतापूर्वक चलाने या उन में सुधार करने के लिये नहीं ले रही है बल्कि उन के मालिकों को उदारतापूर्वक हर्जाना देने के लिये। स्वयं मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन कम्पनियों के शेयरों का बाज़ार मूल्य कुछ भी नहीं है। उन्होंन हर्जाना देने का नया तरीका बताया है। पर मैं पूछता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या इस दर पर हर्जाना देना ठीक है ? देखा जाये तो किसी भी वस्तु के लिये उस क़ीमत से अधिक क़ीमत न दी जानी चाहिये जो वह बाज़ार में प्राप्त कर सकती है। मेरे विचार में प्रवर कमेटी को हर्जाने के सिद्धान्तों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये। सरकार को हर्जाने के मामले में बहुत अधिक उदार न होना चाहिये।

वर्तमान कर्मचारियों की संख्या काफी बड़ी है। आप उन सब को काम में लगाये रख कर लाभ नहीं उठा सकते हैं। यह बात तो पूंजीपति भी स्वीकार कर चके हैं।

[श्री राघवाचारी]

आप को अपना काम बहुत ही सोच समझ कर चलाना है । दो दो निगम बनाने पर खर्च तो बढ़ेगा ही । अच्छा तो यही है कि आप पहले एक निगम को बना कर ही काम चलायें यदि लाभ हो तो उस की शाखाएं भी बना दें ।

जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना है उन की योग्यताओं के सम्बन्ध में विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । सारी बात सरकार पर छोड़ दी गई है । विधेयक में योग्यताओं का उल्लेख कर दिया जाना चाहिये ।

जहां तक कर्मचारियों की कमेटियों या बोर्डों पर प्रतिनिधित्व देने का सम्बन्ध है मेरे विचार में उन के प्रतिनिधि, वास्तव में, प्रतिनिधि होने चाहियें न कि सरकार जिन को नियुक्त कर दे वही उन के प्रतिनिधि हो जायें । ऐसे प्रतिनिधि होने चाहियें जिन में कर्मचारियों को विश्वास हो ।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा दक्षिण) : श्रीमती जी, मैं ने कल भी मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी थी और आज सवेरे भी उन की सारी स्पीच मैं गौर से पढ़ गयी । परन्तु यह दो कारपोरेशन बनाने की बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई । इस में जो दलीलें दी गई हैं वह सारी की सारी दलीलें एक कारपोरेशन के बनाने के लिये भी दी जा सकती हैं । और अगर ऐयर इंडिया इन्टर्नेशनल ने इतना अच्छा काम किया है और हमारी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है तो उसी को अगर हम यह कारपोरेशन का सारा काम दे दें, तो हमारा काम बहुत ज्यादा सरल हो जायगा, क्योंकि वहां जो काम शुरू होगा वह एक प्रतिष्ठा और अच्छे नाम की बैकग्राउण्ड में शुरू किया जायेगा और इकोनामिक्ली भी यह ठीक रहेगा ।

दूसरी बात जिस की तरफ मैं आप का व सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी वह कम्पेनसेशन के बारे में है । सारी कम्पनियों का तो सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, परन्तु उस में शेयर होल्डर्स का क्या हाल होगा इस के बारे में कुछ सोचा गया है क्या ? मैं ने यह जानने की बहुत कोशिश की कि इन सारी कम्पनियों में शेयर होल्डर्स की संख्या कितनी है, लेकिन मुझे इस का अभी तक कोई अन्दाज पूरा नहीं मिल पाया है, परन्तु इतना तो निश्चित है कि सब कम्पनियों के शेयर होल्डर्स मिलाकर काफ़ी अधिक होंगे और मैं तो चाहूंगी कि उन की संख्या चाहे अधिक न भी हो और फ़र्ज कर लीजिये सौ भी क्यों न हो, तो भी किसी शेयर होल्डर को नेशनलाइजेशन कर के हम को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है, नेशनलाइजेशन आप भले ही करें, लेकिन उस के करने में यह ध्यान रखना चाहिये कि शेयर होल्डर्स बर्बाद न हों । आखिर यह शेयर होल्डर्स कौन हैं, ज्यादातर यह कम्पनियों में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वह मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, इसलिए इन के हितों की रक्षा करना और भी हमारा फ़र्ज हो जाता है । आज कल उद्योगपतियों को गाली देने अथवा भला बुरा कहने की हवा चल रही है, आप अगर गाली देना चाहें तो दे सकते हो, परन्तु जो अधिकतर मध्यमवर्ग के शेयर होल्डर्स हैं वह जो कम्पनियां फ्लोट होती हैं और उन में लोग पैसा डालते हैं, तो आखिर जब लोगों को उन कम्पनियों और उन के डाइरेक्टर्स पर विश्वास होता है कि यह ठीक तरह से काम करेंगे, तभी वे अपना पैसा उस में डालते हैं और जब तक हम जो लोगों का उन के प्रति विश्वास है, उस को हटा न सकें, तब तक अकेले गाली देने से हमारा काम नहीं चलेगा, जो शक्ति और विश्वास लोगों का उन कम्पनियों के प्रति है, वह शक्ति और विश्वास

लोग हम में करने लगें, तब तो यह आप का सब करना ठीक है, अन्यथा आप का काम चलने वाला नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से कम्पेनसेशन दिया जायगा, उस से तो पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट सेक्टर का स्कोप रखा गया है, वह काम आगे बढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि लोगों का यह सोचना स्वाभाविक है कि आज हम एक काम शुरू करते हैं और उस में अपना पैसा डालते हैं, कल सरकार उस को अपने हाथ में ले लेना तय कर ले तब हम को उस में से एक कोड़ी भी नहीं मिलने वाली है, इसलिए मेरी सरकार से और सिलेक्ट कमेटी से विनती है कि कम्पेनसेशन के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिस से शेयर होल्डर्स बर्बाद न हों और उन के साथ न्याय हो सके। आम तौर पर देखा जाता है कि जब कभी कोई कम्पनी लिक्वीडेशन में होती है, तो जो कम्पनी के मालिक, डायरेक्टर होते हैं जिन के नाम पर कम्पनी चलती है, उन को कोई ज्यादा धक्का नहीं लगता है, बल्कि उस में ज्यादातर मध्यम वर्ग के शेयर होल्डर्स ही बर्बाद होते हैं, हर कम्पनी में मध्यम वर्ग के शेयर होल्डर्स की तादाद ही ज्यादा होती है, इसलिये मेरी विनती है कि सरकार को इस तरफ काफी ध्यान देना चाहिये और उन के हितों की रक्षा का कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालना चाहिये। टेकनीकल दृष्टि से मैं कम्पेनसेशन देने के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मशीनरी आदि के बारे में, टेकनीकल चीज़ों की कीमत आदि के बारे में तो आप को सलाह नहीं दे सकती, वह तो जो टेकनीकल आदमी होंगे, वह आप को इस बारे में बतला सकेंगे, परन्तु आप को इतनी सावधानी अवश्य रखनी होगी कि सरकार द्वारा इन चीज़ों के खरीदने में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न हो, क्योंकि अगर किसी को ऐसा लगा कि उस के बारे में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है तो इस से सरकार की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगेगा, इसलिए कम्पेनसेशन देते वक्त किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस के लिए सरकार को पूरी सावधानी रखनी चाहिए। होना तो यह चाहिये कि जिस तरह जब हम मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं या और कोई चीज़ पब्लिक यूटिलिटी की लेते हैं, तब आस पास के मकान या आस पास के ज़मीन के दाम देख कर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मुताबिक़ लेते हैं, उसी तरह यह उचित है कि हम जब कम्पनियों से एरोप्लेन मशीनरी इत्यादि लें, तब बाज़ार में क्या दाम है, उस को ख्याल में रखते हुए देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आप कम्पनियों को ले लेवें, उन की चीज़ों मशीनों, आदि को ले लेवें, वह तो समझ में आ सकता है लेकिन लिक्वीडेशन में ले जाने से तो शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया जाय और उन को उन का पैसा न मिले, यह समझ में नहीं आता। दूसरे आप उन की मशीन और स्पेयर पार्ट लें, तो यह तो समझ में आने वाली चीज़ है, लेकिन सरकार स्क्रैप भी ले, यह समझ में नहीं आता। स्क्रैप वह क्यों लेना चाहती है। हम उस से स्क्रैप लेकर क्या करेंगे ऐयर कारपोरेशन बनाने का मतलब यह है कि लोगों को अधिक सुविधायें मिलें और इस इंडस्ट्री को हम इसलिए नैशनलाइज करने जा रहे हैं क्योंकि हम इसे इसेन्शियल इंडस्ट्री मानते हैं, हम ज़रूरी चीज़ें तो लें, परन्तु स्क्रैप लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं मालूम देती। हम स्क्रैप को कम्पनियों के पास ही रहने दें और वह अगर उस के जरिए अगर कोई काम करना चाहें, तो हम उन को करने दें, इससे हमारे ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ेगा और शयर होल्डर्स से हमें यह भी नहीं सुनना पड़ेगा कि हम ने कोई गलत चीज़ की जिस के कारण शयर होल्डर बरबाद हुए, इसलिए यह बहुत आवश्यक

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

हो जाता है कि हम जब नैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं और उस के लिए कम्पनियों को जो कम्पेनसेशन देने जा रहे हैं, वह सब इस ढंग से होना चाहिए कि कोई यह न कहे कि हम ने इस को ठीक प्रकार नहीं किया या किसी के प्रति अन्याय किया है, कम्पनियों का माल खरीदते वक्त और उस की क़ीमत चुकाते वक्त भी सरकार को पूरी सावधानी से बर्तना चाहिये और यह भी समझ लेना चाहिए कि जब आप यह सब काम कम्पनियों के हाथ से लेने जा रहे हैं और इस काम को खुद सरकार शुरू करने जा रही है, तब ऐसा न हो कि आप टिकट के दाम बढ़ा दें और यह कहें कि हम ने चूंकि मशीनें नई ली हैं, इसलिए टिकट का दाम बढ़ाना ज़रूरी हो गया है, यह सब सोचकर आप को इस काम में आगे बढ़ना चाहिये। मैं तो कहूंगी कि अगर आज मशीन के दाम ज्यादा हों, तो आप आज इस काम को न लीजिए, थोड़े दिन के लिए रुक जाइये, लेकिन अगर आप आज यह काम अपने हाथ में ले रहे हैं और इस इंडस्ट्री को नेशनलाइज़ कर रहे हैं तो आप को सब चीज़ सोच समझ लेनी चाहिये और आप पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि आज कम्पनियां जिस ढंग से चल रही हैं सरकार द्वारा लिये जाने पर यह सर्विस ज्यादा अच्छी तरह चले और लोगों को ज़्यादा सहूलियत व आराम मिले और साथ ही टिकट के दाम भी न बढ़ने पावें इन सब के लिए आप को इन्तजाम करना होगा। ऐसा न हो कि जिस तरीके से आज हमारी रेलवेज़ में वैगन्स मिलने में बहुत कठिनाई होती है और कहीं कहीं पर थर्ड क्लास के टिकट मिलने में बहुत कठिनाई होती है और टिकट लेने के लिए लोगों को दो दो घंटे तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है इस प्रकार की कठिनाइयां इस इंडस्ट्री में न हों। साथ ही टिकटों के दाम भी न बढ़ें और पब्लिक को आज की अपेक्षा सरकार के प्रबन्ध में ज्यादा आराम व सहूलियत मिल सके इन सब बातों को ध्यान में रख कर आप इस राष्ट्रीयकरण के काम को अपने हाथ में लें यही मेरी सरकार से विनती है।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुज़फ्फरपुर मध्य) : संचरण मंत्रालय ने जो नीति अपनाई है मैं उस का स्वागत करता हूं। फिर भी, मैं चाहता हूं कि सरकार वायु सेवाओं के बारे में अधिक सतर्कता से काम ले। सरकार जिन वायु कम्पनियों को हाथ में ले रही है उनमें से एक काफ़ी बदनाम हो चुकी है। अतः सरकार को अनुभवी व्यक्तियों को लगाना चाहिये। सब से पहले तो हमारे भूमि पर काम करने वाले इंजीनियर बहुत ही अनुभवी होने चाहियें। हवाई जहाज़ चालकों पर ध्यान देने के स्थान पर ऐसे इंजीनियरों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि ऐसे इंजीनियर देश में उपलब्ध न हों तो उन्हें विदेशों से बुलाने में कोई हानि नहीं है।

दूसरी बात मैं हवाई पहियों के बारे में कहना चाहता हूं। वायु सेवा के विकास के साथ साथ हमें हवाई पहियों की संख्या भी बढ़ानी होगी। यद्यपि युद्धकाल में अनेक ऐसी पहियां बनाई गई थीं किन्तु उचित देखभाल न होने के कारण वे सब बेकार होती जा रही हैं। इन पहियों की देखभाल का खर्च इन के आसपास की भूमि को खेती के लिये उठा कर निकाला जा सकता है। यदि यह पहियां ठीक रक्खी जायें तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं क्योंकि हवाई जहाज़ में खराबी होने पर उसे पास की हवाई पट्टी पर उतारा जा सकता है। अतः सरकार को यह काम शीघ्र से शीघ्र अपने हाथ में लेना चाहिये।

माननीय मंत्री को इस बात का भी ध्यान रहे कि कर्मचारियों में सेवा की भावना

लुप्त न हो जाये। अक्सर देखा गया है कि किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण होते ही कर्मचारियों में "अफसरी भावना" घर करने लग जाती है। अतएव, कर्मचारियों में सेवा की भावना घटनी नहीं चाहिये।

निगमों के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनेक बातें कही गई हैं। यदि मुझ से पूछा जाये तो मैं तो दो ही निगम चाहता हूं। सब से बड़ा लाभ तो यह है कि निगमों में कार्य-कुशलता के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा होने लगेगी तथा एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। दूसरे, देखा जाये तो आन्तरिक सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेवा दोनों में वास्तविक अन्तर है। मेरी राय में दो निगम होने ही चाहियें।

अब मैं हर्जाने की बात लेता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि हर चीज़ मुफ्त में ही मिल जाये तो अच्छा है। मगर मैं पूछता हूं कि वायु कम्पनियों ने धन लगा कर ही तो हवाई जहाज़ आदि खरीदे हैं, फिर आप उन वस्तुओं को खरीदने के लिये धन क्यों नहीं देना चाहते? कुछ लोगों का कहना है कि इन कम्पनियों ने काफी लाभ उठा लिया है। परन्तु क्या कोई कम्पनी बिना लाभ के उद्देश्य से खोली जाती है? यदि आप लाभ ही हटा देते हैं तो कम्पनी खुलेगी कैसे?

जहां तक मुआवज़ का प्रश्न है, सरकार ने इन मशीनों का मूल्य देना उचित समझा है। मेरा यह निवेदन है कि जब आप किसी कम्पनी को लें तो कम से कम यह अवश्य देखिए कि उस का बाज़ार मूल्य क्या है। किन्तु विधेयक के उपबन्ध में यह कहा तक नहीं गया है कि बाज़ार मूल्य दिया जा सकता है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार के राष्ट्रीयकरण का जिस में ठीक मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा है प्राइवेट उपक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट उपक्रम चाहते ही नहीं तो ठीक है, फिर स्पष्ट रूप से ऐसा कहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तब पूर्ण राष्ट्रीयकरण कीजिये।

दूसरी बात छटनी के विषय में है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यदि कुछ श्रेणियों में कर्मचारियों की अधिकता पाई जाए तो मितव्ययता की दृष्टि में उन की छटनी करनी ही होगी। सदन को इस प्रकार का कोई बंधन नहीं निर्धारित करना चाहिए कि कोई छंटनी न की जाए।

इस बात की आलोचना की गई थी कि टाटा और बिरला जैसे व्यक्तियों को निगम से सम्बद्ध किया गया है। किन्तु यह आवश्यक है कि हम अनुभवी व्यक्तियों के ज्ञान का लाभ उठाएं। इसलिए उन का सम्मिलित किया जाना उचित ही है।

डा० जयसूर्य (मेदक): म राष्ट्रीयकरण का पक्षपाती हूं किन्तु सरकारी उपक्रमों की लगातार असफलताएं देखकर मुझे आशंका होती है। गृह-निर्माण फैक्टरी, सड़क यातायात निगम, हीराकुड बांध, तिलैया बांध—इन सब में हमारा जिस कदर रुपया बर्बाद हुआ है कि इस बात पर विश्वास नहीं होता कि सरकार वायु यातायात का प्रबन्ध ठीक प्रकार कर सकेगी। जब सरकार ने सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण किया था उस से पूर्व उस में लाभ हो रहा था किन्तु निगम के अन्तर्गत आते ही उस ने हानि दिखलाना प्रारम्भ कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है।

युद्ध के बाद भारत में वायु यातायात का तेजी से विस्तार हुआ। लड़ाई का बहुत सा अतिरिक्त सामान बचा था और बहुत से लोगों ने नई-नई हवाई कम्पनियां चालू कर दीं। किन्तु यह अत्यन्त अनियमित विकास था। बाद में उन कम्पनियों को मालूम हुआ कि

[डा० जयसूर्य]

यह लाभप्रद उपक्रम नहीं है। अब सरकार को स्थिति के बचाव के लिए आगे आना पड़ रहा है। यह तथ्य है कि हवाई यातायात नागरिक उड्डयन से लाभ प्राप्ति के लिए इतना नहीं रक्खा जाता जितना कि इस की युद्धकालिक महत्ता के कारण। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अवश्य उसे ले लेना चाहिए। चिन्ता मुझे केवल इस बात की है कि अन्य उपक्रमों में सरकारी असफलताओं की तरह यहां भी वही गड़बड़ी न चले।

मुआवज़े के बारे में बहुत कुछ कहा गया है प्रश्न यह है कि यदि हम उन्हें बाज़ार मूल्य पर खरीदें तो "डकोटावालों" को कुछ नहीं मिलेगा, यदि उन्हें पुस्त-मूल्य पर खरीदा जाए तो "डकोटावालों" अथवा हिस्सेदारों को भी कुछ मिल जाएगा। यदि आप उन्हें बाज़ार मूल्य पर ल तो उचित मूल्य निर्धारण करना होगा और इस के लिए एक समिति की स्थापना करनी होगी।

सरकार पहले तो यह वादा कर लेती है कि कोई छंटनी नहीं की जाएगी। 'विजगापटनम शिपयार्ड' के सम्बन्ध में भी यह कहा गया था। सरकार द्वारा उसे हाथ में लेते ही असफलता हुई। उसे लेने के छः मास पश्चात ही सरकार ने वहां छंटनी करने का बहाना ढूंढ लिया। इस विधेयक से भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर तो कमकरों की छंटनी की जाएगी और दूसरी ओर अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। जिन दिनों कि रेलें कम्पनियों द्वारा चलाई जाती थीं तब एन० एस० रेलवे जैसे बड़े डिवीज़न की व्यवस्था केवल पांच व्यक्तियों द्वारा होती थी। सरकार द्वारा ले लिये जाने के पश्चात् अब वहां ३० व्यक्ति हैं। और कार्य-क्षमता में कमी आ गई है। इस का कारण वे व्यक्ति हैं जिन्हें नियुक्त किया जाता है। व्यक्तियों का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं किया जाता और अनुपयुक्त व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं। इसी लिए ये बातें होती हैं।

मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट मस्तिष्क से इस मामले पर विचार करें। जनोपयोगी सेवा लाभार्थ नहीं होती, किन्तु जो रुपया इस में खर्च किया जा रहा है वह अनुचित रूप से खर्च नहीं होना चाहिए।

श्री अच्युतन (क्रेंगान्नूर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार जितनी जल्दी हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण करे उतना ही अच्छा है। जहां तक निगमों की संख्या का प्रश्न है, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि दो निगम स्थापित न कर एक निगम की स्थापना की जानी चाहिए। एक बार दो निगमों से प्रारम्भ करने के पश्चात्, दोनों को एक में मिलान में बाद में अत्यन्त कठिनाई होगी। बाद में एक के दो तो आसानी से किय जा सकते हैं। एक निगम स्थापित करने का एक और भी कारण है। यदि एक निगम अंतदशीय यातायात के लिए हो और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए तो स्वभावतः ही पहले निगम वालों में दूसरे वालों की तुलना में एक हीनता की भावना उदय हो जाएगी।

जहां तक मुआवज़े का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सरकार को उदार नहीं होना चाहिए। ये हवाई कम्पनियां पहले से ही हानि में चलती रही हैं और सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देती रही है। मुआवज़े की दर का प्रश्न बजाए सरकार तथा सम्बन्धित पक्षों के बीच तय किए जाने के एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण को ही अंतिम रूप से यह निर्णय करना चाहिए कि सारे सामान इत्यादि का क्या मूल्य है।

श्रम के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। हम वैज्ञानिकन चाहते हैं और मितव्ययता चाहते हैं। फिर हम यह नहीं कह सकते

कि अतिरिक्त श्रम की छंटनी न की जाए। यदि उन की छंटनी की जाती है तो उन्हें अन्य काम दिया जाएगा।

श्रम सम्पर्क समिति के उपबन्ध का, मैं स्वागत करता हूं। आगे से सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मज़दूरों के वास्तविक प्रतिनिधि ही लिए जाएं और उन के कल्याण का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाए। मुझे केवल इतना ही कहना है।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर दक्षिण) : श्रीमती जी, मुझे आज उस समय का थोड़ा सा स्मरण आता है जब आज के कई वर्ष पहले इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पुरानी व्यवस्थापिका सभा में सरदार मंगल सिंह ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया था। उस को कई वर्ष बीत गये। इसी के साथ मुझे सन् १९२३ का वह समय भी याद आता है जब कि हमें स्वराज्य नहीं मिला था और पहले पहल हम कांग्रेसवादी पंडित मोतीलाल जी नेहरू के नेतृत्व में यहां आये थे और उस समय यातायात के सम्बन्ध में जो रेलें राष्ट्रीय नहीं हुई थीं उन के विषय में भी इसी तरह के प्रश्न उठाये जाते थे। यह हर्ष की बात है कि आज हम स्वतन्त्र हैं और हमारे हवाई यातायात के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में श्री जगजीवन राम जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे इस विधेयक को यहां उपस्थित करें।

मैं इस राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तो हूं परन्तु कई बार मेरे मन में कुछ दूसरी बातें भी उठा करती हैं। हम सभी अंगरेजी में यह कहा करते हैं कि 'फर्स्ट थिंग्ज़ फर्स्ट' अर्थात् पहली चीज़ें पहल आनी चाहियें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर थोड़ी गम्भीरता से विचार किया जायगा तो आज देश की जो परिस्थिति है लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों को कपड़ा नहीं मिलता है, रोजमर्रा की चीज़ें नहीं मिलती हैं ऐसी स्थिति में क्या इस उद्योग को ऐसा माना जा सकता है कि यह एक ऐसा उद्योग है जिस को हमें तत्काल अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं तो यहां यह कहूंगा कि सुरक्षा और सरकारी कामों के लिए कुछ हवाई जहाज़ रख कर शेष हवाई यातायात इस देश में बन्द भी कर दिया जावे तो कोई बड़ी भारी हानि न होगी। आखिर हवाई जहाज़ों से कितने लोग यात्रा करते हैं? देश की आम जनता को उस से क्या लाभ है? चीन देश में कोई हवाई यातायात नहीं है। मैं ने अभी वहां जा कर देखा।

जहां तक जयसूर्य जी का कथन था वहां तक तो उन के कथन को सुन कर मझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आ गई :

जहि गिरि चरन धुरत हनुमनता ॥
सो चलि जात पाताल तुरंता ॥

उन का सारा भाषण मैं समझता हूं इसी चौपाई के अन्तर्गत आ जाता है।

कुछ माननीय सदस्य : इस का मतलब तो समझा दीजिये।

सेठ गोविन्द दास : इस का अर्थ यह है कि हनुमान जी जिस समय सीता जी की खोज के लिये लंका जा रहे थे उस समय समुद्र में जो जो पहाड़ मिलता था और जो उन के मार्ग में रोड़ा बन कर आता था उन के उस पर पैर रखते ही फौरन पाताल चला जाता था। तो जयसूर्य जी का बोलना कुछ इस-प्रकार का था कि सरकार जो कुछ काम हाथ में लेती है वह सब का सब पाताल चला जाता है। मैं इस से सहमत नहीं हूं। मैं इस को नहीं मानता कि जिस काम को सरकार हाथ में लेती है वह नष्ट हो जाता है। हमें स्वराज्य मिले केवल पांच वर्ष हुए हैं और स्वाभाविक बात है कि हम को पूरा अनुभव नहीं है। पूरा अनुभव न होने के कारण हमारी

[सेठ गोविन्द दास]

कुछ चीज़ें असफल हुई हैं पर इस का यह अर्थ नहीं है कि सब कुछ सदा असफल होता रहेगा ।

फिर एक बात और मेरे मन में आती है यह जो गति की तीव्रता सारे संसार में हो गई है क्या आखीर में यह मानव समाज के लिये कल्याणकारी होने वाली है । जब मैं अभी न्यूयार्क में गया तो मैं ने देखा कि अमरीका की जो गति की तीव्रता है वह वहां के उद्योग धंधों तक ही सीमित नहीं है । वहां पर वह सभी जगह मुझे दिखाई दी । न्यूयार्क में तो मालूम हुआ कि जैसे आग लग गई हो और लोग यहां से वहां भाग रहे हों । तो मैं यह मानता हूं कि कम से कम अपनी वर्तमान परिस्थिति में यदि हम दूसरी चीज़ों को हाथ में लेकर इस तरह की चीज़ों को अभी निजी उद्योग धन्धों के रूप में छोड़ दें तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी । खैर यह प्रश्न तो इस लिये नहीं उठता कि विधेयक हमारे सामने आ गया है और हम राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के विपक्ष में नहीं हैं । इसलिये हम इस का समर्थन ही करते हैं ।

अब मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में दो एक बातें संक्षेप में कह दूं । यहां पर इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है कि दो कारपोरेशन नियुक्त होने चाहियें या एक । मैं यह मानता हूं कि यदि हमें आर्थिक दृष्टि से इन चीज़ों को कम खर्च पर चलाना है तो जहां भी हम खर्च घटा सकते हों वहां घटाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये । यह मानना होगा कि यदि एक के स्थान पर दो कारपोरेशन रहते हैं तो ऊंचे के स्तर का जो खर्च है वह अधिक होगा । इस बात को जो हमारी सिलेक्ट कमेटी नियुक्त हुई उस पर छोड़ देना चाहिये वह देखे कि दो कारपोरेशन रखने से कितना खर्च होता है और एक कारपोरेशन कर दिया जाय तो कितना खर्च होता है और हमें हर स्थल पर यह बचत करनी चाहिये ।

मुआवज़े के सम्बन्ध में यहां कुछ बात कही गई है । मेरा यह मत है कि मुआवज़े के विषय में हमें इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि किस चीज़ की इस समय क्या कीमत है । मुमकिन है कि एक चीज़ लाख रुपये में ली गई हो और अब वह घिस-घिसा कर एक रुपये की भी न रही हो; हम उस के लिये एक लाख रुपया क्यों दें ? इसी प्रकार यदि कोई चीज़ जिस समय खरीदी गई थी उस समय अगर वह दस हज़ार की थी और आज अगर वह बीस हजार की हो गई हो तो हम दस की जगह बीस हजार क्यों न दें ? कम से कम इस मामले में मैं श्री तुलसीदास जी से सहमत हूं कि कम्पेन्सेशन शब्द का जो उपयोग किया गया है वह उपयोग ही ठीक नहीं है । मैं आप को बतलाता हूं कि मेरा किसी एअर कम्पनी में कोई शेअर नहीं है न मेरे कुटुम्बियों या मित्रों का ही कोई शेअर है लेकिन में यह अवश्य कहता हूं कि यदि हम मुआवज़े की नीति को अस्वीकार करते हैं तो इसे स्वीकार करने के पश्चात् हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम सब के साथ न्याय करते हैं अन्याय नहीं ।

एक बात और तुलसीदास जी ने कही उस से भी मैं सहमत हूं । यह जो बार बार आलोचना होती है कि हम बाहर के आदमियों को न लें इस का अर्थ मेरी समझ में नहीं आता अभी मैं ने चीन में देखा कि वहां पर बराबर जो बाहर के लोग हैं जिन का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है वे यदि ऐसा समझा जाता है कि कुछ सहायता किसी काम में पहुंचा सकते हैं तो उन को बुलाया जाता है और उन के हाथों में काम को सौंप दिया जाता है । जो हमारे साम्यवादी मित्र चीन और

रूस के दृष्टान्त देते हैं मैं उन से कहूंगा कि वह इस बात को देखें कि चीन में जो सरकार के बाहर के लोग हैं जो सरकार के कर्मचारी नहीं हैं ऐसे लोगों को बुलाया जाता है या नहीं। मैं यह नहीं मानता कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं वे ही ईमान्दार हैं; बाहर के सब के सब बेईमान हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं वे ही निःस्वार्थ हैं और बाहर के सब के सब स्वार्थी हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमें जिस की सहायता प्राप्त हो उस की सहायता लेनी ही चाहिये चाहे वह सरकार के आदमी हों या बाहर के।

इन सब बातों को मद्दे नज़र रख कर मुझे आशा है कि यह काम चलाया जायेगा और अगर इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण होता है तो इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि हमारे जयसूर्य जी के कथन के अनुसार कहीं यह काम भी पाताल न चला जाय और हम इस की उन्नति कर सकें।

अन्त में मैं आप का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि हम जो शिकायत नित्य सुनते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है इस पर भी ध्यान रक्खा जाय और इन सब बातों पर ध्यान रख कर हम अपने ऊपर जो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं इस को ठीक तरह से निभावें।

श्री बिट्टल राव : मैं ने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो तर्क दिए वे बहुत दृढ़ नहीं प्रतीत होते कि पूरी तरह राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। जब कि रेलें तथा डाक व तार विभाग सरकार द्वारा पूर्णतया प्रबन्धित व नियंत्रित हैं तो हवाई यातायात क्यों नहीं हो सकता? इन मशीनों को पूरी तरह सुधारने के लिए हमें 'हिन्दुस्तान एयरक्रेफ्ट फैक्टरी' ही जाना है जो कि सरकारी निकाय ही है।

दूसरी, छंटनी के विषय में है। इस में सन्देह नहीं कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि किसी की छंटनी नहीं की जाएगी। किन्तु उस दिन मैं 'कामर्स' पत्रिका पढ़ रहा था जिस में यह कहा गया है कि इस प्रकार का आश्वासन देना निगम की स्वायत्तता तथा उस के अधिकारों का अतिक्रमण करना है। लेखक का नाम तो उस में नहीं दिया गया किन्तु मैं समझता हूं वह अवश्य ही ऐसा व्यक्ति होगा जिस को निगम में सम्मिलित किए जाने की सम्भावना है। हम वायु सेवा में सुधार करना चाहते हैं। इस के लिए हमें इस का विकास करना चाहिए। सेवा में विस्तार कर के हम छंटनी के मामले को समाप्त कर सकते हैं।

अब मैं मुआवज़े के प्रश्न पर आता हूं। मैं एक दृष्टान्त दूंगा। 'इंडियन नेशनल एयर वेज़' के दस रुपये के शेयर का बाज़ार भाव इस समय केवल ढाई रुपए है। आप इसे बाज़ार भाव पर नहीं लेना चाहते। आप उपलब्ध मशीनों का वास्तविक मूल्य जानना चाहते हैं। ये मशीनें तो बहुत सी सस्ते में बिकी थीं। डिस्पोजल से प्रत्येक डकोटा ४० ००० रु० के लगभग बिका था। मरम्मत आदि द्वारा सुधार कर इस की लागत लगभग एक लाख रुपए उन्हें आई। फिर वायु यातायात को बहुत सरकारी आर्थिक सहायता दी गई है। माननीय मंत्री जी ने उस दिन इस बात का खंडन किया कि कम्पनियों को हवाई डाक ले जाने के लिए उन की सहायता के बतौर दी जा रही है। मेरे पास यहां आंकड़े मौजूद हैं। ५,३३,६३८ मीलों का टन भार वहन करने के लिए उन्हें आठ लाख रुपए मिलते हैं जब कि हवाई डाक के ६,३१,७२४ टनमील के लिए १८½ लाख रुपए।

श्री राज बहादुर : श्रीमन्, वह एक दूसरे प्रसंग में था। बताया गया है कि हम ने उन्हें हवाई डाक ले जाने की इसलिये अनुमति दी कि हम उन्हें अर्थ सहायता देना चाहते थे। ऐसी बात नहीं थी। यह हवाई

[श्री राज बहादुर]

डाक के अविलम्ब परिवहन के लिये भी किया गया था ।

श्री बिट्टल राव : कुछ भी हो, इन्हें अर्थ सहायता पहुंचाई गई । जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, इन समवायों ने पहिले ही काफी मुनाफा कमाया है, फिर इन के वायुयानों का उन्हीं कम्पनियों में बीमा हुआ था जिन में कि इन का अपना स्वार्थ था । इस तरह से इन्हें दोनों तरफ से फायदा हुआ । यदि हम यह कहते हैं कि प्रतिकर का मामला एक विशेषज्ञ समिति द्वारा कर्मचारियों के मश्वरे से हल किया जाना चाहिये तो इन्हें इस से कोई नुक्सान तो नहीं पहुंचेगा ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण से आप हिचकिचाते क्यों हैं, विशेषकर जब कि आप के पास सर गुरुनाथ बेवूर तथा श्री बाखले जैसे अनुभवी शासक हैं ।

श्री जगजीवन राम : मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक का सदन के सभी पक्षों की ओर से स्वागत किया गया है । यदि कोई मतभेद रहा है तो वह केवल इस आशय का था कि जब हम यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, हम इसे समुचित रूप से निभाना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के साथ सहमति प्रकट करते हुए पूछा कि क्या इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का समय आ चुका है तथा क्या इसे देश की अन्य आवश्यकताओं के मुकाबिले में पूर्ववर्तिता दी जा सकती है ? एक माननीय सदस्य ने यहां तक बताया कि चूंकि यह उद्योग घाटे पर चल रहा है, इसलिये सरकार को इस का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये । यह तर्क निस्सन्देह एक ऐसे उद्योग के सम्बन्ध में लागू हो सकता है जो अनावश्यक प्रकार की वस्तुयें तैयार करता हो । किन्तु यह इस उद्योग पर लागू नहीं हो सकता है । हम इस उद्योग के दिनों दिन ह्रास को चुप चाप बैठे नहीं देख सकते हैं । हमें इस उद्योग को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये कि यह देश के धनी मानी लोगों के विलास का एक साधन है, अपितु हमें इसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि यह देश की रक्षा के लिये आवश्यक है, देश में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखन के लिये आवश्यक है और आपात काल में रसद आदि पहुंचाने के लिये आवश्यक है ।

यथास्ति से अलग होना कठिन है, यह मानव स्वभाव है । तथा जब कभी कोई ऐसी प्रस्थापना प्रस्तुत होती है जिस का उद्देश्य यथास्ति से सम्बन्ध विच्छद करना है, तो सोच विचार के लोगों के लिये भी उस परिवर्तन के अनुसार चलना कठिन होता है । यदि यह उन की रुचि के अनुकूल न हो तो, वह कई तर्क पेश करते हैं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : जैसे कि एयर इंडिया इंटरनैशनल के पृथक् अस्तित्व को जारी रखने का ।

श्री जगजीवन राम : मैं इस का उत्तर कुछ समय बाद दूंगा ।

पूर्ववर्तिता के सम्बन्ध में सवाल उठाया गया है तथा पूछा गया है कि क्या राष्ट्रीयकरण का यही मौका है । दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि हमें घाटे पर चलने वाले उद्योगों का कार्यभार अपने ऊपर क्यों लेना चाहिये । जहां तक उचित समय का सम्बन्ध है क्या मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि हम उस समय तक प्रतीक्षा करें जब तक कि देश में वर्तमान वायु परिवहन सेवा नष्ट हो जाये, तथा फिर हम इसे नये सिरे से शुरू करें ।

मेरे विचार में ऐसा करने में कोई बुद्धिमानी नहीं । वायुयानों के प्रतिस्थापन के लिये यह उचित समय है, कम से कम हमें इन वायुयानों के प्रतिस्थापन के लिये आर्डर देना होगा । हमें इस सम्बन्ध में अविलम्ब ही फैसला करना होगा । हम देश में अपने वायुयान तैयार नहीं कर रहे हैं । वह हमारे लिये प्रसन्नता का दिन होगा जब हम अपने वायुयान आप तैयार करने लगेंगे । परन्तु इस में कुछ समय लगेगा । विश्व की स्थिति इस समय ऐसी है कि यदि हम वायुयानों के लिये आज आर्डर देंगे तो हमें यह प्राप्त होने में वर्षों लगेंगे । इसलिये सदन मुझ से सहमत होगा कि इस में और अधिक विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं ।

प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों की इस बात को सुन कर मुझे कुछ अचम्भा हुआ कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया । शायद वह 'राष्ट्रीयकरण' के नारे लगाने के आदि हो गये हैं । यदि यह राष्ट्रीयकरण नहीं है तो क्या है ? (**श्री नम्बियार** : यह निगम क्यों रखा गया है ?) इस में प्राइवेट पूंजी के लिये कौन सा स्थान है ? उन का इस में क्या स्वार्थ है ? क्या इस में केवल सरकार की पूंजी लगेगी अथवा प्राइवेट व्यक्तियों की भी पूंजी लगेगी ? यदि हम इस निगम में किसी गैर-सरकारी सदस्य को लेते भी हैं तो उन का इस की लाभ-हानि में क्या स्वार्थ है ? मुझे खद है कि मेरे माननीय मित्रों ने इस विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ने का कष्ट नहीं किया है ?

जहां तक निगम स्थापित करने का सम्बन्ध है, आखिर इस में हानि क्या है ? कहा गया है कि इसे रेलवे बोर्ड की तरह क्यों न चलाया जाय ? अथवा वैभागिक रूप से क्यों न चलाया जाय ? जैसे कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं इन उपक्रमों को निगमों द्वारा चलाने में कुछ विशेष फायदे हैं । हम उत्तरोत्तर कई उपक्रमों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं तथा हमारे पास इन्हें चलाने के दो तरीके थे—एक इन्हें वैभागिक रूप से चलाने का तरीका तथा दूसरा इन्हें सीमित समवायों द्वारा चलाने का तरीका । इन दोनों तरीकों को लागू करने में कुछ कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं । अब हम सारे सरकारी उपक्रमों के प्रशासन के लिये एक नया रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस के कि अन्ततोगत्वा विद्यमान रहने की संभावना है । यह संविहित निगमों की स्थापना है । यह निगम जहां संविहित रूप से सरकार के निर्देश तथा नियंत्रण में होंगे वहां इन्हें अपना काम चलाने में स्वतंत्रता होगी । जिन लोगों को कम्पनियों में काम चलाने का मौका मिला है वह अच्छी तरह से जानते हैं कि इन के प्रशासन में उस से अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिय जितनी कि सरकारी विभागों में होती है । निस्सन्देह इन पर सरकार का काफी नियंत्रण होना चाहिये । नीति तथा विस्तार की बातों के सम्बन्ध में हमारे अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिये । हमें इन के आयव्ययक पर कड़ी निगरानी रखनी होगी तथा इस पर ध्यान देना होगा कि कहीं धन नाश न होने पाये । किन्तु इन बातों के साथ साथ इन्हें अपने प्रशासन में इतनी स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये कि वह सक्षम रूप से बिना किसी बाधा के अपना काम चला सकें । इन बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं कुछ सदस्यों की आलोचना को समझ नहीं सका हूं । मेरी धारणा है कि यह शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण है ।

प्रतिकर के सम्बन्ध में तथा दो के स्थान पर एक ही निगम रखने के सम्बन्ध में जो सवाल उठाये गये हैं उन का मैं कुछ देर बाद उत्तर दूंगा ।

पूछा गया है कि इन का प्रशासन क्यों न उसी तरह से चलाया जाये जैसे कि रेलों

[श्री जगजीवन राम]

का चलाया जाता है इसका मैं ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया है ।

एक प्रश्न कार्यक्षमता के सम्बन्ध में था । कुछ माननीय सदस्यों ने रेल प्रशासन पर ईमानदारी की कमी तथा कार्यक्षमता के अभाव के आरोप लगाय हैं । मैं यहां रेल मंत्रालय की ओर से सफाई पेश नहीं कर रहा हूं। परन्तु यह एक मानी हुई बात है कि युद्धोत्तर काल में इस के प्रशासन में काफी सुधार हुआ है । इस सम्बन्ध में माननीय रेल मंत्री को समय समय पर श्रद्धांजलि भी पेश की गई है । परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं । स्थल पर परिवहन के जो भी साधन उपयोग में लाये जाते हैं उन की मरम्मत आदि की हम कुछ समय के लिये उपेक्षा कर सकते हैं । परन्तु वायु यातायात में ऐसी बात नहीं हो सकती है । जरा सी उपेक्षा करने से न केवल यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है अपितु स्वयं चालकों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है । इसलिये प्रबन्धक तथा चालक आदि वायुयानों की देखभाल में किसी भी दशा में लापरवाही नहीं कर सकते हैं । वह क्षण भर के लिये भी किसी मशीन अथवा इस के किसी पुर्जे को खराब हालत में नहीं रख सकते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि स्थल परिवहन तथा वायु परिवहन में कोई मुकाबला नहीं है ।

श्री अल्वा ने कहा कि हम ने इन निगमों को बहुत से कृत्य सौंपे हैं, किन्तु वायुयान तैयार करने की बात का उल्लेख नहीं किया है । हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी इस काम में पहले से ही लगी है तथा हम इस काम को दुहराना नहीं चाहते हैं । हमें आशा करनी चाहिये कि हमारे विशेषज्ञ वहां वायुयान तैयार करने के काम की गति तेज़ करेंगे ।

श्री सोधिया ने शायद यह सवाल उठाया है कि हम इस निगम में अपना धन लगा रहे हैं तथा हमें इस से क्या आय होगी ? सम्भवतः उन्हें यह मालूम नहीं कि सभी राष्ट्रीयकृत उपक्रमों में जिन्हें कि हम निगमों के रूप में अथवा सीमित समवायों के रूप में चला रहे हैं, हमारा इरादा यह है कि उन से आयकर वसूल किया जाय । इस के अलावा हम निगम से सामान्य दरों पर ब्याज ले लेंगे ।

जब हम देखेंगे कि कोई लाभ नहीं हो रहा है और वस्तुतः चूंकि यह एक प्रकार की सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा है, अतः उस दशा में हम सोचेंगे कि इस घाटे का अपलेखन कर दिया जाय या नहीं । पर यदि किसी विशेष वर्ष में घाटा हुआ तो यह निगम के अगले वर्ष के लेखे में चला जायेगा और इसे निगम सहेगा : लाभ तो हमें होगा ही यद्यपि लाभ हमारा लक्ष्य नहीं है । हमारा लक्ष्य तो सर्वश्रेष्ठ सेवा करना है । जैसा हम ने कल कहा इन सभी सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं में हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि ये सेवायें राजकोष पर बोझ न बन जायें । वे करदाता पर बोझ न बनें, बल्कि अपना काम स्वयं चला लें ।

डा० एस० पी० मुकर्जी: उन को आयकर भी देना चाहिये ।

श्री जगजीवन राम : निश्चय ही वह देंगी । यह प्रश्न उठाया गया था कि जैसे ही सरकार कोई व्यापारिक उपक्रम ग्रहण करती है, वह रसातल को चला जाता है । और बड़ा आश्चर्य है कि सेठ गोविन्द दास ने भी डा० जयसूर्य से सहमत हो कर तुलसीदास की एक चौपाई उद्धृत की थी मैं ने तुलसीदस से समझा कि शायद उन का अभिप्राय माननीय मित्र तुलसी दास किलाचन्द से है, परन्तु वे रामायण-कार तुलसीदास का निर्देश कर रहे थे । वह चौपाई थी :

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता ।
चलेउ सोगा पाताल तुरंता ।।

परन्तु इस के बाद की चौपाई उन्हें याद नहीं आई ——

गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी,
कहि न जाय अति दुर्ग विसेखी ।।

अर्थात् हनुमान जिस पहाड़ को रसातल भेजना चाहते थे, वह रसातल में चला गया, परन्तु राक्षसों के पराजित करने के उद्देश्य से जिस पहाड़ पर चढ़ कर उन्हों ने रावणपुरी लंका देखी थी, वह रसातल को नहीं चला गया ।

सेठ गोविन्द दास : मैं आप से सहमत हूं । मैं डा० जयसूर्य से सहमत न था ।

श्री जगजीवन राम : मैं यह बात माननीय मित्र सेठ गोविन्द दास से ही नहीं माननीय मित्र डा० जयसूर्य से भी कह रहा हूं कि इस आधार से इस सरकार की बदनामी करने वाले तत्वों से संघर्ष करेंगे और यह सिद्ध कर दिखायेंगे कि हम इसे कुशलतापूर्वक चला कर सफल बना सकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने जो कहा था, मैं समझता हूं शायद माननीय मंत्री जी ने मेरा अभिप्राय नहीं समझा । डाक्टर जयसूर्य का भाषण तुलसी दास जी की कथा में आ जाता है, मैं ने कहा था परन्तु मैं उस से सहमत नहीं हूं, मैं ने यह भी कहा था।

श्री जगजीवन राम : अच्छा । दूसरा भय यह व्यक्त किया गया है कि राष्ट्रीयकरण होते ही किराये-भाड़े बढ़ने लगेंगे, विमानों के चलने की संख्या कम हो जायगी, कार्यक्षमता कम हो जायगी आदि। यदि हमारे नियंत्रण के बाहर की कुछ असामान्य परिस्थितियां पैदा न हुई हों तो मैं आश्वासन देता हूं कि हम पूरा यत्न करेंगे कि किराये-भाड़े न बढ़ने पायें और विमानों के चलने की संख्या बढ़े और कार्यक्षमता बढ़े । राष्ट्रीयकरण के विषय में तो मैं यहां तक कहूंगा कि यदि उस से कार्यक्षमता में कुछ कमी आने की भी संभावना हो, तब भी वैसा समाजोपयोगी उपाय अपनाया जाना चाहिये ।

कर्मचारियों के विषय में यह भय व्यक्त किया गया है कि कई कम्पनियों के एकीकरण के बाद कुछ श्रेणियों के कमचारियों का अतिरेक हो जायगा । एक यह भी आशंका की गई है कि दिये गये आश्वासन पूरे न किये जायेंगे । मैं दिये गये आश्वासनों को स्पष्ट कर दूं । वायुचर्याओं में विसंधान न होने पाये, इसलिये मैं ने कई बार अपना यह पंतव्य प्रकट किया है कि हम कम्पनियों को चालू रूप में ग्रहण कर लेंगे, और तदनुसार सभी कर्मचारियों को ले लेंग । अतः जिस दिन निगम कंपनियों का भार संभालेगा, कोई भी छंटनी न होगी । पर ग्रहण करने के बाद निगम सभी कम्पनियों का और कर्मचारियों का एकीकरण करेगा और इस प्रक्रिया के पूरे होने पर छः महीने, नौ महीने या और आगे चल कर निगम को पता चले कि कुछ श्रेणियों के कर्मचारी निगम की आवश्यकता से अधिक हैं । अब यदि निगम को बचतपूर्वक, कार्यक्षमतापूर्वक और उचित किराया-भाड़ा वरे रखते हुए चलाना है, तो आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखने का परामर्श कोई भी न देगा । दो ही विकल्प हैं—या तो अधिक व्यक्तियों की छंटनी कर दी जाये या उन के लिये दूसरे काम खोजे जायें । मैं पहला विकल्प कभी न अपनाऊंगा, बल्कि निगम का कार्य बढ़ा कर अतिरिक्त कर्मचारियों को खपाने की पूरी चेष्टा करूंगा । एक इस आश्वासन से मैं आबद्ध हूं । विस्तार तो हमें करना ही है और नये मार्ग भी खोलने हैं । मुख्य मार्गों को अपेक्षतया कम महत्वपूर्ण केन्द्रों से जोड़ने के लिये हमें आगे चल कर यथाशीघ्र पुरक वायुचर्यायें भी

[श्री जगजीवन राम]

चलानी पड़ेंगी । जहां तक मरम्मत और छोटे मोटे पुर्जों के निर्माण का सम्बन्ध है, हमें अपने कारखाने भी बढ़ाने पड़गे । और इस प्रकार निगम का कार्य बढ़ा कर हम अतिरिक्त कर्मचारियों को खपाने की चेष्टा करेंगे । आज की सामाजिक स्थिति में किसी को बेकार बनाना हमारे मनस्ताप का कारण होता है । अतः निगम का कार्य बढ़ा कर या अन्य सरकारी उपक्रमों में हम सभी अतिरिक्त कर्मचारियों को खपाने की पूरी पूरी चेष्टा करेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती या किसी अन्य सदस्य ने कहा था कि कुछ कम्पनियों के कर्मचारियों के विषय में न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णयों का क्या होगा । जैसा मैं ने कहा, हम इन कम्पनियों को चालू उपक्रमों के रूप में ले रहे हैं और हम इन निर्णयों के भी उत्तराधिकारी हैं । अतः निगम न्यायाधिकरणों के निर्णयों के फलस्वरूप मिले विशेषाधिकारों या दायित्वों को भी उत्तराधिकार में ग्रहण करेगा ।

मेरे मित्र डा० सत्यनारायण सिन्हा और श्री अल्वा ने कर्टिस कमांडोज़ की बात तथा श्री अल्वा ने और भी कई बातें उठाई थीं, पर उन का सम्बन्ध संचरण मंत्रालय से न हो कर रक्षा मंत्रालय से होने के कारण मैं उन को न लूंगा ।

१ म० प०

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : आप उन तक यह बात पहुंचा दें ।

श्री जगजीवन राम : कर्टिस कमांडोज का इतिहास पुराना है और हाल में भी कई बार इस पर विचार हुआ है कि इस का उपयोग संचरण मंत्रालय करे या रक्षा मंत्रालय । अब तक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये आवश्यक कुछ विमानों को छोड़ कर संचरण मंत्रालय के पास कोई भी विमान न थे । जब कभी भी बात उठी तो यही पता चला कि रक्षा मंत्रालय को उन की आवश्यकता नहीं और संचरण मंत्रालय को तो विमानों की आवश्यकता थी ही नहीं । इस के अतिरिक्त यह बात भी सोची गई कि क्या इन की मरम्मत करा के इन को चालू बनाना बचतपूर्ण होगा । मैं तो विशेषज्ञ हूं नहीं । अतः हमें विशेषज्ञों के परामर्श के सहारे चलना पड़ता है । हमें बताया गया था कि ये विमान सवारी-यातायात के लिये उपयुक्त नहीं हैं और इन को भाड़ा-यातायात में ही प्रयुक्त किया जा सकता है ।

श्री जोशिम अल्वा : और वे गत युद्ध में चीन पर उड़े थे ।

श्री जगजीवन राम : पर हम माननीय मित्र श्री अल्वा के परामर्श से तो चल नहीं सकते, बल्कि हमें विशेषज्ञों के परामर्श से चलना होगा । और यह केवल हमारे अपन विशेषज्ञों का ही विचार नहीं है, बल्कि बाहर से आने वाले विशेषज्ञों का भी है । उन का कहना है कि ये विमान सवारी-यातायात के लिये उपयक्त नहीं, बल्कि भाड़े के लिये ही उपयुक्त हैं । वे संख्या में ७० हैं और उन का पुस्त-मूल्य साढ़े सात करोड़ रुपये है । बहुत से पुर्जे भी हैं, जिन का पुस्त-मूल्य ढ़ाई करोड़ रुपये है । पर यह तो पुस्त-मूल्य ही है । एक बार जैसा आप को विदित है, इन सभी विमानों और पुर्जों का मूल्य ५०,००० रुपये लगाया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : ३५ लाख रुपये ।

श्री जगजीवन राम : शुरू में ५०,००० रुपये का ही प्रस्ताव किया गया था, बाद में ३५ लाख रुपये कर दिय गय । परन्तु यह सौदा हुआ नहीं । बाद में—कुछ महीने बाद—जब विश्व भर से टेंडर मांग गये तो किसी ने

भी टेंडर नहीं दिया । एक टेंडर जो प्राप्त हुआ वह निश्चित तारीख के बाद आया था । उस समय भी मैं ने इस प्रश्न की जांच नागरिक उड्डयन विभाग के विशेषज्ञों से कराई। तब भी मुझे यह परामर्श दिया गया कि हमें ये वायुयान नहीं चाहियें । एक अन्य अवसर पर मैं ने अपने मित्र, निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री को फोन किया और उन से यह प्रार्थना की कि वे इन्हें उस समय तक न निकाल जब तक कि मैं मामले की पूर्ण रूप से जांच न करा लूं । जब मुझे अपने विशेषज्ञों की राय ज्ञात हो गई तो मैं ने उन से कह दिया 'अब आप आगे कार्यवाही कर सकते हैं ।' हमें भय था कि यदि हम ने अब इस मामले में विलम्ब किया तो हमें इतना भी रुपया नहीं मिलेगा । कुछ दिन पहले संसद् के कुछ सदस्यों ने मेरा ध्यान इस ओर फिर आकृष्ट किया और कहा : "क्या हम इन वायुयानों को फिर से ठीक करा कर निगमों द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य नहीं बना सकते ?' अभी से मैं यह नहीं कह सकता कि निगमों को इन वायुयानों की आवश्यकता होगी या नहीं । मैं समझता हूं कि कम्पनियों के विलय तथा भिन्न भिन्न सेवाओं के एकीकरण के पश्चात् हमारे पास बहुत से डकोटा फालतू बच जायेंगे और हम उन का उपयोग माल ढोने वाले यानों के रूप में कर सकेंगे ।

श्री श्यामानन्द सहाय : और लाइनों का विस्तार करने में ।

श्री जगजीवन राम : मुझे माननीय निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री से एक टिप्पण प्राप्त हुआ है । अगले दो तीन दिन में मैं उस की और जांच करवाऊंगा और यदि हमें यह पता चलेगा कि हम इन वायुयानों की मरम्मत हो जाने के बाद उन का उपयोग कर सकते हैं तो हम अवश्य ही इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री जोशिम अल्वा : क्या इन 'कर्टिस कमांडस' यानों की कीमत विदेशों में तिगुनी या चौगुनी नहीं है ?

श्री जगजीवन राम : इस बारे में मैं अधिक विस्तार में तो पड़ना नहीं चाहता । हां, यदि मेरे माननीय मित्र श्री अल्वा बहुत उत्सुक हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास इस सम्बन्ध में यथेष्ट जानकारी है । हम यह न भूलें कि ये बहुत पुराने प्रकार के वायुयान हैं जिन का निर्माण आजकल नहीं हो रहा है । मुझे पता चला है कि यदि हमें इन वायुयानों के पुर्जों आदि की जरूरत हो तो हमें सारे अमरीका में इन की तलाश करनी पड़ेगी । कुछ पुर्जे हमारे पास भी हैं । तो ये कठिनाइयां हैं । मेरे मित्र का कहना है कि इन का अच्छा मूल्य मिल सकता है । मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहूंगा कि हम ने इन के लिये सारे विश्व से टेंडर मांगे और हमें एक भी टेंडर प्राप्त नहीं हुआ । इस से ही यह जाहिर हो जाता है कि इन की कितनी मांग है । फिर भी, जैसा कि मैं ने पहले कहा, मैं इस सारे मामले की और जांच करवाऊंगा और जो कुछ आवश्यक होगा करूंगा ।

कुछ सदस्यों ने यह सवाल उठाया कि हम अन-अनुसूचित सेवाओं को निजी नियंत्रण में क्यों छोड़ें । सम्भवतः उन्हें यह भय है कि कहीं इस का प्रभाव निगम की आय पर भी न पड़े । परन्तु ऐसा कोई भय नहीं होना चाहिये । क्योंकि यदि गैर-सरकारी लोगों को अन-अनुसूचित सेवायें संचालित करने की अनुमति दी भी जाती है तो इस का यह अर्थ नहीं है कि निगम अन-अनुसूचित सेवाओं का संचालन नहीं कर सकेगा । जब कभी भी निगम यह देखेगा कि कोई अन-अनुसूचित संचालन लाभप्रद है तो वह भी संचालन कर सकेगा । निगम की आय पर

[श्री जगजीवन राम]

बुरा प्रभाव पड़ने का तो यहां कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि साधारणतया किन्हीं ऐसे दो स्थानों के बीच अन-अनुसूचित सेवायें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाती जिन के बीच कोई अनुसूचित सेवा संचालित होती हो । अन-अनुसूचित सेवायें अधिकांशतः एसे स्थानों के बीच ही संचालित की जा सकेंगी जहां कोई अनुसूचित सेवा न हो । इस पर भी मेरा ख्याल यह है कि निगम को अन-अनुसूचित सेवाओं पर अधिकाधिक ध्यान देना पड़ेगा ।

अब मैं प्रतिकर के प्रश्न पर आता हूं । इस सम्बन्ध में दो राय हैं : कुछ लोगों का कहना तो यह है कि प्रतिकर के सम्बन्ध में हम न बड़ी उदारता बरती है और कुछ लोग यह कहते हैं कि हम उचित प्रतिकर नहीं दे रहे हैं और इसे प्रतिकर नहीं कहा जा सकता । हम ने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि प्रतिकर निश्चित करते समय हम पूरे न्याय से कार्य करें । हम प्रतिकर इस प्रकार निश्चित करें कि इस का भविष्य में निजी उद्योगों में लगाई जाने वाली पंजी पर विपरीत प्रभाव न पड़े । इन परिस्थितियों में हम ने न तो उदारता से काम लिया है और न कम्पनियों को उचित प्रतिकर से अधिक देन का प्रयत्न ही किया है ।

मेरे मित्र ने यह कहा है कि य वायुयान बहुत कम मूल्य पर खरीदे गये थे । शायद वह यह भूल गये हैं कि इन वायुयानों के प्रतिकर की रकम फैलाते समय उन्हीं कम कीमतों को आधार माना जायेगा । प्रतिकर बाजार भाव के आधार पर नहीं फलाया जायगा मान लीजिये कोई वायुयान ४०,००० रुपये का खरीदा गया था और उसे 'उड़ान के योग्य' बनाने में ६०,००० रुपये और व्यय किय गये थे तो आज उस वायुयान का प्रतिकर या मूल्य फैलाते समय केवल इन दो राशियों को ही आधार माना जायगा । उन का मूल्य अब उस कीमत के आधार पर ही निर्धारित किया जायेगा जो कम्पनियों ने वायुयान खरीदते समय दी थी । इस सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को माना गया है कि कोई व्यक्ति एक चीज खरीदता है, उस से फायदा उठाता है । तो उस चीज के मूल्य में अवक्षयण के रूप में उतनी ही कमी कर दी जाती है । बाकी का मूल्य उस व्यक्ति को दे दिया जाता है । प्रतिकर फैलाने के लिये हम ने यही सिद्धान्त अपनाया है सेठ गोविन्द दास ने यह कहा कि हम इन वायुयानों का बाजार-मूल्य दें । परन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं । हम बाजर मूल्य नहीं दे सकते । हम तो उसी आधार पर प्रतिकर दे सकते हैं कि उस वायुयान की खरीद पर वास्तव में कितना रुपया खर्च किया गया । उस में कितना अवक्षयण हुआ और शेष मूल्य कितना रहा । हम तो यह शेष मूल्य ही दे सकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : मान लीजिये आज यह बिल्कुल बेकार हो गया है, उस दशा में आप क्या देंगे ?

श्री जगजीवन राम : यदि यह पूर्णतः बेकार हो गया है तो इस का मूल्य वही लगाया जायेगा जो बेकार चीजों के लिये निर्धारित है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ति ने कहा कि इस आधार पर तो किसी वायुयान का मूल्य २० वर्ष में भी शून्य नहीं होगा । परन्तु मेरा कहना यह है कि यदि वह एक बार फिर हिसाब फला कर देखें तो उन्हें मालूम होगा कि बात वास्तव में ऐसी नहीं है ।

हां, हम ने वायुयानों के ऐसे इंजनों आदि के लिये कुछ प्रतिकर दिय जाने की व्यवस्था जरूर की है जिन्हें हाल में ही ठीक ठीक कर के 'उड़ान के योग्य' बनाया गया हो ।

यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत से वायुयान तथा उन के इंजिन खराब हालत में हो जायेंगे और जब निगम उन्हें अपने नियंत्रण में लेगा तो उसे उन्हें ठीक करवाने में काफी रुपया खर्च करना पड़ेगा और इस काम में काफी समय भी नष्ट होगा। अतः हम न ऐसे इंजनों और वायुयानों के प्रतिकर की व्यवस्था की है जिस से कि हम फौरन ही उन का उपयोग कर सकें ।

दो निगम बनाये जाने की भी आलोचना की गई है। अन्य देशों में भी अधिकतर यह कायदा है कि अन्तर्देशीय सेवाय एक निगम द्वारा संचालित की जाती हैं और वैदेशिक सेवायें दूसरे निगम द्वारा। हम ने अधिकांश रूप से आस्ट्रेलिया का तरीका अपनाया है जहां अन्तर्देशीय तथा वैदेशिक सेवाओं के लिये दो अलग अलग निगम बने हुए हैं। यह कहा गया है कि दो अलग अलग निगम बनाने से खर्च बढ़ जायगा। मैं मानता हूं कि कुछ सीमा तक खर्च बढ़ जायेगा। कुछ सीमा तक मैं ने इसलिये कहा क्योंकि आस्तियों तथा सेवाओं की तुलना में यह राशि कोई विशेष अधिक नहीं होगी ।

हम ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराई थी जिस से यह पता चला कि यदि एक की बजाय दो निगम स्थापित किये जायेंगे तो छः लाख रुपये अधिक खर्च पड़ा करेंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस की वजह से दो अलग अलग निगम न बनाये जायें। मैं उन तर्कों को दुहराना नहीं चाहता जो मैं ने कल दिये थे और जो आज भी कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दुहराये गये हैं, परन्तु मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को समझे कि जहां तक वैदेशिक सेवाओं का सम्बन्ध है, हमें एक प्रकार का मान बनाये रखना पड़ता है और अन्य देशों की हवाई कम्पनियों से भी होड़ करनी पड़ती है ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती ने कहा कि इस प्रकार कर्मचारी बंट जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि उन का अभिप्राय क्या है। उन्हों ने यह भी कहा : अन्तर्राष्ट्रीय सेवा लाभप्रद रहेगी जब कि अन्तर्देशीय सेवा नुकसान पर चलेगी। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि अन्तर्देशीय सेवा क्यों और कैसे हमेशा नुकसान पर ही चलती रहेगी ।

श्री मती रेणु चक्रवर्ती: मैं ने "आने वाले सभी समय के लिय" नहीं कहा था ।

श्री जगजीवन राम : एक या दो वर्ष के लिये हो सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बिल्कुल सही ।

श्री जगजीवन राम : ऐसा जान बूझ कर भी हो सकता है क्योंकि हमें देश में कुछ ऐसे मार्ग आरम्भ करने पड़ेंगे जिन के लिये हम आरम्भ से ही जानते हैं कि वे मार्ग बचतपूर्ण नहीं हैं। ऐसी दशा में कुछ समय तक आन्तरिक वायु निगम को हानि हो सकती है। इन दोनों को एक में मिलाने पर यह कहा जाता ह कि अन्तर्राष्ट्रीय वायु निगम के मुनाफे से आन्तरिक वायु निगम के घाट को पूरा किया जा सकता है। इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हो गया हूं कि दोनों निगमों के हितों की दृष्टि से व आन्तरिक वायु निगम के प्रारम्भिक विस्तार के कायकलापों की दृष्टि से कि जिस से यह निगम अधिक से अधिक समय एवं ध्यान, नय ढंग के मार्गों के विकास करने के हित में तथा नये स्टेशनों के विकास करने व अन्य नई 'फीडर लाइनों' को खोलने में दे सके, आन्तरिक वायु निगम को अन्तर्राष्ट्रीय वायु निगम से अलग रखा जाना चाहिये तथा इस को आन्तरिक वायु निगम में सम्मिलित नहीं करना चाहिये। दोनों को अलग अलग कार्य करने की अनुमति होनी चाहिये जिस से वे कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें तथा आन्तरिक

[श्री जगजीवन राम]

वायु निगम अपनी उस ख्याति को सुरक्षित रख सके जो उस ने देश के लिये कमाई है ।

श्री विट्टलराव : पंचम स्वतन्त्र यातायात के विषय में किस प्रकार होगा ?

श्री जगजीवन राम : इस प्रकार की वायु यातायात की स्वतन्त्रता के विषय में मैं समझता हूं कि श्री अल्वा ने जो बात उठाई उन को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है । किसी भी विदेशी वायु मार्ग को देश के किन्हीं भी दो स्थानों के बीच यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं है ।

प्रश्न यह उठाया गया है कि एक यातायात परिषद् तथा एक परामर्शदात्री समिति क्यों बनाई जा रही है । मैं इस बात का उत्तर एक वाक्य में दे सकता हूं । यातायात परिषद् सरकार को परामर्श देने तथा परामर्श समिति निगमों को परामर्श देन के लिये होगी । जैसा कि स्पष्ट है श्रम सम्बन्धात्मक समिति का कार्य निगम के अधिकारियों तथा निगम के कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्धों में उन्नति कराना है ।

मैं समझता हूं कि मैं ने उठाई गई सभी बातों का उत्तर देन का प्रयत्न किया है । कुछ साधारण सी बात संचालकों की योग्यताओं आदि के सम्बन्ध में रह गई हैं । इन पर हम प्रवर समिति में विचार करेंगे तथा उन में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : वायुयानों के उतरने के स्थानों को लेने के सम्बन्ध में क्या रहा ?

श्री जगजीवन राम : इन सभी पर प्रवर समिति में विचार होगा ।

श्री जोशिम अल्वा : क्या सरकार का विचार उन कार्यकर्त्ताओं की श्रेणी में से संचालक नियुक्त करने का है जो इन वायु मार्गों को हमारे लिये चला रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : नहीं, वर्तमान में, एसा कोई विचार नहीं है । मेरा इरादा स्पष्ट बता दिया गया है कि संचालक मंडल के ऊपर एक वह सदस्य रखा जायगा जो श्रमिकों के मामले में अनुभवी है तथा उन के प्रति सहानुभूति रखता है, किन्तु मैं उस सदस्य को कार्यकर्त्ताओं का प्रतिनिधि मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री जोशिम अल्वा : क्या विमान चालक तथा अन्य कर्मचारियों का भी नहीं ?

श्री जगजीवन राम : नहीं ।

मैं प्रवर समिति के लिये कुछ अतिरिक्त सदस्यों के नाम प्रस्तावित करना चाहूंगा । मैं निम्नलिखित नाम जोड़ना चाहता हूं :—

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ;

श्रीमती सुषमा सेन ;

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ; तथा

श्री सारंगधर दास ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को सदन में रखूंगा । मैं समझता हूं ये प्रस्तावित अतिरिक्त नाम सम्पूर्ण सदन की दृष्टि से मान्य होंग ।

माननीय सदस्यगण : जी हां, अवश्य ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विद्यमान वायु समवायों के उपक्रमों का अधिग्रहण करने में सहायता देने के लिये वायु निगमों की स्थापना के लिये और साधारणतः वायु यातायात सेवाओं के संचालन को अपेक्षतः आगे बढ़ाने के लिये अच्छे उपबन्धों को बनाने का कार्य एक प्रवर समिति को, जिस के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री एन० सोमना, श्री

एन० पी० नाथवानी, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री सी० डी० पांडे, श्री मथुरा प्रसाद मिश्र, श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, श्री सतीश चन्द्र सामन्त, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्री घमंडी लाल बंसल, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री यशवंत राव, मार्तण्ड राव मुक्णे, श्री एम० मुत्तुकृष्णन, श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी, श्री सी० पी० मात्तन, श्री एच० सिद्धननजप्पा, श्री पन्नापाल आर० कौशिक, श्री नित्यानन्द कानूनगो, श्री बैजनाथ महोदय, श्री वी० बी० गांधी, श्री शिवराम रांगों राने, श्री जयपाल सिंह, श्री के० आनन्द नम्बियार, श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी, श्री गिरिराज शरण सिंह, श्री रायसम शेषगिरि राव, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री के० ए० दामोदर मेनन, सरदार हुक्म सिंह, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्, श्री राधारमण, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुषमा सेन, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री सारंगधर दास, श्री राजबहादुर तथा प्रस्तावक हैं, इस निर्देश सहित निर्दिष्ट की जाये कि वे अपना प्रतिवेदन ३० अप्रैल, १९५३ तक प्रस्तुत कर दें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस समिति के लिये सभापति की नियुक्ति भी करनी है । पंडित ठाकुर दास भार्गव सभापति होंगे ।

इस के पश्चात सदन की बैठक बुधवार २२ अप्रैल, १९५३ के सवा आठबजे तक के लिये स्थगत हो गई ।

GIPD—HS—447—PSD – 11-1-54 285

SECRETARIAT
Date 20 JAN 1954

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1953